प्रकाशन के 63 वर्ष (1958 से निरंतर)

Regd No.: आर.एन.आई. 32376/77
मूल्य : ₹ 100.00

पंचायत संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित

अंक : 12–01 (दिसंबर–जनवरी)

पंचायत से पार्लियामेन्ट तक

Security and Intelligence Services (India) Limited
Market Leader
in
Security

HAQ SE MAANGO!

संस्था और पत्रिका के बारे में

पंचायत संदेश अखिल भारतीय पंचायत परिषद का मुखपत्र है। यह संस्था गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में बिहार के जसीडीह में की गई थी। यह संस्था देश की त्रिस्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, ब्लाक पंचायत और जिला पंचायत) संस्थाओं के उन्नयन हेतु कार्य करती है।

इसकी स्थापना गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारनें के लिए की गई थी। बलवंत राय मेहता, भारत रत्न लोकनायक जय प्रकाश नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आदि महान नेताओं के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को कानूनी रूप से स्थापित करनें में इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी को दिए गए सुझावों की महती भूमिका रही थी।

हमारी संस्था, पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर में पंचायतों को संविधान में प्रदत्त 29 कानूनों को लागू करने के लिए मांग को आगे बढानें की बात हो सबमें अग्रणी भूमिका में रही है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का मुख्यालय मयूर बिहार फेज –1 (368, बलवंत राय मेहता पंचायत धाम) में है। इसके अलावा देश के 25 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू–कश्मीर, कर्नटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आदि में, राज्य पंचायत परिषद् के रूप मे कार्य कर रही हैं। देश के शेष राज्यों में पंचायत परिषदों के गठन के लिए कार्य किया जा रहा है ।

हमारी संस्था की मासिक पत्रिका पंचायत संदेश निरंतर देश के लगभग सभी राज्यों व जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को भेजी जा रही है। परिषद् का लक्ष्य है कि यह पत्रिका पंचायती राज से सम्बंधित सभी प्रतिनिधियों व इससे जुडी सभी संस्थाओं के पास पहुंचे और तीनों स्तर पर कार्यरत पंचायती राज के लाखों लाख जन प्रतिनिधि व जनता इससे लाभान्वित हो सकें। इसके लिए वृहद् स्तरीय योजना पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य

- सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी पंचायतों तक पहुचाना तथा पंचायतों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना। साथ ही साथ इन योजनाओं को पूरा कराने के लिए सरकारों पर दबाव बनानें हेतु आन्दोलन करना, अभियान चलाना, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को वास्तविकता की धरातल पर उतारने के लिए कार्य करना। इसके लिए हमारी संस्था का मुखपत्र "पंचायत संदेश" संदेशवाहक के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है।
- अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संसोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में प्रदत्त 29 कार्यों को पूरा कराना है।
- सर्वमान्य समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकारों को सुझाव देकर पंचायतों को सशक्त करनें का मार्ग प्रसस्त करना।
- पंचायती राज व लोक राज के प्रसंग में जनमत को शिक्षित करना व पंचायतों के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना।
- पंचायती राज के सन्दर्भ में जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य करना तथा इसके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।
- पंचायती राज से सम्बंधित प्रशासनिक, आर्थिक एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर अध्ययन तथा शोध का इंतजाम करना।
- पंचायतों में नई बातों को शामिल करनें हेतू सर्वेक्षण, मुल्यांकन परियोजनाएं तथा क्षेत्रीय, आर्थिक अन्वेषण आदि कार्यक्रम चलवाना।

उपरोक्त सभी कार्यों को करनें के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद का अपना संविधान है जिसके अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन समय–समय पर सम्पन्न कराया जाता है। परिषद् के प्रथम अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी रहे इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायाण, सुरेन्द्र कुमार डे, डॉ. लाल सिंह त्यागी, सहदेव चौधरी, श्री जगदीश नारायण मंडल, डॉक्टर किशोर तावियाड आदि महानुभावों ने इस संस्था के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वर्तमान समय में इस संस्था के अध्यक्ष पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में डॉ. अशोक चौहान कार्य कर रहे हैं। पूर्व राज्य सभा सदस्य आर के सिन्हा मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

अबतक अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के तत्वावधान में पंचायत सुधार हेतु देश के 11 राज्यों में 17 अधिवेशन हो चुके हैं। इन 17 अधिवेशनों में 6 बार देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री (जवाहर लाल नेहरु–1 बार, इंदिरा गाँधी–2 बार, मोरार जी देशाई–1 बार और राजीव गाँधी –1 बार) तथा एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति (बी.बी.गिरी) तथा एक बार तत्कालीन उप राष्ट्रपति (शंकर दयाल शर्मा) शामिल हो चुके हैं।

संस्थापक
जय प्रकाश नारायण,
बलवंत राय मेहता

संरक्षक (अ.भा.पं.परिषद्)
आर के सिन्हा
(पूर्व राज्य सभा सांसद)

अध्यक्ष (अ.भा.पं.परिषद्) एवं संरक्षक (पंचायत सन्देश)
सुबोध कांत सहाय
(पूर्व केंद्रीय मंत्री)

संपादक
बद्री नाथ
(जर्नलिज्म–भारतीय जनसंचार संस्थान "नई दिल्ली", हेल्थ–जर्नलिज्म– यूनिसेफ)

मुख्य प्रबंधन समिति
डॉक्टर अशोक चौहान,
जयंती भाई नान जी भाई सभाया,
सत्य प्रकाश ठाकुर, अनिल शर्मा,
जय पाल सिंह सिसोदिया

संयुक्त संपादक
ध्यान पाल सिंह

डाटा विश्लेषक
एकांक जटवानी
(युनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास)

मुख्य विधिक सलाहकार
शीतला शंकर विजय मिश्र
(वरिष्ठ अधिवक्ता,
उच्चतम न्यायालय)

विधिक सलाहकार मंडल
आई वी "राघव",
रविन्द्र शर्मा,
तेज प्रताप सिंह,
प्रतीक शर्मा

विशेष सलाहकार
दिवाकर दुबे,
रमा कान्त शुक्ल
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
राम वृक्ष प्रसाद
माता प्रसाद पाण्डेय,
नवनीत वाष्णेय

विषय सूची

01	**बद्री नाथ**	संपादक, मीडिया एवं कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट	संपादकीय: दिल्ली नगर निगम के ढांचे में अहम बदलाव की जरूरत	06
02	**आर के सिन्हा**	जाने माने पत्रकार, पूर्व राज्य सभा सदस्य एवं संरक्षक अखिल भारतीय पंचायत परिषद	न जहर बोएंगे, न काटेंगे, न खाएंगे न बेचेंगे पर पारम्परिक खेती से करेंगे गांवों को स्वस्थ्य, सुखी और समृद्ध	09
03	**डॉ. चंद्रशेखर "प्राण"**	तीसरी सरकार अभियान के मूल विचारक एवं संचालक	पंचायतों की जमीनी सच्चाई: विसंगतियां और अन्तराल	10
04	**सुबोध कांत सहाय**	पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद	भारतीय पंचायती राज व्यवस्था: सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सशक्त माध्यम	12
05	**Dr. Smita Agarwal**	"Assistant Professor, Deptt. of Political Science, University of Delhi"	Accountability of Mukhiyas/ Sarpanches of Panchayats in India	14
06	**अजय प्रियदर्शी**	अनुभाग अधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय	संपन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही प्रशस्त होगा आत्मनिर्भर भारत का मार्ग	16
07	**सीमा समृद्धि कुशवाहा**	एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय प्रवक्ता बसपा	महिला सशक्तिकरण के लिए के शादी के उम्र में बढ़ोतरी अलावा ढेर सारे सुधारों की है जरूरत	19
08	**"डॉ. हंसराज 'सुमन'**	एसोसिएट प्रोफेसर श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	"कृषि अधिनियम– 2020: अर्श से फर्श तक	21
09	**Devendra Pratap Singh**	Asst. Manager Academics DHYEYA IAS Mukherjee Nagar Delhi	कोविड–19 महामारी – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का योगदान	23

राज्यवार – विषय सूची

क्र. सं.	राज्य	लेखक एवं लेखक के बारे में	विषय	पेज सं.
10	मध्य प्रदेश	**अर्पित पांडे,** वरिष्ठ पत्रकार, जी मीडिया	पंचायत चुनाव की सियासी चकल्लस ऐलान से लेकर स्थगित होने तक की कहानी	25
11	उत्तर प्रदेश	**दीपक सिंह,** वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा, उत्तर प्रदेश	विधान सभा चुनाव का रंग हो रहा है अनोखा, पंचायत प्रतिनिधियों को मिल रहा है तोहफा	27
12	पंजाब	**डॉ. अवतार सिंह,** सामाजिक कार्यकर्ता, साइको काउंसलर लुधियाना, पंजाब	नशे में उड़ता पंजाब: ड्रग्स का डंक, रोकने के लिए करना होगा सख्त प्रबंध	29

क्र. सं.	राज्य	लेखक एवं लेखक के बारे में	विषय	पेज सं.
13	उत्तराखण्ड	**धीरेंद्र मिश्र,** वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका में कार्य कर चुके हैं	'कद' में इजाफे से बड़े हैं इसके 'मायने'	31
14	जम्मू कश्मीर	**राजीव गुप्ता,** सामाजिक कार्यकर्ता, संदेश फाउंडेशन, जम्मू	ठेका, विकास और भागीदारी को देगा बढ़ावा	33
15	बिहार	**राम सुंदर कुमार,** पी–एच.डी शोधार्थी (जनसंचार विभाग) महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)	बिहार पंचायत चुनाव में भय व आतंक के बीच युवाओं ने लहराया परचम	35
16	महाराष्ट्र	**डॉ. सुनील दीपक घोडके,** सहायक प्राध्यापक, मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार	महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में महिलाओं का हो रहा सशक्तिकरण	37
17	West Bengal	**Shibsankar Das,** Research Scholar, Deptt. Of Education, Seacom Skills University, Bolpur – Santiniketan, West Bengal	The Journey from Swaraj to Panchayati Raj	39
18	कर्नाटक	**डॉ. सी प्रेम बलिंद्रा,** योग प्रशिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता	कर्नाटक में भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी	40
19	सिक्किम	**Manoj Sangwan Biswas**, OSD to Governor Sikkim	सिक्किम में किसानों की आय बढानें के लिए बनाया गया अनूठा प्लान, ऑर्गेनिक केशर के उत्पादन हेतु उत्कृष्ट मॉडल पर हो रहा है कार्य	42
20	Tripura	**Dr. Deepshikha Bhattacharjee,** Assistant Professor (Political Science), Department of Law Deshabandhu Chittaranjan School of Legal Studies Assam University	A Look into the Role of Gram Sabha in Tripura	43
21	Assam	**Dr. Madan Chandra Boro,** Associate Professor & Head Department of Political Science, KBVS&AS University, Nalbari, Assam	Panchayati Raj in Assam: Past and Present	45
22	केरल	**डॉ. हेमा पनिकर**, सोशल एक्टिविस्ट, देसी चिकित्सा एक्सपर्ट	इसलिए देश में सिरमौर हैं केरल की पंचायतें	47
23	हरियाणा	**डॉ. अरुण चोपड़ा,** समाजसेवी आरोग्य सेवा केंद्र के संचालक करनाल, हरियाणा	पंचायत चुनावः पांच साल से है फैसले का इंतजार	49
24	बिहार	**अंकित आनंद,** अभियंत्रण सहायक, बरौनी रिफाइनरी (IOCL)	आदर्श ग्राम– जनप्रतिनिधि की अज्ञानता, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का शिकार	51
25	उत्तर प्रदेश	**अश्विनी कुमार सिंह,** प्रभारी (मंडल–आजमगढ़) पंचायत संदेश	पंचायत संदेश के तत्वावधान में मधुबन महोत्सव का हुआ आयोजन, पौधारोपण के साथ हुआ समापन	53
26	कर्नाटक	**Dr. Sharmila Biswas,** Seshadripuram first Grade College Yelahanka	कर्नाटक में क्यों सफल है ग्राम समिति का शासन	55
27	**अखिल भारतीय पंचायत परिषद की गतिविधियाँ**		मधुबन महोत्सव, पर्यावरण सम्मेलन एवं ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात	57

संपादकीय

दिल्ली नगर निगम के ढांचे में अहम बदलाव की जरूरत

दिल्ली नगर निगम के चुनाव आसन्न हैं। इसके मद्देनजर हमारी टीम नें नगर निगम के ढेर सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, काउंसलरों, पूर्व काउंसलरों, मेयरों, पूर्व मेयरों, व जनता के बीच जाकर ढेर सारे सुझाव इक्कठे किये। इस दरम्यान 7 मुख्य बातें निकल कर आई हैं। इन 7 बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव करवाए जाएँ तो निगम को काफी प्रभावी बनाकर दिल्ली को दुनियां के सुन्दरतम राजधानी के में से एक के रूप में विकसित किया जा सकता है –

1. **एक मेयर वाली दिल्ली बेहतर थी:** दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन काफी जरूरी

हमारी टीम नें ढेर सारे मेयर और एम सी डी के अधिकारियों से बात की जिसमें यह बात निकलकर आई कि उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इसके पीछे का कारण एम सी डी का जोन स्तरीय विभाजन बताया गया है। दक्षिणी नगर निगम में सर्कल रेट ज्यादा होनें की वजह से आय काफी ज्यादा है साथ ही दक्षिणी नगर निगम में ए और बी श्रेणी की कालोनियां काफी संख्या में हैं जबकि उत्तरी और पूर्वी नगर निगम में ए व बी कैटेगरी का एरिया नहीं है। इन दोनों नगर निगमों में सी,डी,ई,एफ, जी तथा एच श्रेणी का ही एरिया है अत: टैक्स से भी आय कम ही आता है।

कुल मिलाकर दिल्ली के काम काज और विकास की रफ्तार को बढ़ानें के लिए एक से तीन निगमों में बाँटने का जो प्रयोग किया गया था वह असफल प्रतीत होता है। नगर निगमों की संख्या में वृद्धि से दिल्ली के काम–काज में कोई खास सुधार नहीं दिखा बल्कि निगमों में आय के असमान वितरण की समस्या उजागर हुई है। उत्तरी और पूर्वी निगम के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि कर्मचारियों को वेतन देना भी कठिन हो गया नतीजतन आये दिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। ये हड़ताल कभी कभी काफी लम्बी खिंच जाती है। राजनीतिक दलों के लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर केवल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखे जाते हैं।

3 नगर निगम क्षेत्र में विभाजित होनें के बाद से यहाँ पर 3 कमिश्नर, 3 मेयर और 3 डिप्टी मेयर के अलावा तीन जोनल चेयरमैंन तथा 3 कमेटियों के चेयरमैन के लिए अलग से इन्तजाम करना पड़ा है, इनके ऑफिस का अलग से इन्तजाम भी करना पड़ता है। इससे दिल्ली के ऊपर एक आर्थिक बोझ आया है। दिल्ली पर यह बोझ कैसे पड़ा इसे जानने के लिए 10 साल पूर्व 2012 में हुए बदलावों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बदलाव लोकतंत्र की फितरत है, बदलाव होने भी चाहिए। कई बार ये बदलाव सकारात्मक होते हैं तो कई बार नकारात्मक। गौरतलब है कि 2012 तक दिल्ली में केवल एक नगर निगम था। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बाट दिया गया। पर 10 वर्षीय जीवन काल में दिल्ली के सर्वांगीण विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसी वजह से दिल्ली में एकीकृत नगर निगम वाली व्यवस्था पुन: बहाल करने की मांग तेजी से बढ़ रही है।

अगर तीनों नगर निगमों को एक साथ मिलाकर 2012 से पूर्व वाली व्यवस्था को बहाल किया जाता है तो केवल एक मेयर, एक कमिश्नर और एक चेयरमैन चुनकर आयेंगे। इससे दिल्ली के ऊपर पड़ने वाले खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

गौरतलब है कि विभाजन से पूर्व दिल्ली में कुल 12 एम सी डी जोन थे। नार्थ और ईस्ट दिल्ली में जहाँ कुल 8 जोन थे वहीँ साउथ एम् सी डी में 4 जोन थे। साउथ जोन से ज्यादा पैसा आता था और अब भी साउथ एम सी डी में ज्यादा पैसा आता है। एक एम् सी डी क्षेत्र होने पर साउथ के पैसे से नार्थ और ईस्ट दिल्ली के खर्चे की भरपाई की जा सकती है नतीजतन दिल्ली के सभी इलाकों का समान रूप से विकास किया जा सकता है। वर्तमान हालात की बात करें तो पूर्वी और उत्तरी दिल्ली आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं यहाँ पर आये दिन एम सी डी के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया जाता है।

इस सन्दर्भ में यह बात दीगर है कि एम सी डी की व्यवस्थाएं सेंट्रल एक्ट के तहत होती हैं। केंद्र सरकार में यह शक्तियां नीहित हैं कि वो चाहें तो एम सी डी को एक करके इन दिक्कतों पर समाधान दे सकती हैं। इस संदर्भ में किसी भी तरीके के बदलाव के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है इसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमोदन या फिर मुख्यमंत्री या किसी भी अधिकारी के सुझाव की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर दिल्ली में एक मेयर होगा तो पूरे दिल्ली एम सी डी में एक सरकार होगी। वही पार्टी जबाबदेह भी होगी जिस पार्टी की एम सी डी में सरकार होगी। वर्तमान हालात के मुताबिक अलग –अलग निगमों में अलग–अलग दलों की सरकारें बन सकती हैं। इसमें सर्वांगीण विकास में बाधा आएगी। दक्षिणी दिल्ली में विकास की सम्भावना हमेशा ज्यादा रही हैं। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाके में तंगी और बदहाली रहती है। आये दिन सफाई कर्मचारियों के हड़ताल देखने को मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण इन दोनों निगमों में आमदनी की कमी को ही बताया जाता है।

2. **निगम में चुने गए सभी प्रतिनिधियों को वेतन और भत्ते की व्यवस्था की जाए :** लोकसभा और विधान सभा के सदस्यों की भांति निगम में चुने हुए प्रतिनिधियों को भी वेतन व भत्तों की सुविधाएँ दी जायं तो बुद्धिजीवी और ईमानदार वर्ग के लोगों की भी दिलचस्पी इन चुनावों में बढ़ेगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा।

3. **रोटेशन प्रणाली में अहम् बदलाव किये जाएँ:** रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत हर 5 साल में प्रत्याशियों का बदलाव किया जा रहा है। इससे नए लोगों के आने का अवसर तो बढ़ा है लेकिन उनकी जबाबदेही पूरी तरह से समाप्त होती दिख रही है। क्यूंकि चुना हुआ प्रतिनिधि यह सोचता है "मुझे 5 साल बाद तो हट जाना ही ही है" तो विकास कार्य करने के वजाय ज्यादा से ज्यादा अपने लिए धन इक्कट्ठा किया जाए। अतः भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। अगर इस रोटेशन को 2 से 3 कार्यकाल का समय दिया गया तो प्रतिनिधि पुनः चुने जाने हेतु अच्छा कार्य करने को बाध्य होंगे नतीजतन भ्रष्टाचार कम और काम ज्यादा होगा।

ढेर सारे पार्षदों नें यहाँ तक कहा कि हमें 2 से 3 साल कार्य सीखने में ही लग जाते हैं लेकिन कार्य सीखने के बाद जब हम दुसरे कार्यकाल में और तेजी से कार्य करनें की स्थिती में आते हैं तो हमें चुनाव लड़ने से बंचित कर दिया जाता है।

5. **छोटे–छोटे वार्ड की जगह पर बड़े वार्ड बनाये जाए :** दिल्ली में मिश्रित जनसंख्या रहती है, जो कि देश के हर राज्यों से आकर बसी है। छोटे वार्ड होने की वजह से जाति विशेष के लोग ही उन वार्डो में राजनीतिक जीत हासिल करते हैं। पार्टियाँ भी जाति समीकरण के हिसाब से टिकट देती हैं। अगर ये वार्ड बड़े कर दिए गए तो अन्य जातियों के लोगों के चुनावों में चुनकर आने की सम्भावना बढ़ेगी अंततः हर जातियों में नेतृत्व बढेगा तो निश्चित तौर पर जनता को बेहतर समाधान का अवसर मिलेगा।

6. **महापौर और उप महापौर के पदों को स्थिर बनाया जाए :** हर साल इन पदों पर चुने गए लोग बदल दिए जाते हैं अतः किसी भी दीर्घकालिक परियोजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप दीर्घकालिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है।

7. **विधायक निधि और सांसद निधि की तरह एम सी डी के काउंसलरों की भी निधि तय की जाए :**

विधायक और सांसद सदस्यों की निधि के तर्ज पर दिल्ली के काउंसलरों की निधि की भी व्यवस्था की जाय। दिल्ली के ढेर सारे काउंसलरों नें बताया कि सांसदों विधायकों से ज्यादा क्षेत्र के लोग उनसे मदद के लिए आते हैं। सांसद निधि से वार्ड में केवल नए कार्य ही करवाए जा सकते हैं। इस स्थिति में बजट न होने की वजह से वार्ड के प्रतिनिधि चाहकर भी कुछ न कर पाने की स्थिति में होते हैं। राम लीला की पर्ची, कोरोना काल में राशन हो या लड़कियों की शादी हो लोग विधायकों व सांसदों से ज्यादा पार्षदों के पास आते हैं। इस प्रकार ज्यादा जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी कार्य करने की जरूरत है।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अहम बदलाव की जरूरत है । इस सन्दर्भ में केंद्र स्वविवेक से निर्णय ले सकता है (केंद्र शाषित प्रदेश होने की वजह से इस मामले में कानून बनाने हेतु केंद्र को व्यापक शक्तियां संविधान प्रदत्त हैं)। अगर उपरोक्त बदलावों को ध्यान में रखते हुए आगामी दिल्ली नगर निगम के चुनावों को करवाया जाए तो दिल्ली के सभी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया को गति दी जा सकती है, और इससे दिल्ली को दुनिया की सुन्दरतम राजधानी बनाया जा सकता है।

बद्री नाथ
संपादक
मीडिया एवं कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट

Give me trees
www.givemetrees.org

Give Me Trees Trust

(Planting a greener future)

Celebrating 10th Anniversary of Establishment

- एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के रूप में 10 सुनहरे साल पूरा।
- पौधारोपण के क्षेत्र में 44 सालों का व्यापक अनुभव।
- देश के 18 राज्यों के अंतर्गत 202 जिलों तक पहुँच।
- 2.24 करोड़ पेड़ राष्ट्र को समर्पित किया
  - 1.27 करोड़ पीपल
  - 74 लाख नीम
  - 23 अन्य स्थानीय पौंधो 100 से ज्यादा शहरी वन
- दिल्ली प्रदेश में 14 लाख पेड़
- हरियाली क्रांति अभियान 16,000 स्वयंसेवकों की मदद से देशव्यापी अभियान का सफल संचालन
- पौधारोपण के संस्कार को विश्वव्यापी बनाने हेतु 62 देशों के शोधार्थियों को प्रशिक्षण

Donate for a Greener Future
Paytm - 9873180253

हरियाली क्रांति
Hariyali Kranti

हमसे जुड़ें
www.givemetrees.org
@PeepalBaba
instagram.com/givemetreestrust
youtube.com/give me trees trust
facebook.com/givemetreestrust
info@givemetrees.org

161 G, Pocket-4, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-91

न जहर बोएंगे, न काटेंगे, न खाएंगे न बेचेंगे पर पारम्परिक खेती से करेंगे गांवों को स्वस्थ्य, सुखी और समृद्ध

आर के सिन्हा
जाने माने पत्रकार एवं
पूर्व राज्यसभा सदस्य

आखिर कैसे होंगे गांव सुखी और समृद्ध! कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी नहीं–चौगुनी? ये सवाल सुनते–सुनते कान तो पक गये, पर सही जवाब अबतक किसी ने दिया नहीं।

मैं एक औसत किसान परिवार में पैदा हुआ! परिवार अमीर तो नहीं था पर खाने–पीने की कमी नहीं थी, लेकिन, 1934 की भयँकर बाढ और भूकम्प ने सबकुछ तहस–नहस कर दिया! घर सोनभद्र में समा गया! परिवार अपनी ही गौशाला में शरणार्थी बनकर रहने लगा।

दादों–परदादों ने शिक्षा तो प्राप्त की थी पर कभी किसी की चाकरी नहीं की थी, लेकिन मेरे पिताजी और उनके तीनों छोटे भाइयों को उच्च शिक्षा के बाद भी नौकरी के लिए गांव से बाहर निकलना पडा! घर में नौकरी की लत लग गई तो मेरे सभी भाइयों ने भी पिताजी की तरह अच्छी–खासी सरकारी नौकरियां पकडीं। लेकिन, मैं पत्रकारिता करता रहा और गांव से भी संबंध बनाये रखा। मेरे बाबा (दादाजी) ने जो संघर्ष किया उसको बचपन से मैं देखता रहा, समझता रहा और उनका हाथ भी बंटाता रहा। बाबा और फिर पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद जब मुझे खेती संभालने की नौबत आई, वह एक तरह से मजबूरी ही थी। क्योंकि, परिवार में न तो किसी के पास समय था, न ही रुचि। तब मैंने गांव जाकर देखा कि सभी जहर ही बो रहे हैं और जहर ही काटकर बेच रहे हैं और खुद भी सपरिवार वही जहर खा भी रहे हैं! मुझे तुरंत पंजाब से मुंबई जाने वाले कैंसर एक्सप्रेस का रहस्य समझ में आ गया। वही बिहार से किसी तरह रोकना था।

मैंने तो बचपन में अपने बाबा को कभी खेतों में रसायनिक उर्वरक डालते नहीं देखा था, जिसे वे जहर कहते थे, जो आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सिद्ध भी हो चुका है। इसलिये मैं तो फिर से अपनी पारम्परिक खेती की ओर ही वापस चल पडा। गौमूत्र और देसी गाय के गोबर तथा जितने भी वनस्पति अपने ही खेतों के आसपास उपलब्ध थे, उन्हीं से उर्वरक भी तैयार किये, कीटनाशक भी और ग्रोथ प्रोमोटर भी। शुरू के तीन–चार वर्ष पैदावार कुछ कम जरूर थी पर कोई नुकसान भी न था, क्योंकि, लागत भी कम ही थी। अब तो पैदावार भी ठीक–ठाक है और लागत भी कम है।

समस्या मार्केटिंग की जरूर थी। मैं अपनी जहरमुक्त पैदावार को सामान्य बाजार में बेचना अपने उत्पादों का अपमान समझता था। तो मैं अतिरिक्त उत्पादों को मित्रों में ही बांटने लगा। मेरी पुत्रवधू मार्केटिंग की एमबीए है और पोते–पोतियां भी स्कूल जाने वाले हो गये हैं। अतः बहुरानी ने एक कंपनी बनाकर मार्केटिंग को व्यवस्थित कर दिया। आज हमारी बिलोई हुई देसी गायों का घी, लकड़ी के कोल्हू में बैलों/नन्दियों द्वारा पेरा हुआ तेल, ढेकी का कूटा हुआ चावल, जाता (हाथ चक्की) द्वारा पीसा हुआ आटा, बेसन, सत्तू, अपने खेतों मे उगाये मसाले विश्वभर में अच्छे दामों पर बिक रहे हैं और गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं, विशेषकर महिलाओं के लिये।

अब आइये, बात करें कि यह जहर मुक्त खेती है क्या? सीधे शब्दों में बात करें तो यह आपके बाप–दादों की पारम्परिक खेती ही है और कुछ नहीं है। हां, यह जरूर है कि अब इसमें भी नये प्रयोगों से उर्वरकों और कीटनाशकों को बनाने की आसान और ज्यादा प्रभावी विधियां विकसित हो गई हैं और लगातार होती जा रही हैं।

जब मैंने कई वर्षों पूर्व महान गांधीवादी चिन्तक–विचारक और लेखक स्व. धर्मपाल जी की पुस्तक 'एग्रीकल्चर इन प्री ब्रिटिश इंडिया' में पढ़ा था कि अंग्रेजों के आने के पूर्व जो खेती भारतवर्ष में बिना किसी भी प्रकार के रसायनों के प्रयोग के होती थी, वह आज के आधुनिक रसायन युक्त खेती से ढाई गुना ज्यादा पैदावार देती थी, तो मैं चकित रह गया था। भला यह कैसे संभव होता होगा? लेकिन, जब पूरी जांच–पड़ताल करके मैं आश्वस्त हो गया कि अपने स्वभाव और कार्ययोजना के तहत किसी भी मार्क्सवादी या नेहरूवादी बुद्धिजीवी को तो छोड़ दें. किसी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक के पक्ष में मोटी पारिश्रमिक लेकर ज्ञान बांटने वाले तथाकथित वैज्ञानिकों ने भी धर्मपाल जी की पुस्तक के किसी दावे का खंडन नहीं किया है, तब मैं उसी दिशा की ओर बढ़ चला।

पूरी पारम्परिक कृषि का आधार है देसी गायें, उनका गोबर और गौमूत्र।

भारतीय उप–महाद्वीप में प्रचुरता से पाई जाने वाली गौ माताओं और उनके बच्चों में एक खास चीज होती है कि उनके कंधे ऊंचे होते हैं या यूं कहें कि कंधों पर पुट्ठा उभरा रहता है और गले में झालर लटकी होती है जैसे कि उसने माला पहन रखी हो। इसी उभरे पुट्ठे की शक्ति से भारत की देसी गौ मातायें चाहे वे गीर हों, साहिवाल हों, थारपारकर हों, राठी हों, कांकरेज हों, गंगातीरी हों या छोटी– छोटी पहाड़ी गायें हों या दक्षिण भारत की ही गौ मातायें क्यों न हों अपने इसी उभरे पुट्ठे से सूर्य की नीलाश्म रश्मियों को ग्रहण करने की अद्‌भुत क्षमता रखती हैं जिससे इनके मूत्र और दुग्ध में सुवर्ण की सूक्ष्म मात्रा आ जाती है. मूत्र में कैंसर तथा अनेक जानलेवा व्याधियों को रोकने और उपचार की क्षमता आ जाती है और गोबर में असंख्य जीवाणु आ जाते हैं जो पैदावार बढ़ाने का कार्य करते हैं।

इस लेख में इतना ही। अगले लेख में मैं यह बताऊंगा कि खेती करता कौन है, किसान या खेत में काम करने वाले मजदूर या प्रकृति द्वारा प्रदत्त करोडों–अरबों जीवाणु? (क्रमशः)

पंचायतों की जमीनी सच्चाई : विसंगतियां और अन्तराल

डॉ. चन्द्रशेखर प्राण
तीसरी सरकार अभियान के
मूल विचारक एवं संचालक

पंचायतीराज कानून के लागू होने के लगभग 29 वर्ष के बाद जो अनुभव सम्बन्धित राज्यों से जमीनी सच्चाई के रूप में उभर कर सामने आये हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार व समाज, दोनों स्तरों पर विचार और व्यवहार के बीच कई तरह की विसंगतियां हैं, जिसके कारण भटकाव की स्थिति बनी है। लोगों के बीच जो आक्रोश या निराशा का अंतर्द्वन्द्व देखने को मिला, उसने इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करने के लिए बाध्य किया है। विचार और व्यवहार के बीच का अन्तराल और विसंगति कई बार एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में भी सामने आती हैं लेकिन इसे जितना भी कम किया जा सके लक्ष्य की प्राप्ति उतनी ही आसान हो जाती है। इसी अर्थ में पंचायती राज के संदर्भ में अन्तराल और विसंगतियों को पहचानने की कोशिश की गई है.

पंचायती राज का जो लक्ष्य महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक विभिन्न रूपों में निर्धारित हुआ है, आज जब पंचायती राज लागू हुआ तो उसमें कई जगहों पर भटकाव है। बापू ने ग्राम स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था तो पंडित नेहरू ने प्रारम्भ में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को ही आधार बनाया। बाद के दिनों में वे उसे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में विकसित करने की बात करने लगे थे। लोक नायक जयप्रकाश ने इससे भी आगे बढ़कर सहभागी लोकतंत्र के रूप में इसे प्रतिष्ठित करना चाहा तो समाजवादी चिन्तक डॉ. राममनोहर लोहिया ने चौखंभा राज्य के रूप में इसको पहचान दी। जहां विनोबा ने पंचायतों के माध्यम से गांव जीवन को ग्राम परिवार भावना के साथ विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया वही संविधान निर्माताओं ने पंचायतों को ग्राम गणतंत्र की पुनर्स्थापना के आधार के रूप में चिह्नित किया था।

पंचायती राज को लेकर क्या सपना था बापू–नेहरू का

आजादी के लगभग 40 वर्षों में सत्ता के स्तर पर जो विकृतियां उभर कर आईं उसको महसूस करते हुए राजीव गांधी ने आम आदमी को वास्तविक सत्ता सौंपने के लक्ष्य के साथ नये पंचायती राज का सपना संजोया। संविधान संशोधन की असफल कोशिश के बीच सत्ता को दलालों से मुक्त करने का उनका अभियान तो अधूरा रह गया, लेकिन बाद के दिनों में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी सरकार के रूप में ग्राम पंचायतों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

ये सभी लक्ष्य एक तरह से क्रमिक विकास के पक्ष में देखे जा सकते हैं। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का ही अगला चरण लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है और इसी से अपनी सरकार की शुरुआत होगी। इसका जब और विकसित स्वरूप आगे आयेगा तो सहभागी लोकतंत्र के रूप में जन–सामान्य को वास्तविक रूप से सत्ता में भागीदार बनाया जा सकेगा, तभी ग्राम स्वराज्य का सपना साकार होगा। ग्राम स्वराज्य को तभी स्थायित्व मिलेगा जब ग्राम गणतंत्र की व्यवस्था गांवों में कायम की जा सकेगी। इस प्रकार सभी लक्ष्य एक दूसरे के क्रमिक विकास और पूरक हैं, लेकिन आज की तारीख में विकास का यह क्रम या तो ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है या फिर भटकाव की स्थिति में है।

वर्तमान समय में जो जमीनी सच्चाई देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में भी कई तरह की विसंगतियां आड़े आ रही हैं। जिसमें अपनी सरकार की सही समझ का अभाव, तीसरी सरकार का झूठा दावा, गांव समाज की टूटन, आधारभूत स्तर पर निर्णय के अधिकार का न होना, पंचायत प्रतिनिधियों में क्रियान्वयन की अपेक्षित क्षमता और कौशल का अभाव तथा अधकचरा और अधूरे मन के साथ दिया गया प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण जैसे कारण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

पंचायती राज के लक्ष्य में भटकाव की विसंगतियां

लक्ष्य के भटकाव के साथ ही नये पंचायती राज का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें भी कई तरह की गम्भीर विसंगतियां हैं। जो निम्नलिखित हैं:–

ग्राम पंचायत का पूरी तरह से कानूनी स्वरूप।

ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्था के रूप में विकास।

ग्राम पंचायतों की सीमा का विस्तार अर्थ बड़े आकार की ग्राम पंचायत।

ग्राम पंचायतों के गठन में बहुमत पर आधारित चुनाव प्रक्रिया पर जोर।

ग्राम पंचायतों को निर्णय में सहमति के स्थान पर बहुमत की महत्ता।

गांव को नये तरीके से परिभाषित किया जाना।

उपरोक्त आधार पर ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप निर्धारित किया गया वह उसके अभीष्ट की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जो कार्य या दायित्व सौंपे गये हैं, जिनमें से मुख्य विसंगतियां निम्नलिखित हैं:–

सौंपे गये कार्य पंचायतों की एक सीमित भूमिका ही तय कर पा रहे हैं जो मात्र विकास कार्यक्रम तक सीमित हैं।

विकास कार्यक्रम की भी सीमा सरकारी अनुदान और मार्ग–निर्देशन तक ही सिमट कर रह गई है।

पंचायतों का परम्परा से जो समाज के निर्माण व विकास का दायित्व था वह पूरी तरह से उपेक्षित है।

पंचायत की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं। वह राजसत्ता की सहयोगी बनकर रह गई है।

पंचायतों का कार्य भौतिक विकास तक सीमित रह गया है, जबकि उसका प्रमुख कार्य मानव विकास है।

गांव के विवादों का निपटारा पंचायत की वास्तविक पहचान है, लेकिन न्याय का यह दायित्व अधिकांश राज्यों में अभी पंचायतों को सौंपा ही नहीं जा सका है।

73वें संविधान संशोधन में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का जो गुरुतर दायित्व पंचायतों को सौंपने की बात की गई है, उसकी तरफ अभी तक लोगों का ध्यान ही नहीं गया। सिर्फ भौतिक निर्माण का एजेण्डा ही प्रधान है। भूमि सुधार, कृषि विकास, स्वरोजगार तथा सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत ही नहीं हो पाई है।

जहां तक पंचायतों को मिलने वाले अधिकार का सवाल है, उसमें भी कई तरह के अन्तराल व विसंगतियां हैं। जैसे, पंचायती राज संस्थाओं का अपना स्वयं का प्रशासन–तंत्र न होना, पहले के भी अधिकारों में कटौती हो जाना, कानून की ही भाषा में दायित्वों को निपटाने का प्रयास करना आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक विकास तथा स्वावलम्बन से अछूती हैं पंचायतें

आर्थिक विकास तथा स्वावलम्बन के कार्यक्रमों का अभाव पंचायतों में व्यापक स्तर पर देखा गया है। इस दिशा में सोच और व्यवहार दोनों के स्तर पर शून्यता ही है। दूसरी ओर वित्तीय नियोजन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन तो पूरा हो गया है लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट तरीका नहीं निकाला जा सका है, जो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाये। कहने को तो जिले में जिला योजना समिति का औपचारिक रूप से गठन किया जा चुका है, जिन राज्यों में इस दिशा में (मात्र पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण का कार्य) थोड़ा–बहुत प्रयास हुआ भी है वह या तो आधा–अधूरा रहा या फिर मात्र औपचारिक। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका लोक–शिक्षण के कार्य में सबसे सार्थक हो सकती है, लेकिन अभी तक देखा यही गया है कि ज्यादातर संस्थाएं सरकारी अनुदानों के माध्यम से औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (विशेषकर पंचायती राज एक्ट की जानकारी तक) तक सीमित हैं। लोक–शिक्षण के कार्य की ओर तो अभी बढ़ा ही नहीं गया है।

भ्रष्ट होते ग्राम प्रधान, विकास से पिछड़ती जा रही पंचायतें

जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर नियोजित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच कई तरह की गम्भीर विसंगतियां विद्यमान हैं। जिससे इनके बीच सही समन्वय या तालमेल नहीं बन पा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था (जो समय की मांग थी) के कारण भी कई तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं। इस आरक्षण को जहां राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिससे वातावरण विषाक्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर अक्षम प्रतिनिधित्व की अधिकता तथा सही प्रतिनिधि के स्थान पर किसी अन्य द्वारा अधिकारों का उपयोग लोगों में आक्रोश का कारण बना है। अव्वल पंचायतों के माध्यम से संचालित विकास व निर्माण के कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी की शिकायतें मिल रही हैं। ग्राम प्रधानों/सरपंचों के अनुसार, 'बिना कमीशन खिलाये योजनाएं न तो स्वीकृत हो रही हैं और न तो बजट मिल रहा है।' गाँववासियों की दृष्टि में ग्राम प्रधान विकास के पैसे को स्वयं खा रहा है। इस प्रकार पंचायती राज जो विकास कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लागू किया गया वह स्वयं भी उसी की दलदल में फंसता जा रहा है। पारदर्शिता तथा जन–सहभागिता, जो इसको समाप्त करने का सबसे कारगर तरीका है, उसके लिए शासन के स्तर से जो थोड़ा–बहुत प्रयास हो रहा है, उसका अभी कोई प्रभावी व सार्थक रूप सामने नहीं आ पाया है।

नौकरशाही के चंगुल में विकास कार्य

विकास कार्यक्रम अभी भी नौकरशाही के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया है। सभी स्तरों पर अंतिम निर्णय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मर्जी से ही हो रहा है। चूंकि पंचायतीराज के माध्यम से अब इन्हें संचालित होना है, अतः प्रकारान्तर से पंचायतों पर भी नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित है। आम आदमी के प्रति जिस अविश्वास की चर्चा ऊपर की गई है, उसी के चलते पंचायती राज अधिनियम की कई ऐसी धाराएं हैं जो पंचायती राज संस्थाओं तथा उनके पदाधिकारियों एवं सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। उनका अंकुश पंचायतों को अपनी सरकार बनाने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचाना जा रहा है। पंचायतों के चुनाव से लेकर उसके सामान्य काम–काज तक में धीरे–धीरे राजनैतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ता जा रहा है। चुनावों में राजनैतिक दलों की सीधी भागीदारी तथा विकास कार्यक्रमों में बजट और कार्य का निर्णय लेने का अधिकार विधायकों और सांसदों को अपनी निधियों के माध्यम से जो प्राप्त है, उसका राजनैतिक स्वरूप पंचायतों के काम–काज को काफी प्रभावित कर रहा है। धीरे–धीरे पंचायतों के साथ भी एक राजनीतिक दलीय दृष्टि विकसित होने लगी है, जो निश्चय ही घातक है।

वर्तमान समय में गांव जीवन बुरी तरह से बिखर रहा है।

सरकार के स्तर पर इन विसंगतियों को पहचानने और उसके समाधान की कोशिश भी की जा रही है। नये पंचायती राज के लागू होने के एक वर्ष बाद ही आदिवासी क्षेत्र की पंचायतों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए, जिसके समाधान हेतु भूरिया कमेटी बनाई गई। उसकी संस्तुति के आधार पर पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के माध्यम से एक और संविधान संशोधन हुआ। इसमें ग्राम सभा की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए परम्पराओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह अलग बात है कि राज्य सरकारों के स्तर से अभी इसे पूरी तरह से व्यवहार में नहीं उतारा जा सका है। इन विसंगतियों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बड़ी गम्भीरता से लिया है। तभी तो वर्ष 1999 को 'ग्राम सभा वर्ष' घोषित करते हुए तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा समस्त मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें ग्राम सभा के सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। यह दीगर बात है कि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

टिप्पणी

1. पचायतों के उत्थान के लिए कार्य में रूचि रखने वाले सभी दलों के नेता व समाज सेवी हमारे सलाहकार समिति में जुड़ सकते हैं।
2. Subscription Policy- मासिक शुल्क – 100 रू. , तिमाही शुल्क – 280 रु., छमाही शुल्क – 550 रू., वार्षिक शुल्क 1000 रू., आजीवन सदस्यता शुल्क – 50,000 रू. (आपको यह शुल्क पंचायत सन्देश के खाते में जमा कराना होगा) जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनके लिए आजीवन सदस्यता शुल्क– 30,000 होगा ।
3. पंचायतों से जुड़े लेख और विचार अपने फोटो और इंट्रो के साथ sandeshpanchayt@gmail.com पर भेजें। अपने आर्टिकल में अगर को भी सूचना आप देते हैं तो उसका सबूत (ऑडियो विडियो, लैटर, लिंक आदि जरूर दें) ताकि हमारे द्वारा प्रेषित किये गए आर्टिकल के विषय की प्रमाणिकता बनी रहें।

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था: सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सशक्त माध्यम

सुबोध कांत सहाय
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान
अध्यक्ष अखिल भारतीय
पंचायत परिषद

स्वर्गीय राजीव गांधी– भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में जब पंचायती राज व्यवस्था को नया आयाम देकर इसे मजबूती प्रदान की, उनकी दूर दृष्टि में इस व्यवस्था में निहित केवल राजनीतिक पहलू ही शामिल नहीं थे वरन भारत की इस पुरातन शासन प्रणाली में अंतर्निहित सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को भी उन्होंने बखूबी पहचाना था। ग्राम पंचायतों को जब शासन का अधिकार प्रदान किया जाता है तो स्थानीय स्तर के लोगों की सोच और विचार भी बदलती है परिणामस्वरूप एक ऐसी पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है तथा ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है, फलतः लोग अपनी इस सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण के प्रति सचेत हो जाते हैं।

भारत में लोकतन्त्र एक शासन की प्रणाली मात्र नहीं है, यह हमारी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। वैशाली और लिच्छवी की धरती से आरंभ हुई इस शासन व्यवस्था की मूल में ग्राम स्वराज की आत्मा बसती थी। ग्राम को एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जहां से सत्ता के स्रोत की उत्पति होती है। आज भारत में करीब 2,60,515 पंचायती राज संस्थान हैं, 25,2268 ग्राम पंचायत हैं जिसमें करीब 31 लाख निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ग्राम में निवास करने वाली आबादी चाहे वो निरक्षर ही क्यों न हो उसे इस विषय का ज्ञान है की शासन हमारी सहमति से चलना चाहिए, यह मानसिक सोच ही शासन की हमारी सांस्कृतिक विरासत है। संविधान का 73 वां संशोधन इस सांस्कृतिक धरोहर का रक्षक हैं। प्रायः आम जीवन में भी भारतीय ग्राम व्यवस्था में यह बात उभर कर आती है जब एक व्यक्ति सत्ता से यह प्रश्न करता है कि निर्णय लेने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं या पूछा क्यों नहीं। यह प्रश्न उस सांस्कृतिक मानसिकता से जुड़ा हुआ है जो उसे प्राचीन लोकतान्त्रिक विरासत से मिला है।

इस धारणा की पराकाष्ठा प्रेमचंद लिखित 'पंच परमेश्वर' कहानी में भी परिलक्षित होती है जहां पंचों की भूमिका और उनका कार्य देवतुल्य माना गया है। पंचायतों में ग्रामीणों की एक ऐसी दैवीय आस्था भी थी कि पंच के आसान पर बैठ कर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या बिरादरी का हो, गलत या भेदभाव पूर्ण फैसला नहीं सुना सकता है। सत्ता के प्रति ऐसी धारणा प्राचीन यूनान या मेसोपोटामिया सहित विश्व के किसी भी कोने में दृष्टिगोचर नहीं होती है। ग्रामीण व्यवस्था में पंचों की सोच इतनी प्रबल थी कि आवश्यक नहीं किसी निर्णय लेने के लिए प्रत्येक बार ग्रामपंचायत की बैठक ही बुलाई जाय, उनका मानना था की पाँच लोगों ने जहां भी बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर निर्णय ले लिया वो निर्णय मान्य होगा। आज भी गावों में बहुधा किसी विषय पर निर्णय करने के लिए कहा जाता है 'पाँच लोगों को बुलाकर लाओ'। पंचायती राज की इस सांस्कृतिक पहलू की समझ हमें तभी मिलती है जब हम ग्रामीण जीवन शैली में निहित चिंतन और मंथन की प्रक्रिया को अपनी सोच के साथ जोड़कर देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण लोगों कि ऐसी आस्था है कि कुछ प्रान्तों में इस व्यवस्था के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव देखा जाता है । ऐसा ही एक उदाहरण महाराष्ट्र के सांगली जिले के तहत मिराज प्रखण्ड के कवाथे पिरण ग्राम पंचायत का है जहां जब से इस गाव में ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक निर्विरोध रूप से श्री मारुति माने सरपंच चुने जाते रहे हैं। आश्चर्य की बात है इस पंचायत कि महिलाओं का भी निर्विरोध चुनाव होता रहा है। श्री माने ने ग्राम पंचायत के माध्यम से इस ग्राम को अनेक व्यसनों से मुक्त कर एक आदर्श ग्राम का निर्माण किया जिसकी वजह से इस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने 25 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया।

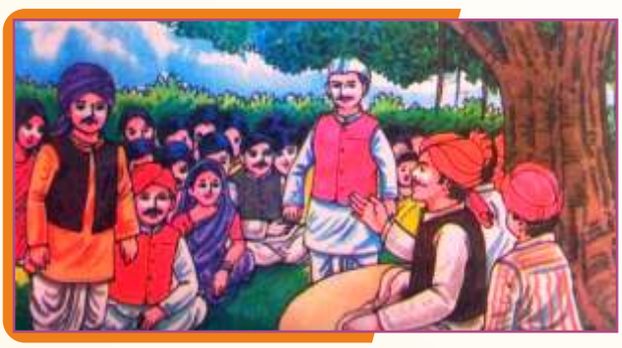

सोनिया फलेरिओ की लिखित पुस्तक 'रुरल इंडिया आयरन लेडी' में झारखंड के कोडरमा जिले स्थित झारकी बीसलपुर में सरपंच शीला देवी के अदम्य साहस और श्रम का उल्लेख मिलता है जिन्होने अपने प्रयत्नों से इस भीषण वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणो कि दशा में पंचायत राज के माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन किए। झारखंड, बिहार से वर्ष 2000 में पृथक होने के बाद वर्ष 2010 में इस प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव हुए। शीला देवी 1993 में संविधान संशोधन के उस प्रावधान कि लाभूक हैं जिसके द्वारा यह तय किया गया कि पंचायतों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। झारखंड में खनिजों के दोहन के लिए जब वन में निवास करने वाले लोगों को विस्थापित किया गया तब शीला देवी ने वर्ष वन अधिकार अधिनियम 2006 के उस प्रावधान की दुहाई में संघर्ष

किया जिसके तहत यह वर्णित है कि खनिजों के दोहन के लिए वनवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार राजस्थान में 'बाल पंचायत' की सफलता की कहानी है, बाल पंचायत एक तरह के स्कूली बच्चों की अनिर्वाचित छदम पॅचायत व्यवस्था है जहां स्कूली बच्चे पंचायती राज का मूक रूप से आचरण करते हैं, कोई इनमे से सरपंच बंनता है और ग्राम की समस्याओं पर चर्चा और बहस करता है। इसी बाल पंचायत की 11 वर्षीय सरपंच पूजा गुजर नें अपने प्रयासो से ग्राम पंचायत को प्रत्येक स्कूलों में रसोईघर बनाने के लिए बाध्य किया।

पंचायती राज व्यवस्था को जीवन के सभी क्रिया कलापों में मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रेरित होकर 1997 में प्रांचायती राज विभाग द्वारा में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के एक बैठक बुलाई गई जिसमें पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि, पंचायती राज संस्थानों की आर्थिक निर्भरता, प्रशिक्षण एवं विकास के प्रतिमानों पर विशेष और विस्तृत चर्चा हुई। आज की परिस्थिति में यह एक प्रमाणित सत्य है कि जिस पंचायती राज की औपचारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू को स्वर्गीय राजीव गांधी ने करीब से समझा और इस धारणा को मूर्त रूप देने की शुरुआत की कि सत्ता का उद्गम स्रोत ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत है, इस सच्चाई को समय और काल के दौरान चाहे जिसकी भी सरकारें रहीं, कभी भी अवहेलना नहीं कर पाई और भविष्य में भी यदि इस धारणा से परें नीतियों का निर्माण होता है तो भारत कि संघीय व्यवस्था के ढांचे पर इसका असर पड़ेगा।

Evergreen Nursery

गुणवत्ता और सुंदरता का दूसरा नाम। रेलवेके नए प्रोजैक्ट की ओर अग्रसर

Shri Kalicharan
Chief of Execution
Ph.: +91-93121 73679

Accountability of Mukhiyas/Sarpanches of Panchayats in India

Dr. Smita Agarwal
Assistant Professor
Deptt. of Political Science
University of Delhi

Decentralization can best be understood as a political process in the sense of the devolution of resources, tasks and decision-making power to democratically elected lower-level authorities, which are largely or wholly independent of the central government (World Bank, 2004). It is rational to argue that decentralization facilitates time-specific and location-specific knowledge to implement policies that influence people's welfare. Decentralization in political, fiscal, and economic systems affects development outcomes in a number of ways. First, decentralized provision of social and physical infrastructures should correspond with the diverse demand conditions in different regions and match their resource endowments better than central provision. Even with regard to the provision of quasi-public goods, identification of target groups of beneficiaries is easier and implementation of policies more effective when undertaken by decentralized governmental units (Ostrom et al., 1993).Second, the decentralized governmental units function within a large nation-wide unified market free from impediments to the movement of factors and products, it can provide a congenial environment for the efficient functioning of the market economy. Thus, drawing on the decentralization theorem introduced by Oates (1972), in an ideal decentralized system, existing resources will be allocated to yield the maximum possible output (locating on the production possibility frontiers) and the competitive environment including inter-governmental competition will be conducive for technological progress(shift in the frontier). Further, decentralization may increase the probability of empowering local elites in capturing a larger share of public resources at the cost of the poor (Dreze, J. and Sen, 1996).

Armed with philosophy of decentralization along with political environment of India, the Government of India passed a series of constitutional reforms in 1993 to democratize and empower local administrative institutions beyond the two tiers of the Center and the States in the third tier of local governance that has been divided into three layers of district, sub-district and village levels in terms of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act for rural and urban areas respectively. With the coalition government at the center composed of different regional parties ruling at state who are mostly the partners of the coalition, the case study of Indian experience of decentralization provides an important context of understanding the ways in which decentralization can influence overall socio-economic welfare. The experiences of different States with respect to decentralization vary a lot. Though the literature on federalism explains the economic gains from decentralized decision making and related issues there are very few empirical studies examining the causal relationship between decentralization and development outcomes. Much of the demonstrated gains are in the nature of assertions or qualitative statements. This study, attempts to analyze the impact of decentralization in India that tends to create its own system of patron-client relationship. Thus it dissolves the issue of participation and accountability which was the central concern of decentralization. This is the result of the decentralization process which occurred without adequate fiscal decentralization that creates such complexity.

Power control by Mukhiyas / sarpanches

A close study of the structure of panchayats in the villages show that mukhiyas/ sarpanches (head of the elected body) have a lot of avenues to control power and resources. Recent reports by the ministry of panchayati raj and declarations by various chief ministers show that panchayats have become the implementing agency for central and state sponsored programmes. As a result they have a lot of resources at their disposal. Along with this the power structure at the rural level plays to make them powerful without being accountable. For example, making ration cards and employment cards that happen after every election of the panchayats leads to deletion of old people and inclusion of new people depending upon who gets elected. This is in concurrence with satisfying and gratifying people who have voted for the elected

representative. This has therefore led to a patron-client relationship which has diluted the participatory potential of the Gram sabha. Proximity to the voters has been converted into a curse as they are victimized for not voting for the elected representative. This has weakened democratic potential of these institutions. This is because they are denied the benefits in form of government programmes that are parceled to its supporters.

At the same time the elected mukhiya/sarpanch is also over burdened to fulfill the demands and expectations which do not fall under their administrative arena but have to otherwise do else they would lose their supporters. For example solving personal problems like domestic and finances for marriage of daughters or taking sick people to hospital etc; the mukhiya/sarpanch is expected to take care of all their problems. So the work of elected leaders increases manifold thus making it imperative for other family members to help the mukhiya/Sarpanch. Mukhiya/Sarpanch for the village was not only a source of authority, and an intermediary to the government but much beyond that. He/she is seen as an arbitrator, a judge, a patron and a dependable person in the village, but above all that the villagers think it to be their duty to help them in such a crisis because they had voted for them. Vote is seen as a mechanism to ascertain that the person who becomes the representative would serve them in these situations. So the performance of a mukhiya is not judged in the village (as some scholars judge them to be) based only on the formal governmental work and development parameters. His/her behavior and nature is judged by the way he/she involves or takes part in the problems of common villagers. This expectation creates an unsaid pressure of being everywhere.

The common villagers are dependent on the mukhiyas for other benefits that no one cares to strongly oppose him/her and above that they have loyal supporters who get things in their favor. There is a high percentage of those who cite corruption at the level of mukhiyas in distribution of schemes and benefits that disdains them from attending such meetings. They complain of a high degree of nepotism whereby relatives, friends and other loyalists only seem to benefit from the schemes. This also is a general phenomenon across all panchayats- whether male headed or female headed. Since gram sabhas are meant to fulfill everyone's interest when some are left out they decide to opt out of it. So it is seen that panchayats have definitely bridged the distance between ruler and ruled through gram sabhas that has the sole authority for passing any programmes to be implemented but some groups are left behind. This is in sharp contrast to functioning of legislatures and Parliament where there is no direct involvement of the people for whom policies are made. Mukhiyas have to take care of the public for non-official work also; nonetheless it has failed to devolve decision-making to the people. Mukhiyas have come to occupy another tier in the functioning of the government.

Conclusion

Thus we see that panchayats despite being a decentralized organization have not been able to fulfill its aim of participation and accountability. They have become implementing agencies of the center and state. This arises from the fact that panchayats are not independent in terms of finances. In order to bridge this fallacy, panchayats need to have tax raising capacity. This requires political will as panchayats are state subjects. State elites see panchayats as voter constituents so giving them freedom would pose a greater challenge to leadership. Since panchayats have 29 subjects it requires autonomy.

टिप्पणी

4. स्वामी अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, प्रकाशक, मुद्रक, व संपादक– बद्री नाथ नें दिल्ली से बलवंत राय मेहता अखिल भारतीय पंचायत परिषद 368, पंचायत धाम मयूर बिहार फेज– 1, दिल्ली –1100 91 से प्रकाशित किया है।
5. प्रकाशित रचनाओं में दिए गए तथ्यों से सम्बंधित विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रकाशित सामग्री से सम्बंधित विवाद दिल्ली न्याय के अधीन ही तय किये जायेंगे।
6. मुख्य पृष्ठ या प्रकाशित मॉडल एवं चित्रों से कथा का कोई सम्बन्ध नहीं है और नहीं प्रकाशित विज्ञापनों से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक है।
7. आप अपना विज्ञापन और लेख देनें के लिए sandeshpanchayt@gmail.com पर मेल करें या पंचायत संदेश के ऑफिस में शुकवार व शनिवार को मीटिंग करने आ सकते हैं।

संपन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही प्रशस्त होगा आत्मनिर्भर भारत का मार्ग

अजय प्रियदर्शी
अनुभाग अधिकारी,
भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय

परिचय : भारत में कुल ग्रामों की संख्या है 5,93,731 और कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसलिए सम्पन्न व स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बिना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तर्कसंगत नहीं होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए असंख्य योजनाओं के माध्यम से कई हजार करोड़ रुपये व्यय किये। अनेक योजनाएं सफल भी हुईं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि प्रमुख योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के कार्यान्वयन से ग्रामीण आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक विकास हुआ है। भारत के लगभत प्रत्येक गावों में सड़क, बिजली, पेय जल आदि मूलभूत सुविधाएं, इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचायी जा चुकी हैं। परन्तु, किसी भी योजना में लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके अध्ययन के लिए अनेक आयोग और समितियों का गठन भी किया गया। उन आयोगों–समितियों के प्रतिवेदनों से भी ये स्पष्ट होता है कि लगभग सभी ग्रामीण विकास योजनाओं से वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। जिसका एक बड़ा कारण भारतीय ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रारूप बनाते समय प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूलभूत संरचना को उचित महत्व न देकर आधुनिक तकनीक व अन्य राष्ट्र के ग्रामीण योजनाओं के प्रतिरूप पर विशेष ध्यान देना है।

सन 2020 के प्रारम्भ में कोरोना महामारी फैलने के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे प्रवासी कामगार लाखों की संख्या में अपने अपने क्षेत्र में लौटने को मजबूर हो गए, जिसके चलते उन क्षेत्रों में जीविका के लिए रोजगार की एक बड़ी गंभीर समस्या देश के सामने आ खड़ी हो गयी। वर्तमान सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न इस परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, 20 जून 2020 को 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' नाम से निश्चित समय सीमा के लिए विशेष योजना प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य 6 राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में लाखों की संख्या में लौटे प्रवासी कामगारों को उनके अपने क्षेत्र में जीविका के लिए रोजगार सृजन करना था। 50 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित इस योजना

से आशानुरूप सफलता भी प्राप्त हुई। परन्तु, प्रश्न ये है कि क्या रोजगार सृजन की ऐसी व्यवस्था स्थाई है? यदि स्थाई नहीं है तो क्या यह प्राचीन आत्मनिर्भर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना की तरह या उन व्यवस्थाओं को को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार स्वतः चक्रीय रोजगार सृजन के लिए एक प्रभावी योजना बना सकती है? जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना को उसके मूल स्वरूप में वापस लाकर उसे स्वरोजगार सृजक बनाया जा सके और सभी ग्रामीण वर्ग के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके?

चर्चा का विषय यह भी है कि, वर्षों से सत्ता द्वारा उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसकी दुर्दशा से उत्पन्न प्रवास जैसी गंभीर समस्या है, जिसके कारण लाखों की संख्या में ग्रामीण लोग रोजगार की खोज में शहरी क्षेत्रो में पयायन करते हैं। क्या पलायन की ये समस्या प्रारम्भ से रही है या बदलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम है?

इस लेख का उद्देश्य, ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने वाले जिम्मेदार सरकारी निकायों का ध्यान उन उपेक्षत बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना है, जिन्हें प्रारूप बनाते समय समाहित करने से ग्रामीण विकास योजनाओं में आशातीत सफलता प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा के लिए जो बिंदु निर्धारित किये है, निम्नलिखित हैं:

(क) प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परंपरागत भारतीय कृषि पद्धति;

(ख) प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा और उसके मूल स्वरूप;

(ग) बाहरी समाज, सत्ता, प्रशासन आदि के प्रभाव वश आधारभूत ढांचे और मूल स्वरूप में परिवर्तन;

(घ) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण या प्रशासन पर निर्भरता;

(च) आत्म निर्भर प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ, प्रशासन पर निर्भर आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन;

(छ) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः आत्मनिर्भर बनाने हेतु संभावित समाधान।

अब हम बारी–बारी से उपर्युक्त बिन्दुओ पर चर्चा करते हैं।

प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परंपरागत भारतीय कृषि पद्धति

हमारे देश में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 39 करोड़ 46लाख एकड़ है,जो अमेरिका के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। इतना बड़ा कृषि क्षेत्र पूरे विश्व जनसंख्या का पेट भर सकता है। प्राचीन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के कृषि उत्पाद का व्यापार पूरी दुनिया में अन्य समुदायों के साथ होता आया है। इतना ही नहीं प्राचीन काल में भारतीय कृषि उत्पाद विशेष कर खाद्य पदार्थ और भारतीय मसाले की मांग विश्व के अन्य भू–भागों में सदा से अधिक रही है और इसका लाभ सदा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषको को मिलता रहा है। विश्व में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग अधिक होने का प्रमुख कारण परंपरागत कृषि पद्धति और उच्च गुणवत्ता की मृदा का होना माना जाता था। परंपरागत कृषि पद्धति का अभिप्राय कृषि की उस प्राचीनतम चक्रीय पद्धति से है, जिसमें कृषिकार्य और मवेशीपालन एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं तथा इसको स्थानीय भौगोलिक पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय कृषि संस्कृति की सहायता से ही किया जाता है।

यहां हम ये बताते चलें कि भारतीय गोवंश वे नहीं है जिनके पालन का

चलन व्यावसायिक लाभ हेतु अधिक दूध के लिए विगत कुछ दशकों से भारत में हुआ है। इन्हें प्रयोगशाला की सहायता से व्यवसाय के लिए विकसित किया गया है जिनका जीव–वैज्ञानिक नाम बॉस टॉरस है। भारतीय गोवंश और बॉस टॉरस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय गोवंश के पीठ के अग्रभाग पर एक उभार होता है, जिसे सूर्यकेतु नाड़ी कहा जाता है और इसका आध्यात्मिक और चिकित्सीय महत्व है, जबकि बॉस टॉरस का पीठ सपाट होता है। भारतीय गोवंश के दूध में पोषण के लिए आवश्यक सभी तत्वों के अलावा स्वर्णभस्म भी पाया जाता है, जिसके सेवन से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि बॉस टॉरस के दूध पर अनेक शोध में ये पता चला है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है तथा कई रोगों के जनक भी हो सकते हैं।

प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा और उसके मूल स्वरूप

परंपरागत कृषि पद्धति भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुलभूत ढांचे का प्रमुख स्तम्भ है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में इन्ही का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस तथ्य को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिये मैं एक मंझोले स्तर का किसान हूं और मेरे पास दस एकड़ कृषि भूमि तथा दस गोवंश हैं। एक साल में परंपरागत जैविक कृषि से मैं खरीफ फसल के अंतर्गत 6 क्विंटल बासमती चावल, 2 क्विंटल मक्का और 1 क्विंटल बाजरा और रबी फसल में 8 क्विंटल गेहू, 2 क्विंटल जौ और 2 क्विंटल मटर प्राप्त करता हूं। इन फसलों के लिए कुल नौ एकड़ भूमि का प्रयोग करता हूं तथा एक एकड़ भूमि, मवेशी चारा और सब्जी आदि के लिए प्रयोग करता हूं। इनके लिए बीज पिछले वर्ष से प्राप्त फसलों से लेता हूं, जिसकी लागत शून्य है। खाद के लिए गोवंश द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का प्रयोग करता हूं, जिसकी लागत शून्य है। कीटनाशक के लिए सामान्यतः देशी–विदेशी पक्षियों को उनके अनुकूल वातावरण बनाकर उनसे लाभ लेता हूं। फिर भी समस्या रहने पर जैविक कीटनाशक का प्रयोग करता हूं, जिसकी लागत भी शून्य ही है। केवल इन फसलों से मेरी कुल वार्षिक आय की गणना निम्नलिखित है :

6 क्विंटल बासमती चावल	:–	48,000 रुपये,
2 क्विंटल मक्का	:–	12,000 रुपये
1 क्विंटल बाजरा	:–	4,000 रुपये
8 क्विंटल गेहूं	:–	20,000 रुपये
2 क्विंटल जौ	:–	8,000 रुपये
2 क्विंटल मटर	:–	4,000 रुपये
कुल आय	**:–**	**96,000 रुपये**

इसके आलावा जैविक मौसमी फल आम, अमरूद, अनार आदि तथा मौसमी सब्जी से अतिरिक्त आय लगभग 90,000 रुपये निम्नतम है। अब हम गोवंश से होने वाले आय की गणना करते हैं। 10 में 4 गोवंश लगभग 32 लीटर प्रति दिन की गणना से शुद्ध जैविक दूध से वार्षिक आय 6,91,200 रुपये प्राप्त होता है। शेष गोवंश कृषि कार्य में सहायता कर आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं।

अब हम परंपरागत कृषि पद्धति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हैं। मैं 10 एकड़ के परम्परागत कृषि और दस गोवंश के साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान कैसे देता हूं, इसे सरलता से समझने के लिए आप सबसे पहले ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान के लाईये। उस समय भारत के लगभग सभी गांवों में कृषि की वही परंपरागत पद्धति का चलन था। कृषि कार्य बुआई, सिंचाई और कटाई, आदि हेतु श्रमिकों का एक अलग श्रमिक समाज होता है, जिन्हें श्रम के बदले कृषि उत्पाद का एक भाग दिया जाता है जिससे उनके भरण पोषण हेतु खाद्यान्न आदि सुनिश्चित हो जाता है। कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले धातु आदि यंत्रों की रचना और रखरखाव आदि के लिए एक कारीगर समाज होता है जिनकी सेवाएं मुद्रा या कृषि उत्पाद के बदले भी ली जाती हैं। इसी तरह गोवंश या मवेशी के पालन पोषण, इनका सेवा–सुश्रुषा आदि एक विशेष ग्राम समाज के द्वारा संपन्न होता है, जिन्हें सेवाओं के बदले कृषि या दुग्ध उत्पाद दिया जाता है। कृषि या अन्य प्रयोजन में प्रयोग होने वाले काठ की वस्तुए तैयार करने वाले काठकार या बढ़ई का अलग वर्ग होता था। इस तरह ग्राम के सभी समाज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े होते है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में कृषि कार्य ही होता है।

अब हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे को भारतीय परंपरागत कृषि और भारतीय धार्मिक और सामाजिक त्योहार, परंपरा, संस्कृति आदि की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते है। कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है। यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करे तो पता चलता है की भारतीय त्यौहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। सभी भारतीय त्योहारों का भारतीय कृषि, जलवायु और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है। इन त्योहारों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से उन दिनों संचरण करती है और समाज के सभी वंचित वर्ग को लाभान्वित करती है, जो कृषि कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते है तथा जिन्हे उन कठिन दिनों में आवश्यकता होती है, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका शिथिल पड़ जाती है। ग्राम समाज का एक वर्ग जो कृषि कार्यो में सक्रिय नहीं होते, इन धार्मिक, सामाजिक त्योहारों से जुड़े क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं और इन्हे आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होते हैं।

बाहरी समाज, सत्ता, प्रशासन आदि के प्रभाववश आधारभूत ढांचे और मूल स्वरूप में परिवर्तन

भारतीय ग्रामीण समाज की समृद्धि और इसके अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता प्राचीन काल से ही अन्य मानव समुदायों के लिए प्रतिस्पर्धा और शत्रुता का कारण रहा है, जिसका मूल्य भारतीय ग्रामीण समाज को बाहरी टकराव, षडयंत्र, आक्रमण आदि के रूप में चुकाना पड़ा है। हुणो, मंगोलो, लम्बे समय तक मुसलमानों का भारत पर आक्रमण और अंत में यूरोपीय देशों का व्यापार की आड़ में राजनैतिक षडयंत्र अदि कुछ इसके दुष्परिणाम और उदाहरण है। इन बाहरी आक्रमणों में सबसे अधिक गंभीर परिणाम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी प्रशासन के उपनिवेशवाद के सिद्धांतों का रहा है, जिसके कारण न केवल भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण हुआ बल्कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए सत्ता के बलप्रयोग और षड्यंत्र से, अंग्रेजी प्रशासन ने हमारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप करके इसके मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर बहुत क्षति पहुंचाया है। लगान व्यवस्था, नील और अन्य व्यावसायिक फसल की जबरन खेती, भारतीय परंपरागत कृषि के चलन को समाप्त करने तथा इसके प्रशासन पर निर्भरता के लिए अनेक कानूनों को लागू करना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण है। इसके आलावा भारतीय ग्रामीण समाज पर आधुनिकता और सामाजिक विकास के नाम पर आधुनिक भौतिकवादी और इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति का बहुत गंभीर परिणाम पड़ा है, जिसके कारण हमारा ग्रामीण समाज कृषि कार्य या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से विमुख होकर बड़ी संख्या में शहरी अर्थव्यवस्था से आकर्षित होकर पलायन कर चुके हैं। निःसंदेह इसका हमारे ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर परिणाम पड़ा है और इसके ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण या प्रशासन पर निर्भरता

ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि प्राचीन व आधुनिक में से कुछ केंद्रीय सत्ताधारी शासन को छोड़कर शेष सभी सत्ताधारी, भारत के ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विरोध में ही रही है, ये उनके शासनकाल में लिए गए निर्णयों और उनके द्वारा बनाये तथा लागू किये गए करों से स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता थी। इसके स्वावलम्बी होने के कारण ये बाहरी प्रभाव् से एक सीमा तक सुरक्षित थी। उन्होंने सबसे पहले भारतीय स्थानीय कृषि उत्पादों को बड़े बाजार के लिए निकृष्ट घोषित कर दिया। फिर भारतीय कृषि पद्दति को अमान्य कर दिया। भारतीय कृषक विवशता में या तो कृषि कार्य छोड़ अन्य आर्थिक कार्य में लग गए या उनके द्वारा लागू किये गए कानून और दिशानिर्देश के अनुसार कृषि करने लगे। परिणामतः इसका दुष्परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से हो गयी और कृषि कार्य से जो आर्थिक लाभ ग्रामीणों के हर समाज के वर्ग को मिलता था, वो लाभ अब सत्ता और प्रशासन के हाथो चला गया। इस तरह भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता क्षीण होती चली गयी।

आत्मनिर्भर प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ, प्रशासन पर निर्भर आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

हमारे देश के लगभग तीन हजार वर्षों के शासन प्रशासन का इतिहास का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो पता चलता है कि सभी सत्ताधारियों की सबसे अधिक रुचि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यस्था की समृद्धि को लेकर ही रही है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर आत्मनिर्भरता का ही है। जहां प्राचीन काल में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से समृद्ध और आत्मनिर्भर थी, वहीं आज आधुनिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यस्था किसी भी दृष्टि से आत्मनिर्भर तो है ही नहीं बल्कि इनके अस्तित्व पर ही संकट का बादल मंडरा रहा है। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि ऊपर अनेक बिन्दुओं पर चर्चा करने से स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यस्था में कृषि की भागीदारी और कृषि कार्य पर आधारित प्राचीनतम काल से स्थापित सामाजिक संरचना को केंद्रीय सत्ता द्वारा अपने राजनैतिक हित के लिए ध्वस्त कर उनके मूलभूत ढांचे को बदल कर अपने अनुरूप ढालना है। 1894 में लैंड एक्वीजिशन एक्ट, 1938 में एग्रीकल्चर एक्ट, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम आदि वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने प्राचीन आत्मनिर्भर स्वरूप को लगभग पूरी तरह खो चुकी है।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः आत्मनिर्भर बनाने हेतु संभावित समाधान

इसमें कोई संदेह नहीं की भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भों में कृषि ही नहीं है, अपितु परंपरागत भारतीय कृषि पद्धति है, जो इसे समृद्ध और स्वावलम्बी बनाती है। अर्थात् कृषि को भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अलग कदापि नहीं किया जा सकता अब मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यद्धपि इसका उत्तर सकारात्मक है, तथापि इतना व्यापक, जटिल और कठिन है कि इसे समझने के लिए इस लेख में उद्धत सभी तथ्यों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से अलग अलग विश्लेषण और विवेचना कर उसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरचना में व्यवस्थित करके सघन अध्ययन करना होगा। अब चूंकि भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए कोई भी सामाजिक परिवर्तन बिना राजनैतिक और संवैधानिक हस्तक्षेप के बहुत कठिन होगा। हालांकि जनजागरण और जनचेतना भी एक विकल्प है। परन्तु, वर्तमान परिस्थिति में भारतीय समाज की विविधता और सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकार के कारण बहुत चुनौतीपूर्ण भी है।

फिर भी में यहां भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः आत्मनिर्भर बनाने में सहायक कुछ संभावित समाधानों पर चर्चा करना चाहता हूं, जो मेरी दृष्टि में व्यावहारिक भी है और क्रियान्वयन की दृष्टि से कम जटिल भी। इसमें दो मत नहीं हो सकते है कि भारत सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यस्था को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर इसे पुनर्गठित कर सकती हैं। परन्तु, इस संवैधानिक प्रक्रिया में अनेक वैधानिक जटिलताएं हैं जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होंगी। फिर भी सरकार मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ इसे कर पाने में सक्षम हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषकों को अनेक वैधानिक जटिलताओं से मुक्त करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर सकती है। दूसरा विकल्प है जनचेतना और जनजागरण का, जिसका क्रियान्वयन राजनैतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर किया जा सकता है और सरकार का इसमें निम्नतम हस्तक्षेप हो सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक संगठनों, ग्रामीण संगठनों और ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने पुराने मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरण अभियान चलाना होगा। निःसंदेह इसमें सरकार का सहयोग वांछनीय है।

महिला सशक्तिकरण के लिए शादी के उम्र में बढ़ोत्तरी के अलावा ढेर सारे सुधारों की है जरूरत

सीमा समृद्धि कुशवाहा
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,
राष्ट्रीय प्रवक्ता बसपा

महज संतान उत्पत्ति के लिए मुख्य अवयव मानी जाने वाली महिला के जीवन काल में उसके स्वयं के गर्भ में प्रवेश से लेकर गर्भ धारण करने तक का काल भले ही महज एक प्राकृतिक क्रिया के रूप में देखा जाता है परन्तु यह मातृत्व भाव की प्राकृतिक क्रिया पूर्ण रूप से परिवार के पित्रसत्तात्मक रवैये पर निर्भर करती आई है। जिस मातृत्व भाव के ढोल नगाड़े महिलाओं की समाज के प्रति जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए बजाए जाते हैं वे ज्यादा सुखद सुनाई पड़ते हैं। यदि उस गर्भ धारण करने वाली महिला की सहमती या असहमति का कोई तात्पर्य होता तो आज सशक्तिकरण के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती। भारत में यथास्थिति और भी बदतर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सुर्वेक्षण के अनुसार 23.3 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में होता है जबकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु की महिला को पूर्ण रूप से विवाह हेतु प्रतिबंधित करता है।

यही आकड़ा और भी दयनीय स्थिति में तब आ जाता है जब सुर्वेक्षण देश के गरीब समाज में किया जाता है जिसके तहत 75 प्रतिशत से ज्यादा युवतियों की शादी 18 वर्ष होनें से पूर्व में कर दी जाती है। समता पार्टी की मुखिया जया जेटली जी की अध्यक्षता में बनी 10 सदस्यीय समिति अपनी सिफारिशों में युवतियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़कर 21 वर्ष करने की बात कही है परन्तु पुराने अनुभव से यह कितना धरातल पर उतारा जा सकेगा यह कहने में व्यापक संकाएँ सभी के मस्तिष्क में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। स्वयं जया जेटली नें एक साक्षात्कार में कहा है कि मातृ एवं शिशु स्वस्थ्य प्रजनन पोषण परिवार नियोजन एवं शिक्षा तक सुगम पहुच व महिला सुरक्षा आदि पर ध्यान दिए बिना यह विधेयक खराब राश्ते पर कठोर परिवहनीय होगा।

2008 में सिविल सोसाइटी समूह द्वारा याचिका दाखिल करके दोनों ही लिंगों की शादी की उम्र 18 वर्ष करने की मांग की गई। याचिका के पक्ष में इंडियन मेरिज एक्ट 1878 का हवाला दिया गया। भारत में महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए समय समय पर विधेयक पारित होते रहे हैं फिर चाहे वह हिन्दू कोड बिल हो या फिर पिता की भूमि में पूत्री को बराबर अधिकार देने हेतु पारित करने वाला कानून हो परन्तु यथा स्थिति में जो सुधार होना चाहिए उस आनुमानित स्थिति से हम कोशों दूर हैं। बात महिलाओं के संवैधानिक आरक्षण उनके सशक्त अनुसंधान और गैर बराबरी के रवैये, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न महिला मेहनताना में बराबर के अवसर सुरक्षित वातावरण, यौन आरोग्यता हेतु स्वच्छता आदि होनी चाहिए। केंद्र को इन सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द तमाम अधिनियम लाकर देश के नागरिकों को महिला सश्क्तिकरण की दिशा में जागरूक बनाने पर जोर देना चाहिए।

लेखिका ऐतिहासिक निर्भया केश की पैरवी की वजह से चर्चित रही हैं।

With an aim of women empowerment andvto make women financially independent Mrs. JebaSelvan led a foundation of Women and Children Welfare Trust in year 2012 and got registered in year 2015. The self help group was started in 2012 with 60 members in 6 group which is now estimated to 8000 plus members in 860 groups.

Mostly in rural area people are uneducated and unaware of their rights. Lack of knowledge left them to get loan from societies and finance at high interest. To overcome this problem our help them to get loan from bank at low interest and easy EMI. Which help people to start their small business and become financially independent. To encourage women empowerment and to make women financially independent our NGO is impacting training in local available raw material such as Food Processing Training, Pickles and Phenyl Making, Mask &Jute Bag Making, Papad Making, Masala Powder Making , Jam &Jelly Making, Baking Biscuits, Seeets Makingetc. Is provided for Skill Development and Income Generation at our training center.

At the pandemic time of corona NGO provided needy people with daily staff like grocery, fruits, vegetables etc, Mrs. Jeba Selvan NGO also managed to allote 10 crores of loan from bank in one month to the needy people at low interest and easy EMI.

Our NGO also promoters program from rural development. Awareness program are conducted to make people aware hygin and Cleanliness. Scholarship are given to the student specially to girls to promote girls education. With hard work and full dedication of Mrs. Jeba Selvan our NGO women and children welfare Trust (r.), Belapu-Udupi, Karnataka had successfully completed 10 years and we hope to continue the same in future.

कृषि अधिनियम–2020: अर्श से फर्श तक

डॉ. हंसराज 'सुमन'
एसोसिएट प्रोफेसर
श्री अरबिंदो कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
hansrajsumandu@gmail.com

किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि–

"उन घरो में जहाँ, मिट्टी के घड़े रहते हैं,
कद में छोटे हो, मगर लोग बड़े रहते हैं ।"
(सर्वश्रेष्ठ किसान उद्धरण हिंदी में, 2021)

उक्त पंक्ति भारत के संदर्भ में किसानों की महत्ता को प्रदर्शित करती है। किसान को यदि धरती का भगवान कहा जाय तो यह अतिश्योक्ति नही होगी क्योंकि किसान ही इस धरती पर ऐसा सजीव प्राणी है जो धरती से अन्न उपजाता है तो हर किसी के लिए जीवन जीने हेतु भोजन उगाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में किसान को "धरती का अन्नदाता" कहा गया है लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद विकास की अंधी दौड़ में आज का किसान समय के साथ कही न कही पिछड़ गया है।

आजादी के बाद, विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और नीतियां शुरू की गई हैं। यह कहना दुःखद होगा कि कि कृषि और खेती के लिए कई योजनाओं और नीतियों को शुरू करने के बावजूद भारत में किसानों की स्थिति अभी भी हाशिए पर है। हाल ही में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए सितंबर 2020 में एक संशोधित कृषक अधिनियम प्रस्तुत किया है। इसे 2022 तक कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थिति को ऊपर उठाने की दृष्टि से पेश किया गया था।

कुल अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2020–21 में बढ़कर 20.2 प्रतिशत रहा है। (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 2021) और कुल जनसंख्या का 56.6 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। (कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, 2022)

संशोधित कृषक अधिनियम–2020 में किसानों के लिए 3 संशोधन प्रस्तावित थे–

1. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक,
2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता,
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक।

संशोधित कृषक अधिनियम–2020 के पक्ष में सरकारी तर्क–

- किसानों के पास अपनी उपज को बेचने के लिए एक विशाल क्षेत्र और एक वैकल्पिक चैनल होगा जिससे उनके अनुकूल प्रतिस्पर्धा बाजार तैयार होगा।
- किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में कमीशन एजेंटों को कमीशन देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसानों की असुरक्षा को खत्म करना है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य यथावत रहेगा और सरकारी खरीद पूर्ववत् जारी रहेगी।
- मौजूदा एपीएमसी प्रणाली व्यापारियों के नेतृत्व में एक कार्टेल निर्माण की ओर ले जाती है।

संशोधित कृषक अधिनियम– 2020 के विपक्ष में तर्क–

- फार्म बिल भारत की सहकारी संघवाद की परिकल्पना को सीमित करता है और प्रत्यक्ष रूप से राज्य के कार्यों का अतिक्रमण करता है। संविधान कहता है कि कृषि और बाजार राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें अब बाजार शुल्क और उपकर एकत्र नहीं कर पाएंगी, इससे राज्य सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान होगा।
- एपीएमसी की मंडियों का विलोपन अग्रसारित हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का उन्मूलन होने की प्रबल संभावना है। हालांकि सरकार एमएसपी का आश्वासन देती है। लेकिन कोई भी वर्तमान प्रस्तावित कानून इसे अनिवार्य नहीं करता है। किसान एमएसपी को लेकर ही सर्वाधिक चिंतित हैं।
- प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसानों को फसलों के उत्पादन से पहले कृषि समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। यदि कीमतों में भिन्नता है, तो अनुबंध में एक गारंटीकृत मूल्य और अतिरिक्त राशियों के लिए स्पष्ट संदर्भ शामिल होना चाहिए। चूंकि मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र नहीं है, इसलिए किसान मूल्य शोषण से सुरक्षित नहीं हैं। हमारे कृषि क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण शोषण की संभावनाएं हैं। जैसे कि– कानूनी लड़ाई की आवश्यकता होने पर किसानों के पास संसाधनों की कमी होगी।

संशोधित कृषक अधिनियम– 2020 के कल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व शर्तें–

- बिचौलियों के बहिष्करण से किसानों को तभी लाभ होता है जब उनके पास बाजार, भंडारण सुविधाओं, बिजली की आपूर्ति और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के लिए एक अच्छी तरह से गठित बुनियादी ढाँचा होता है जिससे किसान की उपज खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा का निर्माण संभव हो सके।
- किसानों की असुरक्षा का मुकाबला करने के लिए सरकार को एमएसपी और सरकारी खरीद को वैधानिक समर्थन भी देना चाहिए।
- एक ओर, नया विधेयक कृषि आय में सुधार करता है, निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करता है, दूसरी ओर, राज्य सरकारें अपनी आय पर अधिकार को खोते हुए प्रतीत होती हैं।
- भारत में आधी आबादी कृषि को रोजगार देती है। इसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है, लेकिन नए कृषक अधिनियम और इससे संबंधित विवादों से किसानों की परेशानी का समाधान होने की संभावना नहीं है। बिल क्रांतिकारी साबित हो सकता है लेकिन सरकार को किसानों की चिंताओं को दूर करने और उनकी अनिश्चितताओं को खत्म करने की आवश्यकता है। समस्याओं को दूर करने के लिए खुली परिचर्चा के माध्यम से परिमार्जन की आवश्यकता है।

सारांश

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वप्रथम संगठित कृषक आंदोलन उद्वरित हुआ है। इस देशव्यापी संगठित आंदोलन को कृषक अधिनियम– 2020 की परिणति मानना अतिशयोक्ति नहीं होगा।

एक अनुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं पर विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से एवं 700 लोगों (लगभग) के बलिदानों से सिंचित इस आंदोलन की सफलता का श्रेय कृषकों के साथ साथ अन्य श्रमजीवी वर्ग (यथा– भूमिहीन मजदूर, सूक्ष्म कृषक एवं कृषक महिलाएं इत्यादि) के समर्पण एवं एकजुटता को भी जाता है।

'ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों ..... लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम रहे।' (राजकेश्वर सिंह, 2021)

देशव्यापी जनसमर्थन एवं बौद्धिक एकजुटता की परिणामस्वरूप निम्न अविस्मरणीय तथ्य उभर कर सामने आए–

एक अदूरदर्शी सरकार को न केवल प्रस्तावित अधिनियम को वापस लेना पड़ा अपितु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा स्थापित न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक वैधानिक स्तर प्रदान करने हेतु समिति के गठन की घोषणा भी करनी पड़ी।

भारत में कृषि केवल एक व्यापार मात्र न होकर सामाजिक आर्थिक ढांचे को प्रतिबिंबित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि कृषि संबंधी नीतियां विशुद्ध रूप से लाभ हानि के दृष्टिकोण से ही नहीं निर्मित की जानी चाहिए अपितु इन नीतियों को भारतीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भी मूल्यांकित किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की परंपरा का पालन कृषि नीतियों के निर्माण में अवश्यंभावी है।

यद्यपि इस कृषक आंदोलन को विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था फिर भी यह आंदोलन न केवल अपने गैर–राजनीतिक स्वरूप को इतने लंबे समय तक बनाए रखने में सफल रहा है अपितु सामाजिक आर्थिक चेतना के स्तंभ रूप में भी स्वयं को स्थापित कर सका है।

आंदोलनकारी किसान समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक फेसबुक पेज उनके लिए सूचना प्रसारित करने का एक अधिकृत चैनल बन गया है। इसके 312,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत उपस्थिति है और इनके माध्यम से कृषक अपने पक्ष की तार्किक एवं वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। (अनंत, 2021)

चित्र संख्या: 1

स्रोत: द इकनोमिक टाइम्स

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संदर्भित कृषक आंदोलन ने कृषकों के बड़े समूह में आधुनिक तकनीकी दक्षता एवं उसके लाभों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है।

आधुनिक समय में भारत में कषकों को शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है एवं उनसे एक समान आचार संहिता के तहत आंदोलन की अपेक्षा लगभग शून्य मानी जाती हैं। परंतु संदर्भित कृषक आंदोलन ने इन सभी बातों को मिथ्या सिद्ध करते हुए, यह स्थापित किया है कि अहिंसा संबंधी गांधीवादी प्रयोग समाज के हाशिए पर खड़े जनमानस के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने की स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में थे।

विभिन्न देशव्यापी चिंतकों द्वारा कोविड–19 की महामारी के प्रसार के समय कृषक आंदोलन को अनुचित सिद्ध करने का प्रयास किया गया किंतु आंदोलन समर्थकों का तर्क था कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड–19 की महामारी को कृषकों एवं आम जनमानस के विरुद्ध 'आपदा के अवसर' के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः भावी पीढ़ियों को कोविड–19 की अपेक्षा इन काले कृषि अधिनियम से सुरक्षित करने की अधिक आवश्यकता है। महामारी से बचाव के विभिन्न उपायों को अपनाते हुए यह आंदोलन सफलता के शीर्ष पर स्थापित हुआ है।

संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान आंदोलन न केवल वर्तमान समस्याओं को सीमित करने मे बल्कि भावी समस्याओं की ओर भी नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करने में भी समर्थ हुआ है। यह बात अब स्पष्ट हो चली है कि कृषकों एवं आम जनमानस संबंधी नीतियों के निर्माण से पूर्व सभी हितधारकों से व्यापक एवं खुली परिचर्चा के माध्यम से स्पष्ट संवाद अत्यावश्यक है। भविष्य में सभी नीति निर्माताओं द्वारा, इस कठोर सत्य की उपेक्षा करना संभव न हो सकेगा।

संदर्भ

सर्वश्रेष्ठ किसान उद्धरण हिंदी में (2021) https://www.motivationalquoteshindi.com/2020/10/farmer-quotes-in-hindi.html

अनंतवेंकट. (2021). Tractor to Twitter: किसानों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया योजना कैसे विकसित की. द इकनोमिक टाइम्स.

कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्तभारत. (2022). भारत की जनगणना: आर्थिक गतिविधि. 2011. https://censusindia.gov.in/census_and_you/economic_activity.aspx

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय. (2021). जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान. 2021.

जेबराजीप्रिसिला. (2020). कृषि विधेयक क्या है? फार्म बिल 2020 के फायदे, नुकसान और चुनौतियाँ. द हिन्दू. https://mbaroi.in/blog/farm-bills-2020/

राज केश्वर सिंह. (2021). अपनी बात. जन चुनौती.

लॉन्ग एस्से ऑन फार्म बिल 2020 फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. (2021). https://www.essaybanyan.com/essay/essay-on-farm-bill-2020/

सिंह अरविंद कुमार. (2021). जन चुनौती. 5–9.

कोविड–19 महामारी – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का योगदान

Devendra Pratap Singh
Assistant Manager Academics,
DHYEYA IAS,
Mukherjee Nagar Delhi

कोविड–19 महामारी के प्रकोप को और फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। देश के इतिहास में ये अभूतपूर्व कदम था। लॉकडाउन के कारण अपने अपने गांवों या छोटे शहरों से जाकर बड़े शहरों में काम–धंधा करने वाले कामगारों की परेशानियों को उजागर कर दिया था। प्रवासी मजदूरों के संकट ने भारत में सामाजिक सुरक्षा के सबसे बड़े कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं। लॉकडाउन के कारण शहरों से करोड़ों प्रवासी कामगारों को अपने घरेलू राज्यों को लौटने को मजबूर होना पड़ा। अब कोविड–19 महामारी का प्रकोप जारी है. जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर तो खास तौर से विपरीत प्रभाव पड़ा।

देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को तो इसका सबसे बुरा असर झेलना पड़ रहा है। इन मुश्किल हालात में उस रोजगार गारंटी योजना की मांग सबसे अधिक है, जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था। आज सरकार और आम जनता, दोनों ही मनरेगा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं. अकेले मई महीने में 41 करोड़ 77 लाख दिवस की मजदूरी का काम लोगों ने इस योजना के तहत कर डाला था। ये पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी गई, उनकी संख्या मई में 31 प्रतिशत बढ़ कर 2 करोड़ अस्सी लाख से अधिक हो गई थी। 15 साल पहले लॉन्च होने वाली मनरेगा योजना के तहत कवर किए गए परिवारों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है. संक्षेप में कहें तो, आज जब भारत के अधिकतर ग्रामीण परिवार, सामाजिक सुरक्षा के दायरे से महरूम हैं, ऐसे में कोविड–19 की वैश्विक महामारी के दौरान मनरेगा योजना करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की इकलौती किरण नजर आती है। सरकार ने मनरेगा के लिए 2020–21 के केंद्रीय बजट में 61 हजार 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस अतिरिक्त अनुदान के कारण अब मनरेगा योजना का कुल बजट एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है. जब अप्रैल महीने से धीरे–धीरे लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील दी जाने लगी, तब अपने अपने गांवों या गृह जिलों में लौटे मजदूरों को इस योजना में तिनके का सहारा मिलता दिखा. क्योंकि दूसरे राज्यों से लौटे इन मजदूरों के पास न तो खेती के लिए जमीन थी और न ही उनके पास इतनी बचत थी कि गुजर बसर कर पाते।

मनरेगा कार्यक्रम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।

ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है।

मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है।

ध्यातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है।

मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्णरूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिये अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष संशोधित करती है।

Total annual MGNREGA expenditure and share Of pending liability from previous year (₹ crore)

	Total expenditure	Liability from last year	% Share
2014-15	35276.40	6323.44	17.93
2015-16	43597.14	6357.37	14.58
2016-17	58065.43	13215.65	22.76
2017-18	64000.00	12596.00	19.68
2018-19	69310.00	9309.98	13.43
2019-20*	53207.00	9473.59	17.81

*Till Jan 24, 2020
Note: Liability includes Pending Wages, Material & Admin Expenses

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं

पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।

प्रावधान के मुताबिक, मनरेगा लाभार्थियों में एक–तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिये निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती और यह 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती।

प्रावधान के अनुसार, आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिये बुनियादी सुविधाओं जैसे– पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किये गए हैं।

मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल तीन क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है (1) अकुशल, अर्द्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी (2) आवश्यक सामग्री (3) प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100 प्रतिशत, अर्द्ध–कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75 प्रतिशत, सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का 6 प्रतिशत वहन करती है, वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

कुछ सख्त सवाल भी हैं

इन फायदों के बावजूद, मनरेगा योजना से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका स्पष्टीकरण होना चाहिए. पहली और सबसे बुनियादी बात तो ये है कि सामाजिक सुरक्षा की इतनी महत्वपूर्ण योजना होने के बावजूद ये योजना मई और जून महीने में ही लोगों को रोजगार देने के लिए लाई गई थी. क्योंकि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास काम की काफी कमी होती है. इसके अलावा इस योजना के तहत केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है. अब जबकि कोविड–19 का प्रकोप अभी जारी है. और जिसके अगले कई महीनों या वर्षों तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है. और अभी कामगारों की बड़ी तादाद है, जो अभी गांवों में ही बने रहना चाहती है. तो ऐसे में, मनरेगा योजना से काम की इस लंबे समय चलने वाली मांग को कैसे पूरा किया जा सकेगा? दूसरा सवाल ये है कि अगर सरकार मनरेगा योजना के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ा भी देती है, तो इस योजना के तहत किस तरह के काम कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? शुरुआत से ही मनरेगा योजना के तहत, सूखे से बचने के उपाय और ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति निर्माण के काम कराए जाते रहे हैं. लेकिन, यही काम अनिश्चित काल के लिए तो जारी नहीं रखे जा सकते. इसीलिए अभी बिल्कुल उचित समय है कि योजना के तहत 60:40 के मजदूरी और सामान के अनुपात में बदलाव किया जाए. इसके अलावा, इस योजना को कुछ तय कार्यों तक ही क्यों सीमित रखा जाए? तीसरा सवाल ये है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण या ऐसे ही अन्य सार्वजनिक कार्यों जिसमें मजदूरों की जरूरत होती है, जैसे कि रेलवे में क्यों न लगाया जाए? इसी तरह, क्या मनरेगा के तहत मजदूरों को खेती के निजी कामों में नहीं लगाया जा सकता है? इससे खेती करने की लागत कम होगी और कृषि क्षेत्र की चुनौतियां दूर करने में मदद मिलेगी. जैसे कि मजदूरों की कमी दूर होगी. अच्छा तो ये होता कि मनरेगा के तहत काम करने वाले ज़्यादातर लोगों को छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए लगाया जा सकता है. इसके अलावा समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है. कुल मिलाकर, अब समय आ गया है कि सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना के लक्ष्यों का फिर से निर्धारण किया जाए. ताकि ये अधिक टिकाऊ और असरदार योजना बन सके

मनरेगा से संबंधित चुनौतियां

अपर्याप्त बजट आवंटन

पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं।

मजदूरी के भुगतान में देरी

एक अध्ययन में पता चला कि मनरेगा के तहत किये जाने वाले 78 प्रतिशत भुगतान समय पर नहीं किये जाते और 45 प्रतिशत भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिये दिशा–निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन है। आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017–18 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी।

खराब मजदूरी दर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है।

भ्रष्टाचार

वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटना आवश्यक है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है।

आगे की राह

जॉब कार्ड में रोजगार संबंधी सूचना दर्ज नहीं करने जैसे अपराधों को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिये।

ध्यातव्य है कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की आय घर के जीवन स्तर को सुधारने में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिये मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार को आवंटित धन के अल्प–उपयोग के कारणों का विश्लेषण करना चाहिये और इसमें सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की सियासी चकल्लस ऐलान से लेकर स्थगित होने तक की कहानी

अर्पित पांडे
वरिष्ठ पत्रकार, जी मीडिया

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अब पंचायत चुनाव की गेंद कोर्ट से सरकार के पाले में आ चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। थ्री लेयर टेस्ट रिपोर्ट के बाद पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है।

2021 के अंतिम पड़ाव में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का सियासी शोर खूब सुनाई दिया। करीब दो साल की देरी के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण, परिसीमन और रोटेशन प्रणाली का ऐसा पेंच फंसा कि एक बार फिर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गए। शिवराज सरकार और विपक्षी कांग्रेस के बीच ऐसी सियासी उठापठक हुई कि मामला पहले हा कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव रोकने का फैसला सुनाया, तो सरकार ने भी पंचायत चुनाव रोकने का मन बनाया और पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस ले लिया। राज्यपाल ने मुहर लगाई तो निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिरकार पंचायत चुनाव रद्द क्यों हुए?.

परिसीमन पर फंसा मामला

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से गहमागहमी चल रही थी। आखिरकार 4 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया। आयोग ने तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके बाद से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सब कुछ तैयारी से चल रहा था। लेकिन कांग्रेस ने पंचायत चुनाव कराए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने परिसीमन और रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया है। जिससे यह पंचायत चुनाव नियमानुसार नहीं हो रहे हैं. कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली और परिसीमन को लेकर हा कोर्ट में याचिका दायर की।

ये था परिसीमन का मामला

दरअसल, शिवराज सरकार ने 21 नवंबर 2021 को शिवराज सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी थी। जिसके तहत सरकार ने साल 2019 के परिसीमन को रद्द करते हुए 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया। इसके चलते पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक दायर की गई याचिकों पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा। बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन प्रणाली को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनने के बाद रोटेशन के बजाय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई और ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने भी तत्काल प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों पर होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी।

ओबीसी आरक्षण पर फंस गया पेंच

मामला ओबीसी आरक्षण पर फंस गया.दरअसल, मौजूदा स्थिति में देशभर में आरक्षण का प्रावधान 50 फीसद है जो कि एससी, एसटी, और ओबीसी वर्ग को मिलाकर है. बाकी की 50 फीसदी जनरल वर्ग के लोगों के लिए है। अगर मध्यप्रदेश के लिहाज से बात करें तो एमपी में 16 प्रतिशत एससी वर्ग के लिए, 14 फीसद ओबीसी वर्ग के लिए और एसटी वर्ग के लिए 20 फीसद आरक्षित है. जो कि संविधान के दायरे में आता है अगर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण शिवराज सरकार देती है तो प्रदेश में आरक्षण का आंकड़ा 63 फीसदी हो जाएगा। जो तय प्रावधान से 13 फीसद हो जाएगा। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा कि शिवराज सरकार आग से न खेले। पंचायत चुनावों में आरक्षण और रोटेशन प्रणाली का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद की भी सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया।

50 फीसदी से ज्यादा न हो आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र मामले में दिए अपने आदेश का जिक्र किया। जिसके तहत आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट की तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इन शर्तों के तहत राज्य में एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए. आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करे और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा तय करे. साथ ही कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर पंचायत चुनाव पर रोक लगाई।

बीजेपी–कांग्रेस आई आमने–सामने

ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश में माहौल गर्मा गया। बीजेपी और कांग्रेस आमने–सामने आ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रही है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया। जिसके चलते

पंचायत चुनाव पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसके बाद शिवराज सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि बाद में इसे निरस्त कर दिया गया।

क्या था आरक्षण का मामला?

शिवराज सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, इसलिए चुनावों में ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण दिया। साथ ही पंचायत चुनाव अब 4 महीने तक न कराए जाने की मांग भी की गई। ताकि नए सिरे से ओबीसी वर्ग का आरक्षण करवा लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार की तरफ से दायर पंचायत चुनाव सुनवाई से इनकार कर दिया।

सरकार ने वापस लिया अध्यादेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद शिवराज सरकार एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग की। इस दौरान प्रदेश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा। प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक और कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही चुनाव पर रोक की मांग होने लगी। खुद शिवराज सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह मांग की। जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव पर रोक का प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा गया। जिस पर राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी।

आखिरकार निर्वाचन आयोग ने लगाई चुनाव पर रोक

राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर रोक लगाने के बाद निर्वाचन आयोग ने कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को स्थगित करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। अब सरकार कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। साथ ही ट्रिपल टेस्ट के नियमों को पूरा करने के लिए राज्य में ओबीसी वर्ग का डाटा भी तैयार करा रही है। इसके अलावा सरकार अन्य राज्यों में भी ट्रिपल टेस्ट की स्थिति की समीक्षा करा रही है। ताकि अब जब भी पंचायत चुनाव आयोजित हो तो वह 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर कराए जाए।

पहले और दूसरे चरण के नामांकन हो चुके था जमा

खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के नामांकन जमा होने शुरू हो चुके थे। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित करते हुए कुछ और ऐलान भी किए। निर्वाचन आयोग ने सभी नामांकन फॉर्मों के साथ जमा की जमानत राशि को वापस करने का ऐलान भी किया। जिसके बाद प्रदेश में नामांकन के साथ जमा की गई जमानत राशि वापस होने लगी। बता दें कि जमानत राशि वापस लेने के लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम ऑफिस में आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि सीधे आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी।

दो लाख से ज्यादा फॉर्म हो चुके थे जमा

प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किए थे। वहीं आयोग ने जमानत राशि भी तय की थी। जिसमें जनपद के लिए 4 हजार रुपए, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। वहीं अब पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद जमानत राशि को वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जिसके लिए कैंडिडेट्स को आवेदन जमा करने हैं। जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तरह पूरे एक महीने तक चली उठापटक के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। इस बीच सरकार ने पंच–सरपंचों को वित्तीय खर्च अधिकार भी वापस कर दिए।

अब राह हुई आसान

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब पंचायत चुनाव की गेंद कोर्ट से सरकार के पाले में आ चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। थ्री लेयर टेस्ट रिपोर्ट के बाद पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सरकार पंचायत चुनाव 2020 आरक्षण बहाल करने के इरादे को तेज की हुई है। चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले OBC उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा तैयार करने को कहा गया है।

विधान सभा चुनाव का रंग हो रहा है अनोखा, पंचायत प्रतिनिधियों को मिल रहा है तोहफा

दीपक सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा
उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। यही कारण है कि सभी को साधने की कोशिश में जुट गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार सभी को साधने में लगी हुई है, जिससे विधानसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल सके। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक दल पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ा कर अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। इस चलन को शुरू करने का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। सपा ने ही पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय शुरू किया। 20 मार्च 2006 को तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इसका शुभारम्भ किया, जिससे पंचायत प्रतिनिधि लाभान्वित हो सकें और आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके।

(उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रिजल्ट)

मुलायम सिंह यादव यहीं नहीं रुके 26 दिसम्बर 2006 में इसमें संशोधन कर मानदेय बढ़ाने का काम किया जिससे फरवरी 2007 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा मिल सके। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के कारण सपा की दाल नहीं गल पाई और बसपा सरकार बनी. हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंचायत प्रतिनिधियों का न तो भत्ता बढ़ाया और न ही मानदेय बढ़ाने का काम किया। बसपा की पांच वर्ष की सरकार में इसको लेकर न तो मांग उठी और न ही विरोध जताया गया। प्रदेश में बसपा के शासन काल का कानून–व्यवस्था की दृष्टि से बेहतर माना जाता था, ऐसे में यदि कहीं विरोध हुआ तो सरकार ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई की। 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई सपा ने पांच वर्ष के कार्यकाल में दो बार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का काम किया। पर सपा की यह रणनीति काम नहीं आई और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को मात्र 49 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2017 से प्रदेश की सत्ता पर बैठी भाजपा सरकार चुनावी बेला में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाकर साधने में जुटी हुई है अब देखना होगा कि पार्टी को इसका कितना फायदा मिलता है।

पंचायत प्रतिनिधियों को सैलरी–भत्ते का गिफ्ट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को लॉलीपॉप देते हुए 8 लाख 85 हजार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। इन प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ता में 500 से 1500 तक बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का मानदेय 9,800 रुपये से बढ़ाकर 11,300 और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 14,000 रुपए से बढ़ाकर 15,500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलने वाले भत्तों में 500 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। जिला पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है।

ग्राम पंचायतों के लिए अलग कोष

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों की विकास कार्य की सीमा बढ़ाते हुए 2 लाख से 5 लाख कर दिया है। वहीं जिला पंचायत के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की है। ग्राम पंचायत सदस्यों को पहली बार प्रति बैठक भत्ता देने का एलान भी किया है। इन्हें प्रति बैठक 100 रुपए भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण और 58,189 ग्राम सचिवालयों का शुभारंभ भी किया।

20 मार्च से शुरू हुआ मानदेय

प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने 20 मार्च 2006 को पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय तय किया। इसके तहत प्रधानों को 600 रुपए, ब्लॉक प्रमुख को 3000 व जिला पंचायत अध्यक्ष को 4000 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद 26 दिसम्बर 2006 संशोधन करते हुए प्रधानों का मानदेय 600 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया था। हालांकि इस संशोधन में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2007 में प्रदेश में बसपा की सरकार आने के बाद पांच वर्ष तक पंचायत प्रतिनिधियों को कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर सपा सरकार आने के बाद सात जनवरी 2014 को प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर 2500 कर दिया गया जबकि ब्लॉक प्रमुख का मानदेय 7000 रुपए जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10000 रुपया किया गया। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 22 नवम्बर 2016 को विधानसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। प्रधानों का मानदेय 3500 कर दिया गया जबकि ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय 9800, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 रुपए कर दिया गया।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

2017 में योगी सरकार आने के बाद पहली बार यह सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने 16 दिसम्बर 2021 को पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। इसके तहत प्रधानों को अब 5000, ब्लॉक प्रमुखों को 11300 व जिला पंचायत अध्यक्षों को 15500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ बीडीसी सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक बढ़ाकर भत्ता दिया जाएगा। अभी तक बीडीसी सदस्यों को प्रति बैठक 500 रुपए दिए जाते थे जो बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं जिला पंचायत सदस्यों को 1000 रूपए दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाकर मतों की सेंधमारी करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में योगी सरकार को इसका कितना फायदा मिलता है।

योगी सरकार ने पार्षदों को दिया चुनावी भत्ता

विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने 30 दिसम्बर 2021 को पार्षदों को भत्ता देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 17 नगर निगमों के मेयर को मानदेय देने की तैयारी में है। इसके तहत मेयर को 25 हजार रुपए प्रति महीना भत्ता मिलेगा। मेयर और पार्षद के अलावा नगर पंचायतों के अध्यक्षों के भी मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी है। इनका मानदेय सरकार 20 हजार रुपए प्रतिमाह कर सकती है। वहीं, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में पार्षदों का मानदेय एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए किया जा सकता है। मौजूदा समय में प्रदेश में 518 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों को मिलाकर कुल नगरीय निकायों की संख्या 735 है। उत्तर प्रदेश के यदि नगर निगमों की बात की जाए तो यह संख्या 17 है। इनमें लखनऊ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, मेरठ हैं।

प्राइमरी स्कूल के अनुदेशकों व रसोइयों को भी मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसम्बर 2021 को प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों व रसोइयों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। इसके अलावा रसोइयों को वर्ष में दो साड़ियां भी दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ में आयोजित रसोइयों और अनुदेशकों के सम्मेलन में कहा कि हर रसोइए को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराने की भी बात कही है। प्रदेश के अनुदेशकों को अभी तक 7000 रुपए मिलते हैं, जबकि रसोइयों का 1500 रुपए मानदेय है। मानदेय बढ़ जाने से अब अनुदेशकों को 9000 व रसोइयों को 2000 मिलने लगेगा। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में 3,77,520 रसोइए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी रसोइया हैं उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दो साड़ी देंगे। एप्रन और हेयर कैप का पैसा रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। हर रसोइया को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से एक–एक विद्यालय घूमने को कहा। परिणाम स्वरूप 1.56 लाख विद्यालयों में से 1.30 लाख विद्यालयों का कायाकल्प हो गया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 54 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं।

अखिलेश के लैपटॉप का योगी ने टैबलेट से दिया जवाब

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसम्बर के अवसर पर प्रदेश के 60 हजार युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट देकर अखिलेश यादव के लैपटॉप का जवाब दिया। हाई स्कूल और इंटर में 65 प्रतिशत अंक लाने वाले 60 हजार युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिया। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। युवाओं को दिए जाने वाले सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डिजि शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टाल है। इसके माध्यम से संबंधित यूनिवर्सटी या डिपार्टमेंट छात्रों को पढ़ाई के लिए कंटेंट देंगे, जिससे छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से नामी आईटी कंपनी इंफोसिस से अनुबंध किया जा रहा है। इससे इंफोसिस के शिक्षा और रोजगार से जुड़े 3900 प्रोग्राम निःशुल्क युवाओं को उपलब्ध होंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके।

नशे में उड़ता पंजाब : ड्रग्स का डंक, रोकने के लिए करना होगा सख्त प्रबंध

डॉ. अवतार सिंह
सामाजिक कार्यकर्ता,
साइको काउंसलर
लुधियाना, पंजाब

आजादी के संघर्ष में सक्रिय रूप से कूदने से पहले महात्मा गांधी ने भारत का भ्रमण किया था। अप्रैल 1917 में चंपारण दौरे के समय उन्होंने कहा था– 'शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। उनका यह विचार वर्तमान में सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों पर लागू होता है। खासकर पंजाब के गांवों में बसने वाले लोगों पर। ऐसा इसलिए कि पंजाब के 15,139 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व नशा यानि ड्रग्स की वजह से संकट में है। वहां के लोगों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना सबसे बड़ी जरूरत भी।

यहां पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि 1993 में जब देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तब इसका मूल मकसद यह था कि विकास नीचे से ऊपर की ओर हो। इसीलिए ग्राम सभाओं को पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य चुनने का अधिकार दिया गया। अलग से बजट आवंटित होते हैं। यानि गांव को बेहतर स्थिति में लाना या आत्मनिर्भर गांव बनाना, आज भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अहम लक्ष्यों में से एक है।

फिलहाल, हम बात कर रहे हैं पंजाब के गांवों की, जो ड्रग्स के दुष्चक्र में इस कदर फंस गया है कि उससे बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यह हाल उस पंजाब का है जो देशभर में चावल की टोकरी के रूप में जाना जाता है। जिसने हमेशा अपनी जीवंत और स्वस्थ संस्कृति के माध्यम से बाकी दुनिया को विकास और समृद्धि का रास्ता दिखाया है। वही पंजाब वर्तमान में नशा जैसी दुष्प्रवृतियों का शिकार है। आज हर पंजाबी इस समस्या से पीड़ित है।

पंजाब के मालवा, माझा और दोआब तीनों क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी की गिरफ्त में है। पंजाब पिछले कुछ सालों में नशीले पदार्थों का हब बनकर रह गया है। अफीम, भुक्की से शुरू हुआ सिलसिला हेरोइन, स्मैक, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग, आईस ड्रग जैसे महंगे नशे में तब्दील हो चुका है। अब तो इसने पंजाब के गांवों को पूरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया है। नशा पंजाब के युवकों के मन व शरीर को रोग की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस बात को वहां के आम लोग और सियासी रोटी सेकने वाले तक जानते हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब न तो अफीम, न भांग और उस जैसे पौधों पर आधारित प्राकृतिक पदार्थों का उत्पादन करता है, न ही ऐसे नशीले रसायनों का निर्माण करता है, जिन्हें सिंथेटिक और साइकोट्रोपिक दवाओं के रूप में विकसित किया जा सके। इसके बावजूद हर साल 10 हजार करोड़ से अधिक की अफीम बेची जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर नशा का स्रोत बाहर से स्थानीय, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के द्वारा नियंत्रित आपूर्तिकर्ताओं के जरिए पहुंचता है।

कहां से पहुंचता है पंजाब में नशा?

जिस रास्ते से पंजाब में नशा पहुंचता है उसे 'गोल्डन क्रीसेंट' कहते हैं। गुप्त रास्तों से ये नशा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पंजाब तक पहुंचता है। पहले इसकी खेप डायरेक्ट पंजाब बॉर्डर से पहुंचाई जाती थी, लेकिन साल 2016 के पठानकोट हमले के बाद सीमा पर ज्यादा निगरानी की वजह से अब ड्रग्स राजस्थान से होकर पंजाब पहुंचता है। हेरोइन, अफीम, अफीम की भूसी और ड्रग्स ये चार तरह के नशीले पदार्थ हैं, जो पंजाब में भारी मात्रा में पहुंचाने का काम होता है।

पंजाब में नशे को लेकर बनी फिल्म 'उड़ता पंजाब' रिलीज के होने के पहले देशभर में विवाद का विषय बन गई। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस काम में नशा तस्करों की पूरी मदद करता है। पंजाब की 550 किलोमीटर सीमा क्षेत्र से नशा भारत भेजा जाता है। भारत–पाक बॉर्डर पर स्थित नदी, नहर, नालों के जरिए ड्रग्स तस्कर इस काम को अंजाम देते हैं। चूंकि इन इलाकों पर नजर रखना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये रास्ते तस्करों के लिए मुफीद साबित होते हैं।

ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई?

देश की आजादी के बाद पंजाब की अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की वजह से बढ़ावा मिला। इसने पंजाब को प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का नंबर एक राज्य बना दिया। मगर पिछले तीन दशकों के आंकड़े बताते हैं कि देश के अन्य हिस्सों की तुलना में पंजाब में कृषि विकास दर कम रही है। आज की स्थिति में पंजाब जीडीपी के मामले में देश का 15वां और प्रति व्यक्ति आय के मामले में 16वां सबसे बड़ा राज्य है।

पंजाब के लोगों का केवल चावल और गेहूं की खेती पर निर्भरता को पिछड़ने की मुख्य वजह माना जाता है। कृषि में विविधता लाने का प्रयास नहीं किया। पीएम नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की 1991 के उदारीकरण का लाभ भी दूसरे क्षेत्र में पंजाब नहीं उठा सका। औद्योगिक या सेवा क्षेत्र में विकास न होने से प्रदेश से बेरोजगार युवाओं का रोजगार के अवसरों के लिए अन्य देशों में प्रवास हुआ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन व अन्य देशों में पंजाबी समुदायों के मौजदगी उसी का परिणाम है।

नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है। इसका प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय देश में सबसे कम है। इसके बावजूद पंजाब की सियासी पार्टियां युवाओं में बेरोजगारी

दूर करने के बदले पाकिस्तान द्वारा नशा, आतंकवादी तथा हथियार भेजने के खिलाफ सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढने का राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करती हैं।

क्या करने की जरूरत है?

सबसे पहले पंजाब को अपने ग्रामीण आधारित कृषि अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फसल–विविधीकरण और बागवानी फसलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पंजाब को इस मामले में हिमाचल प्रदेश से सीखने की जरूरत है। पंजाब में पर्यटन, कृषि से संबंधित उद्योगों, डेयरी, गन्ने की खेती जैसी कृषि गतिविधियों आदि में अपार संभावनाएं हैं। पंजाब सरकार को कृषि का समुचित दोहन करने वाली एक व्यावहारिक औद्योगिक नीति विकसित करनी होगी।

पंजाब को नशीली दवाओं की तस्करी के प्रसार या युवाओं तक इसकी पहुंच को रोकने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी नीति के साथ तंत्र विकसित करना होगा। ताकि मादक पदार्थो की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा गठजोड़ को तोड़ना संभव हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को एक मजबूत इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है। ठीक उसी तरह की इच्छाशक्ति जिसका प्रदर्शन सीएम पद पर रहते हुए बेअंत सिंह ने अपनी जान तक दे दी। इसके अलावा हथियारों व मादक द्रव्यों के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब के लोकप्रिय गायकों के सहयोग से नशे के खिलाफ प्रेरक कथा का निर्माण किया जाना चाहिए। ताकि युवाओं को इसके प्रभाव से बचाया जा सके। मरीजों और उनके परिवारों को काउंसलिंग की सुविधा देनी चाहिए।

भ्रम के मकड़जाल से पाना होगा पार

पंजाब में नशे की लत को लोग अब भी एक सामाजिक समस्या की बजाय व्यक्तिगत समस्या के रुप में देखते हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि मादक पदार्थो की लत का सीधा संबंध गरीबी के साथ जुड़ा है, न की समृद्धि के साथ, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता से जोड़कर देखने की जरूरत है। पंजाब के गांवों के अर्ध शिक्षित युवा बिना किसी तैयारी के नौकरी के लिए बाजार में आ गए। सपने पूरे नहीं होने से तनाव बढ़ा और वो ड्रग्स के सेवन के जाल में फंसते गए और पूरे पंजाब के गांवों को भी अपने चपेट में ले लिया।

हालांकि, 2007 से ही पंजाब को ड्रग्स की मुसीबत से निकालने की बात हो रही है, लेकिन इस दिशा में काम कम प्रचार ज्यादा हुआ। जब तक कई विभाग मिल कर इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक पंजाब के गांवों के साथ शहर को भी ड्रग्स के दुष्चक्र से बाहर निकालना मुश्किल है।

कहने का मतलब यह है कि नशाखोरी की वजह से पंजाब के गांवों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताना–बाना दरकने लगा है। पंजाब के हालात अब भारत सरकार के लिए गंभीर चिंता का सबब बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधी के ग्राम स्वराज्य के आधार 'आत्मनिर्भर' भारत की बात लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास और उद्यमिता से जोड़ना है। देखा जाए तो यह वाजिब भी है। खासतौर से पंजाब में तो 'भूमंडलीकरण से ग्राम स्वराज की ओर'बढ़ने का समय आ गया है। अब आदर्श ग्राम योजना जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों, बुद्धिजीवियों को काम करते हुए सामुदायिक विकास की दिशा में काम करना होगा। इतना ही नहीं, जनसहभागिता के उच्च दर को हासिल करना होगा। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नौकरशाहों को ऐसा करने से पहले अपने अहम को अपनी तिजौरी में बंद कर घर से बाहर निकलना होगा। ताकि हम देश के पहले पीएम नेहरू के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 1952 की विफलताओं से सबक लें और पंजाब के गांवों को ड्रग्स के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकें।

एक नजर इधर भी...

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के शोधकर्ताओं द्वारा 2015 पंजाब ओपीएड (नशा) निर्भरता सर्वेक्षण के मुताबिक सात साल पहले पंजाब में करीब दस लाख लोग ओपीएड के आदी हैं। ओपीएड पर निर्भरता वाले 99 फीसदी पुरुष हैं, 54 फीसदी विवाहित और 55 फीसदी हेरोइन के नशे की लत का शिकार हैं। इनमें से 80 फीसदी नशे की लत के शिकार लोगों ने इससे बाहर आने की कोशिश की लेकिन 35 फीसदी से ज्यादा लोगों को इससे बाहर निकलने में पेशेवर मदद प्राप्त नहीं हुआ है।
2. अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए समाजशास्त्र के प्रोफेसर रविंदर सिंह संधू ने वर्ष 2009 में शहरी और ग्रामीण पंजाब में नशीली दवाओं के आदि 600 लोगों पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि 73.5 फीसदी नशे की लत के शिकार लोग 16 से 35 वर्ष की आयु के बीच के हैं। इनमें से 40.6 फीसदी निरक्षर हैं। पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त 22.3 फीसदी लोग हैं। जो लोग मादक पदार्थो की लत के शिकार थे, वे ग्रमीण इलाकों से थे। जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग नशे की लत के शिकार थे जिन्होंने 10वीं या अधिक शिक्षा प्राप्त की है। इनका प्रतिशत 44.6 था।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट 2019 के मुताबिक देश में 3.1 करोड़ लोग भांग, 50 लाख चरस एवं गांजा, 63 लाख हेरोइन और 11 लाख अफीम लेते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो 23 जिले में 15,139 ग्राम पंचायते हैं। पंजाब के 67 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक सदस्य नशे का शिकार है। हर पांच में से एक युवक वहां नशे का आदी माना गया है।

उत्तराखंड: 'कद' में इजाफे से बड़े हैं इसके 'मायने'

धीरेंद्र मिश्र
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई तरह के ऐलान किए हैं। इनमें सबसे अहम ऐलान जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देना है। सीएम के इस फैसले से 13 जिला पंचायतों के अध्यक्षों के स्टेटस में इजाफा हुआ है। सीएम की घोषणा के अब सियासी मायने लगाए जा रहे हैं।

दरअसल, उत्तराखंड का राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता था। बाद में इसे खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड में तत्कालीन सीएम या यूं कहें कि उत्तराखंड के पहले सीएम नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने 2005 में जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, जिसे खंडूरी सरकार में वापस ले लिया गया था। अब सवाल यह है कि पहले खत्म क्यों कर दिया गया अब फिरसे बहाल क्यों किया गया?

इसलिए किया गया था खत्म

जिला पंचायत अध्यक्षों का राज्य मंत्री का स्टेटस अलग राज्य बनने के बाद खत्म करने के पीछे कई वजहें थीं। इनमें मुख्य वजह ये थी कि अगर राज्य में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, या इसका उल्टा कर लीजिए। यह स्थिति प्रदेश सरकारों को अखरती थी। इसलिए पहले से चली आ रही राज्य मंत्री व्यवस्था को अलग राज्य बनते ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद काफी लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को फिर से राज्यमंत्री का दर्जा मिले। अब चुनाव का मौसम है तो सरकार ने पुरानी स्थिति बहाल कर दी। लेकिन, इससे सियासी स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

ये भी जान लें कितने तरह के होते हैं मंत्री

केंद्र और राज्य में तीन तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इनमें कैबिनेट मंत्री पहले नंबर पर आते हैं। उनके पास एक या एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। सरकार के बड़े फैसले कैबिनेट में ही तय होते हैं। सरकार के फैसलों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के पास आवंटित मंत्रालय और विभाग की पूरी जवाबदेही होती है। आमतौर पर वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। जरूरत पड़ने पर कैबिनेट इनको उनके मंत्रालय या विभाग से संबंधित मसलों पर चर्चा और फैसलों के लिए बुला सकता है। तीसरे स्तर पर राज्यमंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन एक या एक से ज्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। एक मंत्रालय में भी कई विभाग होते हैं, जो राज्यमंत्रियों में बंटे होते हैं।

अब जानिए, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री क्या होता है?

अब मूल सवाल यह है कि दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री क्या होते हैं? दर्जा प्राप्त मंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। सरकारें ये स्टेटस देती हैं। स्टेटस देने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस होल्ड करते हैं, या उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, जैसे बाकी कैबिनेट या राज्यमंत्री शपथ लेते हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री का स्टेटस देने का मतलब केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमिनेटेड होना है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकारें किसी को सुविधाएं देने के लिए उसे राज्यमंत्री का दर्जा दे देती हैं। इसके लिए राइटिंग में कोई ऑर्डर नहीं होता। बस ये कह दिया जाता है कि इन्हें राज्य मंत्री या मंत्री पद के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी।

किसे दिया जा सकता है इसका दर्जा?

इसको लेकर भी कहीं कोई नियम नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारों की अपनी समझ पर है। न ही केंद्र सरकार में न ही राज्य सरकार में इस तरह के किसी नियम या कानून का जिक्र है।

इन्हें, सुविधाएं क्या मिलती हैं?

दर्जा प्राप्त मंत्री को सुविधा के नाम पर सरकार ने स्टाफ दे दिया। गाड़ी दे दी। प्रशासनिक सुविधा के लिए एक आदेश हो जाता है। जो चीजें देनी हैं, दे दी जाती हैं, जो नहीं देना है, नहीं दिया जाता है। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। भारतीय राज व्यवस्था के प्रैक्टिस में यह शामिल है। इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है।

हालांकि, कैबिनेट और राज्यमंत्रियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी पहले से फिक्स नहीं हैं? सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कुछ अन्य सुविधाएं विधानसभा से अप्रूव हैं। केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव होते हैं। बंगला, गाड़ी या अन्य कौन–सी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, इसका कानून में कोई जिक्र नहीं है। ये सुविधाएं तो राज्य सरकारें ही देती हैं।

क्या कहा था नैनीताल हाईकोर्ट ने?

डेढ़ साल पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री की तरह सुविधाएं देने के मामले में दायर याचिका को खाजिर कर दिया था। हां, कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्यमंत्री की सुविधाएं देने के संबंध में दिए प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश सरकार को जरूर दिए थे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 1978 से लेकर 2014 तक अलग–अलग शासनादेश के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और सुविधाएं अनुमन्य की गई। मगर सरकार की ओर से सुविधाएं नहीं दी गई।

सुविधाओं में एस्कॉर्ट, कार्यालय सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश थे। यानि अदालत ने इस मसले को सरकार पर छोड़ दिया था।

> "मैं मुख्य सेवक हूं, आपके बिना योजनाएं जमीन पर नहीं उतर सकतीं"
> – धामी

नवंबर में धामी उत्तराखंड के रुद्रपुर के गांधी पार्क में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल

हुए। इस कार्यक्रम में कुमाऊं क्षेत्र से करीब चार हजार पंचायत प्रतिनिधि यहां पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने न केवल पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान की बातें की बल्कि कई सौगातों की भी घोषणा की।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा–

पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई हैं। विकास की नींव ग्राम पंचायत से ही शुरू होती हैं। त्रि–स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि जनता और प्रदेश के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रही है। आपके बिना विकास योजनाएं जमीन पर नहीं उतर सकती हैं।

हम राजनीति करते हैं, लेकिन आप लोगों को सीधे जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं मुख्य सेवक हूं। राज्य का विकास करना ही मेरा काम नहीं है, बल्कि यह आपका भी है। हमें, सामूहिक प्रयास से राज्य को आगे ले जाना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और डबल इंजन की सरकार बनने से उत्तराखंड हर स्तर पर देश का अग्रणी राज्य होगा।

धामी की घोषणाएं

1. राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
2. जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय पांच हजार से बढ़ाकर सात हजार करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है, वास्तव में यह उनके प्रति मेरा सम्मान है।
3. जिन प्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना काल में मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा।
4. कोरोना अवधि के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए विभागाध्यक्षों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।
5. रूद्रपुर सहित पूरे प्रदेश के पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं होने दिया जाएगा।
6. डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए कि थानों के थानाध्यक्षों को सम्मान दें। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। थानाध्यक्ष पंचायतों से सबसे करीब से जुड़े होते हैं। उनके अनुभवों का भी लाभ हमें जन कल्याण के लिए उठाने चाहिए।

निष्कर्ष :

दरअसल, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। आंतरिक उठापटक की वजह से भाजपा ने पांच साल में तीन सीएम बनाए। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर भाजपा को लेकर जनता में उदासनीता की स्थिति है। इससे पार पाने के लिए चुनाव से कुछ माह पूर्व भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया। सीएम बनते ही धामी ने पार्टी की सत्ता में दोबारा वापसी सुनिश्चित करने के लिए कई विकास योजनाओं की ताबड़तोड़ घोषणा की। इसी क्रम में लंबे अरसे से जिला पंचायत अध्यक्षों का दर्जा बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। ताकि पार्टी को इसका लाभ चुनाव में मिल सके। चुनाव में इन फुलझड़ियों को लाभ मिलेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल, इसके दम पर सत्ताधारी भाजपा चुनावी मैदान में है और दोबारा सरकार में वापसी के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है।

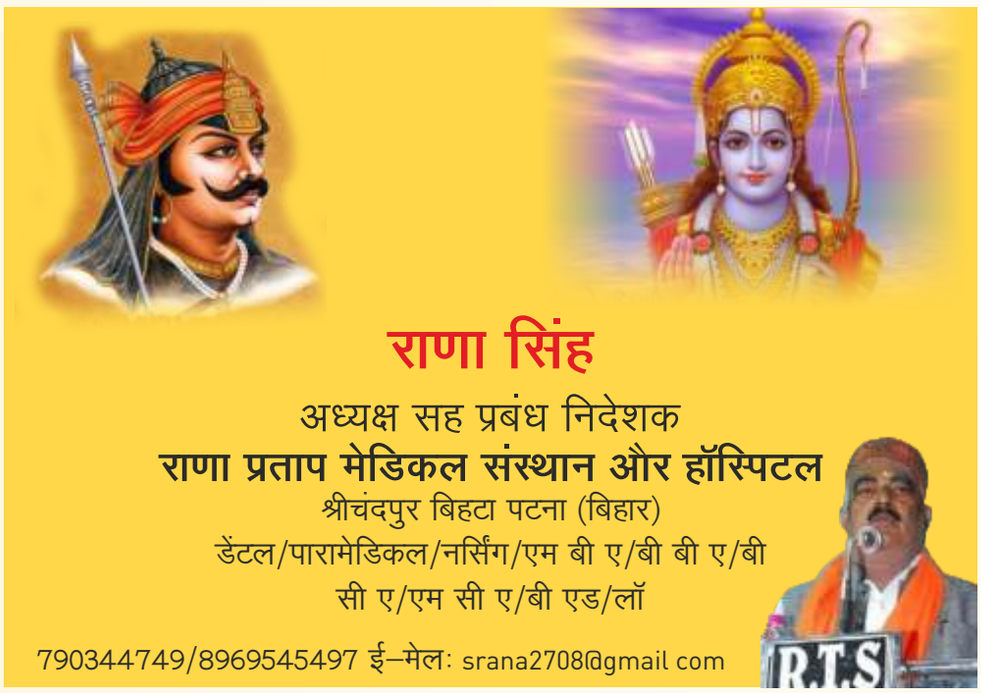

जम्मू में ठेका कानून, विकास और भागीदारी को देगा बढ़ावा

राजीव गुप्ता
सामाजिक कार्यकर्ता, जम्मू

जम्मू–कश्मीर में पंचायतों का सशक्तिकरण और विकास के लिए स्थानीय जनभागीदारी की रणनीति एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरकर सामने आई है। इसे और विस्तार देते हुए जम्मू–कश्मीर सरकार ने यह तय कर दिया है कि पंचायतों के तीन लाख रुपए तक के काम स्थानीय निवासियों को ठेका देकर ही पूरा कराया जाएगा। ताकि सामुदयिक विकास और आर्थिक समुन्नयन का काम साथ–साथ हो सके।

वैसे तो पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन यह कदम पंचायत के लोगों को आर्थिक रूप से भी स्वाबलंबी बनाएगा। ऐसा इसलिए कि जम्मू–कश्मीर में पंचायत स्तर पर अब तीन लाख रुपए तक के काम स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को रफ्तार देने के मकसद से लिया है। यानि तीन लाख रुपए तक के काम की निविदा पंचायत के लोग ही कर पाएंगे। यदि निविदा प्रक्रिया में भागीदारी कम हुई तो निर्धारित मानदंडों में ढील दी जाएगी। ऐसी स्थिति में पड़ोसी पंचायतों के लोगों को निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की छूट मिलेगी। न कि बाहरी लोगों को। जम्मू–कश्मीर सरकार की मानें तो यह फैसला स्थानीय भागीदारी के जरिए टॉप से लेकर बॉटम तक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा साथ ही विकास कार्यों पर अमल भी तय समय पर सुनिश्चित हो सकेगा।

खास बात यह है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक पंचायतों के वही निवासी लाभ उठा पाएंगे जो एक सरल प्रणाली में अपना नाम पंजीकरण कराने के लिए तैयार होंगे। ठेका हासिल करने के लिए इच्छुक आवेदक अपना पंजीकरण उपायुक्त (डीसी) से करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए आवेदक के पास आधार, पैन कार्ड और स्थायी आवास का प्रमाण का होना जरूरी है। जबकि सत्यापन प्रक्रिया पंचायतों और स्थानीय पुलिस के माध्यम पूरी कराई जाएगी।

कुल मिलाकर सरकार के इस पहल का लाभ यह होगा कि अब पंचायत के लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। यानि तीन लाख रुपए के कार्यों का ठेका अब वहां के निवासी ही हासिल कर सकते हैं। इससे न केवल पंचायत के लोग स्थानीय विकास कार्यों को बढ़ावा देने का जरिया बनेंगे बल्कि उनके कार्यों पर वहीं के लोगों की नजरें भी होंगी। इससे पंचायत स्तर पर सरकारी काम में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोग जब अपने क्षेत्र के विकास का काम खुद करेंगे तो वह उसमें गहरी रुचि भी लेंगे और काम को गुणवततापूर्ण और ईमानदारी से संपन्न करने पर जोर देंगे।

स्थानीय निवासी होने की वजह से काम का ठेका लेने वाला व्यक्ति भी खुद वहीं से होगा। ऐसे में ठेकेदार को इस बात का अहसास होगा कि काम बेहतर तरीके से संपन्न न होने की स्थिति में अधिकारियों से शिकायत करने से पहले लोग सामुदयिक स्तर पर इसका हिसाब उसी से मांगेंगे। अगर हिसाब देने से बच भी गए तो पंचायत स्तर पर छवि खराब होना तय

हैं। यानि सामुदायिक दबाव में बेहतर काम करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। वो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि काम तय मानदंडों क अनुरूप ही हों। ऐसे में पंचायत के लोग एक दबाव समूह की तरह काम करेंगे, जिसकी उपेक्षा करना उसी पंचायत के ठेकेदार के लिए मुश्किल भरा काम हो सकता है।

इसी तरह एक अन्य फैसले में पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और सहायक अधिशासी अभियंताओं की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। इन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा जो संबंधित जिलों की परियोजना प्रबंधन इकाई का हिस्सा होंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अधिशासी अभियंता को अधिकार दे दिए गए हैं। यह फैसला स्टाफ की कमी के कारण विकास कार्यों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया है। इस फैसले के पीछे भी सरकारी एजेंसी की सोच यही है कि स्थायी कर्मचारी के अभाव के बावजूद विकास का काम जारी रहे। जम्मू–कश्मीर में पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में शासन और प्रशासन के स्तर पर काम यहीं तक सीमित नहीं है। स्वच्छता को गांवों व म्युनिसिपल क्षेत्रों में एक जनांदोलन बनाने के अलावा सभी पंचायतों में पौधारोपण भी होगा। इसके अलावा, जल कल्याण, विकास और नागरिक सशक्तिकरण की योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 10 सूत्रीय योजनाएं भी तैयार की है।

1. **आपकी जमीन आपकी निगरानी**

   इस योजना का मकसद पंचायत के लोगों को इस हद तक सक्षम बनाना है जिससे भूमिधारक अपने भूमि रिकार्ड की स्वयं जांच करने के काबिल बन सकें। इस अभियान के तहत लोगों को सशक्त बनाने, समयबद्ध तरीके से संबंधित शिकायतों को दूर करने व भूमि रिकार्ड में दर्ज गलत सूचनाओं को समाप्त करने पर जोर देना भी होगा।

2. **एक व्यक्ति एक गोल्डन कार्ड**

   इसका लक्ष्य पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर 58 लाख गोल्डन कार्ड वितरण का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से गरीब परिवारों को कवर करना और स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में वित्तीय सहायता के साथ उनका बीमा करना है।

3. **योग्यता से रोजगार महोत्सव**

   पंचायत स्तर पर नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों को सम्मानित कर उनके अनुभवों पर प्रकाश डाला जाएगा। ताकि अन्य युवाओं को बेहतर करने की प्रेरणा उनसे मिले।

4. जनता की योजना–जनता की भागीदारी

इसका मकसद जमीनी स्तर पर सरकारी प्रक्रियाओं को जयादा पारदर्शी बनाना और परियोजनाओं की प्रगति की जांच में आम लोगों को सक्षम बनाना है।

5. हर घर नल से जल

एक माह में 8 लाख घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है।

6. बेरोजगार से स्व–रोजगार

हर पंचायत में कम से कम 5 व्यक्तियों सहित पूरे प्रदेश में दो लाख नए लोगों की पहचान कर स्वरोजगार प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के तहत लोगों को वित्तीय सहायता के अलावा उनके कौशल का विकास करना भी शामिल है।

7. हर काम की शुरुआत

एक माह में जिला योजना के तहत चिन्हित कार्यों का शत–प्रतिशत निविदा आवंटन करना।

8. हर गांव स्वच्छ गांव

जम्मू नगर निगम के सभी वार्ड में घर–घर जाकर कचड़ा संग्रहण को और ज्यादा बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

9. हर घर दस्तक

कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने से वंचित रहे सभी लोगों का टीकाकरण और आम जन को कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन और मास्क के प्रयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

10. हर गांव हरियाली

हरित जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 'वन बीट गार्ड', वन विलेज प्रोग्राम और एक करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य हासिल करना है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में इन सभी योजनाओं पर जिस गति से काम जारी है, उसके पीछे सरकार की खास सोच काम कर रही है। जम्मू–कश्मीर की वर्तमान सरकार चाहती है कि अभी तक मुख्यधारा से कटे स्थानीय लोगों को इस बात अहसास होना चाहिए कि ग्राम स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना उनके बगैर संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि उच्च स्तर पर पर योजनाओं का निर्माण तो संभव है, लेकिन उसका कियान्वयन नहीं। इसलिए पंचायत स्तर पर लोगों को काम की जिम्मेदारियों के साथ उसके लाभों से भी रूबरू कराना जरूरी है। ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ सकें। साथ ही जम्मू–कश्मीर में धारा 370 के उम्मूलन के बाद जिस गति से वहां निचले स्तर तक लोकतंत्रीकरण प्रक्रियाओं पर जोर दिया जा रहा है, उसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए वो खुद आगे आएं। तभी जाकर पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की बहाली संभव हो पाएगी।

बिहार पंचायत चुनाव में भय व आतंक के बीच युवाओं ने लहराया परचम

राम सुन्दर कुमार
शोधार्थी– महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

महात्मा गांधी एक आदर्श गणतंत्र की स्थापना के लिए पंचायतों को माध्यम व पद्धति दोनों मानते थे। गांधी पंचायतों में सत्य, अहिंसा, समरसता व व्यक्ति की आजादी, छुआ–छूत विहीन समाज के सिद्धांतों का अनुपालन चाहते थे। इस तरह के वातावरण निर्माण के लिए, गांधी के आदर्शों के अनुसार; बिना किसी राजनैतिक दल के चुनाव चिन्हों अथवा उम्मीदवार बने, चुनाव लड़ने की नैतिकता उम्मीदवारों में होनी थी। राजनैतिक दलों में भी दलीय आधार पर पंचायतों में हस्तक्षेप न करने की नैतिकता होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में सबसे पहले इसकी ही तिलांजलि दे दी गयी।

आज देश में कई ऐसे प्रमुख राज्य हैं, जहां पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह या फिर राजनेताओं का सीधा हस्तक्षेप से होता आ रहा है, लेकिन बिहार की पंचायती राज व्यवस्था इस मामले में बाकी राज्यों की तुलना में कुछ बेहतर है। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव जीतने के बाद ऐसे बहुत से पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल के गोद में बैठ जाते हैं। जिससे पंचायत स्तर का विकास प्रभावित होना तय है।

पैसे और प्रलोभन ने डुबो दी सरपंचों की नैया

जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि एक ऐसी सरकार हो, जो स्थानीय लोगों की आवाज बन पाए तथा उन्हें वे सभी हक मुहैया करवाये, जिसके वे हकदार हैं, लेकिन आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। आज पंचायत चुनाव में पैसे व दबंगई के बल पर कुछ प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आ जाते हैं और राजनेताओं के सांठ–गांठ से अपना भविष्य देखने लगते हैं और पंचायत स्तर के विकास को नजरंदाज करते हुये अपने व्यक्तिगत लाभ पर केन्द्रित हो जाते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में वोट खरीदने के लिए पैसे और दारू का भी खेल चलता रहा। कई प्रत्याशी रंगेहाथ पकड़े गए जिन्हें जेल भी भेजा गया। लगभग पूरे चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने की शिकायतें आती रहीं। कुछ प्रत्याशी तो इससे भी आगे निकलकर वोट के लिए शराब और रुपयों के साथ गांवों में ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन करवाए। लेकिन इस बार के चुनाव में इन सारी चीजों का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला, कुछ स्थानों को छोड़कर। पंचायत चुनाव पर नजर रखने वाले जानकारों ने भी माना कि इसका खास असर नतीजों पर नहीं दिखा। इसमें से ज़्यादातर ऐसे पुराने जीते हुये प्रतिनधि जिन्होंने सर्वाधिक प्रलोभन दिए, लेकिन अधिकांश जगहों पर वैसे लोगों का भी तख्तापलट हो गया। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में गांवों की जिम्मेदारी महिलाओं और नए चेहरों के साथ–साथ युवाओं के कंधे पर आ गई है।

पंचायत चुनावों में गुंडाराज रहा हावी

हर बार की तरह इस बार भी बिहार पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट होते ही अपराधियों की बंदूकें गरजने लगी थीं। पहले से लेकर ग्यारहवें चरण तक के चुनाव में हो–हगामा की कई खबरें सामने आती रही। हालांकि अब पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, इसके बाद पुलिस भले ही शांतिपूर्ण इलेक्शन के लाख दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चुनाव परिणाम के बाद भी बिहार में अपराधियों ने अब तक पांच नवनिर्वाचित मुखियाओं की हत्या कर दी है, जो शपथ भी नहीं ले पाये थे। पटना के धनरूआ, बाढ़, और आरा के नवनिर्वाचित मुखियाओं को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। पटना जिले के बाढ़ में नवनिर्वाचित मुखिया, दारोगा और एक वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, मनेर प्रखंड में एक मुखिया प्रत्याशी की स्कॉर्पियो गाड़ी को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। नौबतपुर थाना क्षेत्र के जमलपुरा पंचायत अंतर्गत लोदीपुर में अज्ञात बदमाशों ने वार्ड संख्या 9 के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य की गोली मार कर हत्या कर दी।

मधेपुरा में मुखिया प्रत्याशी शांति देवी के पति रणविजय कुमार और ललिता देवी के पति वीरेंद्र सिंह के द्वारा चुनाव प्रचार करने के दौरान अचानक गोलीबारी हो गयी थी। इस गोलीबारी में वार्ड सदस्य प्रत्याशी बिरजू कुमार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। मुंगेर जिले में नक्सलियों ने एक नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुडू को शपथ लेने से ठीक पहले मार डाला और इनके पुत्र को भी अगवा कर लिया था। हालांकि बिहार पुलिस तीन दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मृत मुखिया पुत्र को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। मालूम हो की नक्सलियों ने उन्हें चुनाव न लड़ने की धमकी दी थी। इसके बावजूद वे लोकतंत्र में अपनी प्रबल आस्था दिखाते हुये चुनाव लड़े और चुनाव भी जीते। नक्सलियों को उनकी लोकप्रियता नागवार गुजरी जिसके परिणामस्वरूप एक निहत्थे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की गला रेत कर हत्या कर दी।

पांच नवनिर्वाचित मुखियाओं की हत्या

आंकड़ों पर नजर डालें तो, नवंबर 2021 से अब तक कुल पांच नवनिर्वाचित मुखियाओं की हत्या हो चुकी है। 14 दिसंबर 2021 को पटना जिला के एक मुखिया नीरज कुमार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, इसके पहले 11 दिसंबर 2021 को बाढ़ जिला के मुखिया रंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, 4 दिसंबर 2021 को जमुई जिले के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रकाश महतो की हत्या कर दी गई, वहीं 14 नवंबर 2021 को आरा जिले के भोजपुर में दूसरी बार मुखिया बने संजय सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, नौबतपुर के लोदीपुर में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय वर्मा की भी गोलीमार हत्या कर दी गई थी। धनरूआ प्रखंड में चुनाव प्रचार में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में पब्लिक और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। बख्तियारपुर में सालिमपुर के रूपसपुर महाजी में चुनावी

रंजिश के कारण अरविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। उपर्युक्त विषय पर यदि समग्रता से मंथन किया जाये तो इसमें कहीं न कहीं बिहार सरकार की विफलता नजर आती है।

जब पंचायत चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गयी उसके बाद बिहार सरकार के एडीजी, जितेंद्र सिंह गंगवार के तरफ से बयान आता है कि 'बिहार पंचायत चुनाव–2021 के दौरान राज्य भर में नवनिर्वाचित मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या के मामले की जांच तीन महीने के अंदर पूरी होगी। इसके लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा गया है। जांच पूरी करने के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।' लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि शासन व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त होती तो इन सारी घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता था।

बिहार में चुनी गई 21 साल की मुखिया

लेकिन इन सबके बावजूद अच्छी बात यह है कि बिहार में 2021 में कुल 11 चरणों में वोटिंग हुई, जिसका परिणाम देखें तो महिला उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। हालांकि इसमें नितीश सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए हैं। बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया भी महिला ही चुनी गई हैं। शिवहर जिले की कुशहर पंचायत में 21 साल की अनुष्का मुखिया बनी हैं। हालांकि अनुष्का के दादा भी 20 साल तक मुखिया रह चुके थे, तो उनका प्रभाव भी एक हद तक माना जा सकता है। लेकिन यह क्या कम है कि एक 21 साल की लड़की किसी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगी? इस बार के चुनाव के नतीजे को देखकर यह कहा जा सकता है कि बिहार के गांवों में इस बार बदलाव की लहर रही है।

बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के बाद से मुखिया पति और प्रमुख पति जैसे शब्द गांवों में प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन इस बार जिन सीटों पर महिलाओं ने जीत हासिल की, तो उनमें बड़ी संख्या युवा और तेज–तर्रार महिलाओं की रही है।

बिहार चुनाव आयोग के आयुक्त डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि जिलों से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार 95 फीसदी सीटों पर नये चेहरे को जीत हासिल हुई है। पटना के घोसवरी पंचायत में सौ फीसदी नये चेहरे चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि नये चेहरे को मिले वोट वास्तविक वोट हैं। इसके लिए उन्होंने बोगस वोटिंग की समाप्ति, बायोमेट्रिक जांच और मतगणना में ओसीआर तकनीक के इस्तेमाल को प्रमुख कारण बताया। पहली बार चुनाव में ईवीएम का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे बूथ कैप्चरिंग व अन्य घटनाओं को रोका जा सका।

क्या रहा पंचायत चुनाव का रिजल्ट?

बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुआ। 14 दिसंबर को अंतिम चरण में हुए मतदान की काउंटिंग हुई। अगर सभी चरणों को मिला दें तो कुल 2 लाख 59 हजार 260 पदों के लिए इस बार मतदान हुआ है। इनमें मुखिया के 8387 पद, सरपंच के 8387 पद, वार्ड सदस्य के 1 लाख 14 हजार 667 पद थे। इसके अलावा पंचायत समिति के 11491, जिला परिषद सदस्य के 1161 और पंच के एक लाख 14 हजार 667 पदों पर चुनाव हुआ है।

आयोग के अनुसार प्रत्येक चरण के पंचायत चुनाव में पुरुषों की तुलना में पांच से दस फीसदी अधिक महिलाएं शामिल हुई और जीत भी हासिल की। पंचायत चुनाव के सभी चरणों में कुल 4,17,772 पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में 4,74,917 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरीं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 2,38,148 पुरुषों की तुलना में 2,63,992 महिलाएं, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 32,368 पुरुषों की तुलना में 34,107 महिलाएं, पंचायत समिति सदस्य के लिए 35,620 पुरुषों की तुलना में 38,642, जिला परिषद सदस्य के लिए 6472 पुरुषों की तुलना में 6373, ग्राम कचहरी पंच के 78,963 पुरुषों की तुलना में 1,08,306 महिलाओं ने चुनाव में उम्मीदवारी पेश की। जबकि ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 26,201 पुरुषों की तुलना में 23,497 ही महिलाएं उम्मीदवार चुनाव में शामिल हुईं ।

नए चेहरों पर जनता का भरोसा, धन–बाहुबल औंधे मुंह गिरे

यदि बिहार पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों के आंकड़ें को देखे तो इनमें से लगभग 80 प्रतिशत नए चेहरे को मौका मिला है। बिहार के ऐसे युवा जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई पूरी कर चुनाव के मैदान में उतरे, उनको भी जनता ने मौका दिया है। जिसमें से अधिकांश सीटों पर महिलाओं ने बाजी जीती है। मतदाताओं ने अपनी सूझ–बूझ का परिचय देते हुए धन व बाहुबल को नकारते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे यह कहा जा सकता है कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सभी वर्ग के लोगों ने युवाओं को तरजीह दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की अपेक्षाओं पर जीते हुए प्रत्याशी कितना सफल हो पाते हैं! बिहार सरकार के पंचायती राज विकास से संबंधित योजनाओं पर भी यह निर्भर करेगा कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कितने योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के आंकड़ों को देखने पर जिस तरह से युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उससे यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि पंचायत चुनाव–2021, 'बिहार पंचायती राज चुनाव का स्वर्णिम काल है।'

महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में महिलाओं का हो रहा सशक्तिकरण

डॉ. सुनील दीपक घोडके
सहायक प्राध्यापक
मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार

हमारी 60 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहां की राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र निश्चित रूप से ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरपालिका, नगर निगम, विधानसभा और फिर लोकसभा, हम सभी से परिचित हैं। इस ढलान की तलहटी में ग्राम पंचायत है। स्थानीय स्तर पर, 73वें संशोधन ने महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया और ग्रामीण महिलाओं की प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत की। उसके बाद, कानून द्वारा, स्थानीय स्वशासी निकायों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक चला गया। ग्रामीण महिला, जिसके पास घर और खेत में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और जिसका निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं था, 73वें संशोधन के कारण अचानक सत्ता में आ गई। ये महिलाएं अब क्या करेंगी, इनको क्या समझ में आएगा, अपने बच्चों और चूल्हे को छोड़कर इन्हें राजनीति में क्यों भेजा है, इसको लेकर काफी उपहासात्मक चर्चा हुई है.

गांव की राजनीति में हमेशा दबे रहने वाली महिलाओं की कोई आवाज नहीं होती. राजनीति केवल पुरुषों का ही कार्य है ऐसा समझने वाली महिलाओं को शुरू में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका–महानगरपालिका की दहलीज पार करते समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शुरुआत में वह किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन के रूप में आई, लेकिन कभी–कभी उनका नाम और काम उनके पति का हो गया। लेकिन क्या अब वह समय सच में चला गया है? विभिन्न सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें भी अनुभव होने लगा, सत्ता का स्वाद चखते ही स्थिति बदल गई।

महाराष्ट्र में गांव की सरकार में महिलाओं का कब्जा

महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं. स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के साथ ही 50 प्रतिशत महिलाओं ने भी ग्राम पंचायत में प्रवेश किया। कई गांवों में महिला सरपंचों की भी नियुक्ति की गई है। हालांकि, उनके सामने असली चुनौतियां अब शुरू होती हैं। गांव के विकास कार्य के निर्णय लेने का अधिकार उन्हें मिला है, लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि इन अधिकारों को वह कैसे उपयोग करेगी, ऐसा करते समय विपक्ष से कैसे सामना करेगी।

सीतामढ़ी जिले के चोरौत उत्तरी पंचायत में मंजू देवी लगातार दूसरी बार सरपंच बनी हैं।

चुनाव आयोग की पूर्व आयुक्त नीला सत्यनारायण ने नव नियुक्त सरपंच के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। ''एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, विजय मार्च शुरू होता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाओं का चुनाव होता है। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गले में माला लिए सामने खड़ी रहती है। वह लोगों की बधाई स्वीकार करते हुए हर जगह विजयी चेहरे की नजर से देखती हैं. यदि पत्नी चुन भी जाती है तो भी वह पति के पीछे खड़ी रहती है। वह अपने पति को प्रशंसा की दृष्टि से देखती है।''

ग्राम पंचायत की बैठकों में महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर भी, ग्राम प्रधान के पति उन बैठकों में उपस्थित रहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी ओर से हस्ताक्षर करते हैं ऐसा भी देखा गया है। महिला प्रधान के पुरुष प्रमाण पत्र पर आवश्यक हस्ताक्षर भी प्रदान करते हैं। कहीं–कहीं पत्नी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हालाँकि, उसे बोलने या अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में भी ऐसा होता है। कुछ ग्राम पंचायतों में महिलाएं पहल कर रही हैं। पुरुष प्रधानता को चुनौती दे रही हैं। हालांकि, यह आंकड़ा अभी भी उतना अधिक नहीं है।'' ''महिला के परिवार में अभी भी डर है कि अगर महिला सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है तो उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रह पाएगा। हम देखते हैं कि हमारे समाज के ऐसे कई उदाहरण हैं जो अभी तक इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार कर सकें।''

महिला सरपंचों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए भीम रास्कर ने कहा, "महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, महिलाओं को ग्राम पंचायत प्रशासन में प्रशिक्षित करने, चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने, सरपंच से आई–कार्ड प्राप्त करने, पहली पचायत मासिक बैठक की तैयारी, जीपीडीपी की तैयारी करने की आवश्यकता है।"

महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य

50 प्रतिशत महिलाएं समाज में रहती हैं। तब महिलाओं को उनके ज्ञान का उपयोग करने के उद्देश्य से स्थानीय स्वशासी निकायों में आरक्षण दिया गया था जो समाज और देश के लिए घर पर उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और पूरे गांव का विकास करना है।

महाराष्ट्र में 1960 में ग्राम पंचायत में महिला को एक सीट के लिए आरक्षित किया जाता था। इसके बाद 1992 में 73वां संशोधन किया गया और 24 अप्रैल 1993 को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।

बाद में 2009 में, भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया गया।

उन्होंने देखा कि महिला आरक्षण के कारण 3 महत्वपूर्ण चीजें हासिल की जा रही हैं।

महिलाओं को दिए गए आरक्षण के कारण महिलाओं के मुद्दे बड़े पैमाने पर सामने आने लगे।

दूसरे, गरीबों के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया गया। प्रजातांत्रिक मूल्यों की चर्चा जोर–शोर से शुरू हुई। नतीजतन, महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी और 2012 में निर्णय लिया गया। वर्तमान में देश के 22 राज्यों में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण है।

हालांकि महिला सरपंच है, फिर भी कभी सरपंच का पति, कभी सरपंच का ससुर, कभी सरपंच के देवर, जो गांव पर राज करते नजर आते हैं।

ऐसा ही कुछ आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे उदाहरण स्वरुप हम गोविंद निहलानी के निर्देशन में बनी फिल्म 'संशोधन' में आधिकारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली नौकरशाही बाधाओं के बारे में अनिवार्य ईमानदारी के साथ बात की थी। एनएफडीसी–यूनिसेफ द्वारा निर्मित यह फिल्म 1996 के शासन में महिलाओं की भागीदारी पर आधारित है। निहलानी और नाटककार त्रिपुरारी शर्मा द्वारा एक अच्छी तरह से शोध कर बनाई गई स्क्रिप्ट के साथ, संशोधन फिल्म ग्रामीण राजनीति की वास्तविकताओं को उजागर करती है। हाल ही में वेब सीरीज के माध्यम से निर्देशक दीपक कुमार मिश्र ने 'पंचायत' वेब सीरीज के द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में गांव की

एक महिला प्रधान सीधे डीएम को उसके बात करने के तरीके पर कैसे टोक सकती है इसे दर्शाया गया है तो वही इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से महिला प्रधान के पति को ही प्रधान जी के नाम से संबोधित किया जाता है और वह ही महिला प्रधान का कार्य संभाल रहा है। किसी की पत्नी, जल्द ही सरपंच बन गई और वह सिर्फ एक गुड़िया बनकर रह गई। ग्रामीण विषयों के जानकार भी इस बात से सहमत हैं कि यह तस्वीर हकीकत से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन, यह पूरी तस्वीर नहीं है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यह भी देखा जाता है कि स्थानीय निकायों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।

उदाहरण के लिए पुणे जिले के शेवालवाड़ी गांव की सरपंच सुमन थोरात। लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में उन्होंने अवैध शराब को बेचना बंद करा दिया तो उन्हें धमकियां मिलीं, लेकिन वे पीछे नहीं हटी और अपना काम उन्होंने जारी रखा. इसका एक और उदाहरण नागपुर जिले के आजणगाव–इसापूर की सरपंच नीता पोटफोडे हैं। कोरोना काल में लोग

अस्पताल जाने से डरते थे। निता ताई ने गांव में ही कोरोना पीड़ितों का इलाज किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि महिला आरक्षण के कारण ग्राम स्तर पर काम करने का क्रम भी बदल गया है। इस प्रकार पुरुष प्रधान सड़कों, घरों के निर्माण कार्य पर ज्यादा जोर देते थे। अब महिला सरपंच पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम कर रही हैं। जैसा कि संशोधन फिल्म की किरदार विद्या फिल्म में कहती हैं: रिश्ता तभी कयाम होता है जब एक दबने वाला हो और एक दबने वाला? दोनों बराबर नहीं हो सकता है क्या? ('क्या कोई संबंध तभी हो सकता है जब एक उत्पीड़क और एक उत्पीड़ित हो? क्या दोनों समान नहीं हो सकते?')

Dr. Pramod Dalvi
F-4, Riverdale Society, Ambi Road,
Varale, Tal- Maval, Dist.-Pune
Maharashtra.

The Journey from Swaraj to Panchayati Raj

Shibsankar Das
Research Scholar, Deptt. Of Education, Seacom Skills University, Bolpur – Santiniketan, West Bengal
Email: shibsankardas716@gmail.com

The Swaraj party was formed on the 1st January 1923 by a split from Indian National Congress. The most important Leaders were Deshbandhu Chittaranjan Das (President) and Motilal Nehru (Secretary). The view of the Party was. Independence or self rule. In 1923's legislative election they formed the Bengal legislative Council. In 1930 Indian National Congress declared Purna Swaraj. Eminent leader of our freedom movement Mr. Bal Gangadhar Tilak demanded by the Statement, "Swaraj is our birth right". Gradually by the movement of Purna Swaraj became another higher movement, 'Quit India Movement' After the disposal of the British, India became free From 15th August 1947. Rajasthan and Andhra Pradesh, these two states in India adopted Panchayeti Raj in the year 1959.

The history of Panchayeti Raj in West Bengal is very crucial. From 1950 to the opening of 1967, the Indian National

Congress ruled West Bengal administration. They established the nominated Panchayeti Raj. The rural working class of the state became poorest. As a result, the left and ultra left parties organized a movement which is well known as 'Naxalbari Movement'. Gradually this movement spread some other states like a splint of fire. Two times 1967 and 1969 Anti Congress United Front formed Provincial Government in the state. In the year 1971, Indian National Congress captured the Assembly by muscle Power. The people of West Bengal have a bitter experience at the time of Emergency. After the emergency, Indian National Congress lost power and established, Janata Government at center and the Left Front Government in West Bengal. So many Amendments and Acts have been introduced for Panchayeti Raj in a view to betterment of the Panchayati System. Now the 3 tier,e Gram Panchayat, Panchayet Samity and Zilla Parishad have been introduced and some reservation also started from the rural people of the State.

After the misrule of 34 years, the Left Front Government, established the Trinamool Government in the state in 2011. The ruling party Governed the local Self Governments by muscle Power. Democracy became fake and started social depression in the State. Some Trinamool Congress leaders confessed to the people of West Bengal that they have committed blundering in the last Panchayat Election.

Recommendations to the Central and State Governments.

Complete the land reform and distribute the lands to the poor and marginal farmers.

Introducing 'Operation Barga'.

Compensate the inhabitants of forest and mining areas who lost their lands by the land acquisition of the Government.

Introduce more banks and co-operatives for the rural people.

Open cheap sales centers for agricultural machinery and equipment, seeds, fertilizers, pesticides etc.

Introduce the right of forest to the inhabitants of forest areas and start more plantations in social forest development programmers.

Increase the rate of daily wages of agricultural laborers.

कर्नाटक में भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी

डॉ. सी प्रेम बलिंद्रा
योग प्रशिक्षक एवं
सामाजिक कार्यकर्ता
कर्नाटक

31 दिसंबर, 2021 को कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों के घोषित नतीजे भाजपा के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2023 से पहले खतरे की घंटी जैसा है। जबकि कांग्रेस के लिए यह एक संजीवनी जैसा है। जेडीएस केवल एक नगर पंचायत में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। इसलिए, उसका भविष्य अभी से धुंधली दिखाई देने लगा हैं। ऐसा इसलिए कि अलग–अलग सियासी दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न निकाय चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में पेश किया था। फिर, जेडीएस कर्नाटक् में तीन प्रमुख सियासी दलों में से एक है। इसलिए निकाय चुनाव परिणाम उसके लिए संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं।

कर्नाटक के 20 जिलों के 58 नगर निकायों के 1,184 वार्डो के लिए 27 दिसंबर, 2021 को चुनाव संपन्न हुए थे। 31 दिसंबर 2021 को नतीजे सामने आए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 501, भाजपा के 434 और जद (एस) के 45, 195 निर्दलीय, आम आदमी पार्टी के 1, एआईएमआईएम और सोशल डेमोक्रेटिक सोशल गैदरिंग ऑफ इंडिया के क्रमशः दो और 6 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया।

तो क्या दरक रही भाजपा की जमीन

इस हार ने जहां कर्नाटक में भाजपा को निराश किया है, वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सियासी हैसियत भी कमजोर हुई है। बीएस येदियुरप्पा के सीएम पद से हटने और उसके बाद के सीएम बोम्मई के

कार्यकाल में अभी तक तीन चुनाव संपन्न हुए हैं। इनमें से भाजपा को अपने गढ़ सिंदागी विधानसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। 75 सदस्यीय विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 26 की तुलना में भाजपा को 37 सीटों पर जीत मिली, जो सीएम बोम्मई के लिए राहत देने वाला रहा। लेकिन नगर निकाय के नतीजों ने विधान परिषद में भाजपा की जीत को धूमिल कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा धारवाड़ और बेलगावी जैसे अपने गढ़ में चुनाव हार गई।

हालांकि, पांच नगर निगमों के 166 वार्डो में से भाजपा के प्रत्याशी 66, कांग्रेस के प्रत्याशी 62 और जेडीएस के प्रत्याशी 12 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुए। 26 सीटें अन्य प्रत्याशियों के खाते में गई। नगर पालिका और नगर पंचायतों चुनाव में कांग्रेस ने इस बार भाजपा को पीछे छोड़ दिया। नगर पालिकाओं की 441 सीटों में कांग्रेस को 202 और भाजपा को 176 सीटें मिलीं। नगर पंचायत के 577 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के खाते में 237 और भाजपा के खाते में 191 सीटें गई। सीएम बोम्मई के शिगगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 23 में से 14 वार्ड में सफलता मिली जो भाजपा के 7 से दोगुना है। शेष दो वार्डो पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली।

निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा के नेताओं ने भी माना कि कांग्रेस ने नगर निकायों में हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया। येदियुरप्पा के जाने के बाद से पार्टी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाई है। भाजपा की हार के पीछे धर्मातरण विरोधी कानून का भी असर है। धर्मातरण विरोधी कानून बनने से अल्पसंख्यक मतदाताओं ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया। यह चुनाव परिणाम डीके शिवकुमार के उत्साह को बढ़ाने वाला है। यह परिणाम ऐसे समय में आया है जब वह सिद्धारमैया के साथ कांग्रेस में प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस निकाय के चुनावी परिणामों को अगामी विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएगी? जहां तक जेडीएस की बात है तो बिदादी नगर पंचायत को छोड़ दें तो और कहीं पर पार्टी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई।

नगर निकाय चुनाव परिणाम पर किसने क्या कहा?

> कांग्रेस कुछ नगर निकायों में सीटें जीतने में कामयाब रही है, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। उन्हें इससे खुश होने दीजिए। हमारे लिए नगर निगमों के परिणाम अनुकूल हैं। भाजपा 2023 में सत्ता में वापस आने वाली है, सिद्धारमैया और कांग्रेस के नेता इस बात की चिंता करें।
>
> **– बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री**

> यह परिणाम दिखाता है कि लोग भाजपा सरकार से निराश हैं। नतीजों ने दिखाया है कि हर बार धनबल से चुनाव नहीं जीते जा सकते।
>
> **– सिद्धारमैया, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता**

> स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे कर्नाटक के लोगों के मूड को दर्शाते हैं। यह कांग्रेस और राज्य के लोगों की जीत है। न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोगों ने भी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ये परिणाम कांग्रेस की विचारधारा और इसे मानने वाले लोगों की लोकप्रियता की पुष्टि करते हैं। लोगों ने हम पर विश्वास जताया है और हम भविष्य में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
>
> **– डीके शिवकुमार, अध्यक्ष, कर्नाटक कांग्रेस**

क्यों हारी भाजपा

भाजपा और आरएसएस ने कर्नाटक निकालय चुनाव में हर संभव प्रयास और संसाधनों को अपेक्षित रूप से लगाया। लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भाजपा अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके पीछे कई वजह गिनाए जाते हैं। इनमें :

1. जनसांख्यिकी समीकरण भाजपा के प्रतिकूल

साल 2011 की जनगणना ने राज्य की जनसंख्या 6.15 करोड़ है। इसमें लगभग 83% हिंदू हैं। यानि गुजरात और कर्नाटक की जनसांख्यिकी बहुत अलग नहीं है। लेकिन कर्नाटक में 17% जनसंख्या अनुसूचित जाति और 7% अनुसूचित जनजाति, 15 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी को भाजपा और आरएसएस की नीतियों पर भरोसा नहीं है। या यूं कहें कि वो खुद को भाजपा के करीब नहीं पाते। ब्राह्मणवादी नेतृत्व और भाषा की वजह से एससी और एसटी को उच्च जाति के हिंदुओं और यहां तक कि लिंगायतों से भी अलग कर रखा है। हालांकि, कर्नाटक में यह सामान्य धारणा है कि सभी हिंदू भाजपा को पसंद करते हैं। पर राज्य में इस नैरेटिव्स का असर नहीं दिखता। कई भाजपा शासित राज्यों में हाल के वर्षों में दलित–उच्च जाति के बीच संघर्ष और दलित स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे मामलों की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों की भाजपा के बारे में गलत सोच है। ओबीसी से संबंधित छोटे जाति समूह को लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी बड़ी जातियों का प्रभुत्व को पसंद नहीं है।

2. भाजपा उत्तर भारतीय पार्टी

कर्नाटक सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा को उत्तर भारतीय पार्टी माना जाता है। पिछले चार वर्षों की घटनाओं ने इस धारणा को मजबूत किया है। गोमांस पर विवाद हो या हिंदी भाषा की प्रधानता, मोदी सरकार को आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली ताकत के रूप में देखा जाता है, जो भाजपा के खिलाफ जाता है। बेंगलुरू और राज्य में अन्य जगहों पर रहने वाले उत्तर भारतीय ज्यादातर युवा हैं जो हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा की गई मोरल पुलिसिंग से खुद को असहज महसूस करते हैं। यह वर्ग पीएम मोदी को अच्छा मानता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करे।

3. येदियुरप्पा बनाम सिद्दा

हर राजनेता का अपना दौर होता है। एक बार ग्राफ शिखर पर जाने के बाद नीचे गिर जाता है। येदियुरप्पा के मामले में भी ऐसा ही है। वर्तमान दौर में कर्नाटक में सबसे प्रभावी नेता सिद्धारमैया हैं। भाजपा अब जाकर येदियुरप्पा से अपना पीछा छुड़ा पाई है। हालांकि, भाजपा का दावा है कि येदियुरप्पा को अदालत ने बेदाग घोषित किया। लेकिन राजनीतिक धारणाएं भावना प्रधान होती हैं न कि तथ्यों पर आधारित। भाजपा के लिए येदियुरप्पा पर लगा धब्बा मिटाना आसान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह रेड्डी बंधुओं और उनके साथियों की वापसी भाजपा की संभावनाओं पर पानी फेर सकते हैं। फिर एक प्रशासक के रूप में सिद्धारमैया का रिकॉर्ड येदियुरप्पा से बेहतर रहा है।

4. प्रभुत्वशाली जातियों पर निर्भरता हमेशा कारगर नहीं

प्रभावशाली जातियों पर निर्भर रहने से हमेशा अच्छा राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। बीजेपी ने खुद ही कई राज्यों के चुनाव जीते हैं, जो कि प्रमुख जातियों से रणनीतिक रूप से दूर हैं। हरियाणा में जाटों, महाराष्ट्र में मराठों, उत्तर प्रदेश में यादवों और जाटवों से भाजपा ने दूरी के बावजूद चुनाव जीते हैं।

कर्नाटक में भाजपा की रणनीति लिंगायतों के इर्द–गिर्द घूमती है, जिनकी आबादी 17% है और भाजपा के ये कोर वोट बैंक माने जाते हैं।

कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम 2021

20 जिलों के 58 नगर निकायों के 1,184 वार्डों के लिए 27 दिसंबर, 2021 को चुनाव संपन्न हुए और 31 दिसंबर 2021 को नतीजे सामने आए।

कांग्रेस	–	501
भाजपा	–	434
जेडीएस	–	45
निर्दलीय	–	195
आम आदमी पार्टी	–	1
एआईएमआईएम	–	2
सोशल डेमोक्रेटिक सोशल गैदरिंग ऑफ इंडिया	–	6

पार्टीवाइज वोट प्रतिशत

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक

कांग्रेस	–	42%
भाजपा	–	36.90%
जेडीएस	–	3.8%
अन्य	–	17.30%

5 नगर निगमों के चुनाव परिणाम

नगर निगमों के कुल वार्ड	–	166
कांग्रेस	–	62
भाजपा	–	66
जेडीएस	–	12
अन्य	–	26

नगर पालिका परिषद चुनाव परिणाम

नगर पालिका परिषद के कुल वार्ड	–	441
कांग्रेस	–	202
भाजपा	–	176
जेडीएस	–	21
अन्य	–	42

नगर पंचायत चुनाव परिणाम

नगर पंचायतों के कुल वार्ड	–	588
कांग्रेस	–	237
भाजपा	–	191
अन्य	–	160

सिक्किम में किसानों की आय बढानें के लिए बनाया गया अनूठा प्लान, ऑर्गेनिक केसर के उत्पादन हेतु उत्कृष्ट मॉडल पर हो रहा है कार्य

Manoj Sangwan Biswas
OSD to Governor Sikkim

पिछले महीनें (17 दिसम्बर को) राजभवन में राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के द्वारा "सिक्किम में केसर की खेती "विषय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, कृषि मंत्री श्री लोकनाथ, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश खरे, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कृषि एवं बागवानी विभाग के सचिवगण, कश्मीर केसर उत्पादन के निदेशक डॉक्टर इकबाल, वैज्ञानिकगण एवं उच्चपदाधिकारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर इकबाल ने कश्मीर में केसर की खेती पर प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि सिक्किम की जलवायु को भी केसर की खेती हेतु उपयुक्त है। भविष्य में सिक्किम और कश्मीर के समन्वय में न केवल केसर बल्कि अन्य जैविक फसलों की उपज की भी संभावना को वास्तविकता के धरातल पर लाने पर जोर दिया। इसके लिए विभिन्न रणनीतियां बनाई गई हैं। जो राज्य स्तरीय और अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित है।

कैसे आया था यह विचार

किसानों की आय को दोगुना करनें के लिए देश में निरंतर अंतर्मंत्रालीय और बहुसंस्थानिक प्रयास जारी हैं। वास्तव में यह विकास के एक स्वास्थ्य मॉडल की प्रस्तुती भी है। सिक्किम ऑर्गेनिक खेती के लिए विश्वविख्यात है, यहाँ के उत्पादों की पूरी दुनियां में बड़ी मांग है। इन सब चीजों को देखते हुए सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री अभिनाश खरे से किसानों की आय में इजाफा हेतु शोध कार्य करने के लिए टीम गठित करके कार्य सौपा। इस पर कार्य करने के बाद अभिनाश खरे ने अपने सुझावों में सिक्किम में केसर की खेती की संभावना को जगानें की बात कही। श्री खरे का कहना था कि जम्मू कश्मीर की जलवायु सिक्किम की जलवायु से काफी मिलती जुलती है इसीलिए यहाँ पर भी केसर की खेती को बढ़ावा देकर किसानों के आय में अपार बढ़ावा दिया जा सकता है। सिक्किम जम्मू के केशर से एक्स्ट्रा वैल्यू भी जोड़ सकता है क्यूंकि हमारा राज्य ऑर्गेनिक खेती में अव्वल है अतः सिक्किम ऑर्गेनिक केशर का उत्पादन करने वाला राज्य बन सकता है।

हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर विभागों में समन्वय

श्री खरे के सुझावों के बाद हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग की टीमों के साथ वैज्ञानिकों नें मीटिंग की उनके विचार लिए और अपने प्लान के साथ इनको जोड़ा। निरंतर वार्ताएं होती रहीं। इनकी टीमों नें संयुक्त प्रयास करके ढेर सारे पहलुओं पर अच्छी समझ के साथ एक बड़ा प्लान तैयार किया ।

जम्मू कश्मीर के अनुभव को जोड़ने की कवायद

उनके प्लान के प्रस्तुत करने के बाद कश्मीर के केशर के अनुभवों को जोड़ने के लिए हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग की टीमों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। टीम नें वहां के अनुभवों को सीखा और वापस आकर सिक्किम में लागू करनें की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है।

राज भवन, वैज्ञानिक समाज, और सरकार की संयुक्त पहल

ऐसा कम ही होता है जब सरकार, राज्यपाल, कृषि मंत्री और शोध से जुड़े विद्वान एक साथ एक मंच पर बड़ी योजना के क्रियान्वयन के लिए मंथन कर रहे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि सर्वांगीण पहलुओं को सही तरीके से समझनें का मौका भी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब सभी विभागों से जुड़े एक्सपर्ट्स एक साथ बैठकर इस योजना पर मंथन किये और अंततः इसे अंतिम रूप दिया गया।

राजभवन में हुए वार्ता में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने सम्बोधन में डॉक्टर इकबाल के अगुवाई में केसर खेती को कैसे बढ़ाये? उनकी प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुए भविष्य सिक्किम को इस क्षेत्र में और आगे ले जाने का आश्वासन एवं सहयोग देने की बात कही। इसके शुरुआत के लिए आने वाले दिनों में कश्मीर में एक अनुसंधान हेतु टोली भेजी जाएगी ।

किसानों को उचित ट्रेनिंग और सब्सिडी के लिए प्रावधान

आगे राज्य के हर जिलों के इच्छुक किसानों की लिस्ट तैयार की जा रही है इसके बाद राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की टीम हर जिले मुख्यालयों पर जाकर किसानों को ट्रेनिंग देगी साथ ही साथ सरकार इसकी खेती के लिए शुरूआती दौर में सब्सिडी का प्रावधान भी करेगी।

बाजार निर्माण की प्रक्रिया

ऑर्गेनिक केसर की खेती के लिए अलग बाजार की जरूरत होगी इसके लिए आगे कार्य करना होगा। बाजार के विकसित होने की प्रक्रिया तक राज्य सरकार किसानों की फसलों की एम एस पी देनें पर विचार कर रही है।

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम की जमीन एवं वातावरण केसर की खेती के लिए उपयुक्त है ,यदि कृषि के क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाए तो युवाओं के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में "किसान की आय दुगुनी" हो जाए तो हमारा समाज,देश एक उन्नत राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। इस तरह, इस प्रकार के अन्तर्विभागीय और अन्तर्राज्यीय प्रयासों की तरफ हमें मुड़कर देखने की जरूरत है, एक दूसरे के अनुभव से सीखकर सभी राज्य आगे बढ़ेंगे । इसके लिए हमें अंतर्राज्यीय परिषद के कार्यों में अन्य विषयों को जोड़कर समय के साथ अपडेट करते हुए और सशक्त स्वरूप में ले आना होगा।

A Look into the Role of Gram Sabha in Tripura

Dr. Deepshikha Bhattacharjee
Asstt. Prof. (Pol. Science)
Deptt. of Law, Deshabandhu Chittaranjan School of Legal Studies, Assam University,

Democracy is considered as one of the best forms of government as it promises liberty and equality to all. Participation and equality of opportunity for all is the essence of democracy. Participation to a great extent is possible in a decentralized structure of governance. Decentralized structure or decentralization means transferring of powers of decision making, planning, and execution from central authority to local administrative units. Decentralization is a multi-dimensional concept. Administrative decentralization denotes only transfer or delegation of power to implement policies to lower units of administration. Political aspect of decentralization goes a step further and gives the units power to make policies along with the power of their implementation. Financial decentralization gives the units the power of raising financial resources themselves. Democratic decentralization combines all these forms of decentralization. It gives the units some amount of autonomy in decision-making, power of implementation, and that of raising resources. It is one of the most important features of the Indian political process. It strengthens the democratic structure of the country by developing democracy at the grassroots level. It leads to people's participation in the decision-making process, transparency and accountability[i]. In India, democratic decentralization is applied through Panchayati Raj Institutions. People can directly take part in the Panchayati Raj system, and thus, it gives us an opportunity to witness direct democracy at work.

The 73rd constitutional Amendment Act of 1992 was a major step towards democratic decentralization in India. Among many important features of the Act, the most significant one has been the institution of Gram Sabha or Gaon Sabha. The literal meaning of the term Gram Sabha is a general assembly of villagers of a village. Gram Sabha is a means to make the elected representative accountable at the local level. According to the Constitution of India, a Gram Sabha consists of the persons registered in the electoral rolls relating to the village or the group of villages within the area of the Panchayat. Article 243A provides that a Gram Sabha can exercise all powers and functions at the village level just like the other legislative organs of the country[ii]. Theoretically, every voter irrespective of caste, class, creed, religion, socio-economic status in the village gets an equal chance of participation in decision making in the Gram Sabha. The 73rd Amendment Act gives the Gram Sabha the power of a watchdog in the village. Thus, it can supervise the performance and functioning of elected representatives of the village as well the government functionaries of the Panchayat, i.e., the Panchayat Secretaries, examine the annual statement of accounts, audit reports, etc.[iii] It is the only place in a representative democracy where citizens can participate, discuss, deliberate, reject, and approve policy proposals prepared by the Panchayat. According to one Panchayat Secretary, in India, only three Sabhas are important. They are Lok Sabha, Vidhan Sabha, and Gram Sabha.

Tripura is one of the eight-sister states of Northeast India. It shares international borders with Bangladesh on its north, south and west. She is connected with the rest of India by National Highway 44 that runs through Meghalaya, Assam, North Bengal, Kolkata, etc.[iv] A peep into the pages of history gives an understanding that every tribal community in Tripura used to have their own Panchayat for dispute resolution. Elections to the Panchayats were held in the late 1970s. The Tripura Panchayat Act came into force in November 1993 recognizing the Panchayats in the State and empowering them with all the relevant powers in order to make the Panchayats vibrant. The Act defines a Gram Sabha of Panchayat in Tripura as a body consisting of all in the village who has attained the age of 18 years and whose names are registered in the electoral roll of the village. Related to it is the Gram Sanads which are held in all the Gram Panchayat wards. The Gram Pradhan or the President is responsible for convening the meetings of both Gram Sabha as well as Gram Sanad. In the absence of the President, the Upa-Pradhan or the Vice-President will have to take this charge. According to the Act, the Gram Sabha has some very important functions. These are mainly to take decisions on important matters, keeping an eye on the Panchayat functionaries, prepare reports on development programs for the village, to prepare the Gram Panchayat budget for every financial year, etc. The Gram Sanads have the power regarding the selection of places of implementation of development schemes, and the selection of beneficiaries, etc.

Thus, Gram Sabha has a very significant role to play in the development of the village. The state of Tripura is divided into 08 (eight) districts, viz. Dhalai, Sipahijala, Khowai, Gomoti, Unakoti, North Tripura, West Tripura, and South Tripura. There are more than 500 Village Panchayats in the state.[v] Recently a study has been conducted on two districts in Tripura, i.e., North Tripura and South Tripura. The elected representatives, members of Gram Sabhas and functionaries of Panchayats were interviewed. Out of the interviews, it was revealed that in most of the Panchayats in these two districts, more than 70% people attend and actively participate in the Gram Sabha meetings regularly. Meetings are held regularly as per the Tripura Panchayat Act. The members also expressed that they get timely information on the date and time of meetings. A very good practice in the Panchayat system in Tripura is the holding of Gram Sanad meetings in

Panchayat wards. Generally, before every Gram Sabha meeting, important matters are discussed at length in Gram Sanad meetings regarding beneficiary selection, selection and implementation of development works, etc. Once discussed and settled, these matters are placed before the general body meeting, i.e., the Gram Sabha meeting for acceptance and confirmation. Most of the respondents were of the opinion that important matters like planning, budget making, reviewing audit reports, etc. are positively discussed in the Gram Sabhas. Regarding expression of opinion, most of the respondents answered in positive as in they were satisfied with the fact that they could freely express their views in the Gram Sabha meetings. Besides, they also expressed that decisions were taken unanimously. Although there were respondents who denied this fact, the number of such respondents was negligible. In relation to the process of recording of meetings and proceedings of the same, some respondents said that they were recorded properly in registers, while some respondents were totally unaware of it. Regarding implementation of decisions taken in the Gram Sabha meetings, most of the respondents sounded satisfied as according to them most of the policy decisions taken were implemented. There is a system of construction of an executive committee to supervise and monitor the implementation of schemes. [vi]

But, the problem is less female participation. Males participate more than females in the Gram Sabhas in Tripura. Lack of interest in matters of the decision making process may be one reason for it. Besides, patriarchy, lack of adequate capacity, etc. can be other contributing factors. Another problem mentioned in the study[vii] is party interference. The members close to the ruling regime get more preference in beneficiary selection in Gram Sabha meetings. This demotivates people who are not close to the ruling party or its members to attend meetings and express their views. Sometimes, it becomes very difficult for the Panchayat Secretary to gather people in a Gram Sabha meeting for a meeting to become a success.

Despite some of these problems, Gram Sabha in Tripura is making democracy substantive at the grass root level. On October 2, 2021, the Government of Tripura organized Gram Sabhas all over the state to discuss common problems like that of water, sanitation, etc. and to find solutions. It stressed on the participation of people from weaker sections of the villages, members of self-help groups, etc. The People's Plan Campaign- Sabki Yojna Sabka Vikas was also intended to be launched in these Gram Sabha meetings. Very recently, the Government of Tripura has decided to give appointments to more than one thousand Panchayat Executive Officers for smooth functioning of the Panchayats.[viii] The Government has taken an initiative to make Gram Sabhas vibrant in order to realize the sustainable development goals at the local level. A study on Gram Panchayats and Gram Sabhas cannot be complete without at least mentioning their role in tackling the ongoing Covid -19 pandemic. Undoubtedly their role is praiseworthy. The Gram Panchayats with the help of Gram Sabhas in Tripura like in the whole country have shown an incredible performance in managing migration of people, sanitization and cleaning of villages, maintaining social distances, creating awareness among people, etc. Besides, during the first wave of Covid-19 pandemic, when people lost jobs, the Gram Panchayats saved the people of marginalized sections of village by effective implementation of the food security program.[ix] It is, therefore, very important on the part of the Government to offer wholehearted support to Gram Panchayats. The people should participate in decision-making and implementation process fully to make the Gram Sabhas vibrant. To have effective Gram Panchayats, it is essential to revitalize the Gram Sabhas. With adequate people's participation, the Gram Sabhas can help Gram Panchayats become the vehicles of socio-economic development of India.

Panchayati Raj in Assam: Past and Present

Dr. Madan Chandra Boro
Associate Prof. & Head
Deptt. of Political Science
KBVS&AS University,
Nalbari, Assam

Introduction

Assam is a state of India situated in the north eastern region. Its global position is latitude 24N0-28N0 and longitude 90E 0 - 96E0. It has 34 districts and a population of 3,12,05,576. It has 2,201 Gaon Pamchayats, 185 Anchalik Panchayats and 21 Zilla Parishads. The Panchayati Raj system in Assam was developed in the post-independent period. Assam has as many as three 6th Schedule districts; they have different administrative systems such as Village Council of Development Committee (VCDC), Territorial Constituency Level Coordination Committee and General Council at the apex.

Panchayat

The Sanskrit term 'panchayatan' refers to a 'group of five persons' including a spiritual man. The chief of it is known as sarpanch of gram pradhan. We find mention in Rigveda about the organization of local self-units in democratic lines such as 'Sabha', 'Samiti', and 'Vidatha'. These were approved by the king to accomplish certain functions or decisions and they enjoyed liberty. It is found that administration was divided into two 'Pur' (city) and Janpad (village) in Ramayana and Mahbharata. Kautilya described the chief of the Pur as Nagarik. Janpads were free from royal interference. There was also a Caste Panchayat and one member from it was elected to the king's Council of Ministers. Self-government of the village is also found in illustrations in 'Shanti Parva', 'Manu Smriti' and 'Arthashastra' written by Kautilya. 'Gramik' or the official Chief of village, 'Dashap' or the chief of ten villages, 'Vinshya' or the chief of twenty villages, 'Adhipati' or the chief of one hundred villages, and 'Shat Gram Pati' or the chief of one thousand villages. Mugal rule in the medieval period started with casteism and feudalism which wiped out India's self-governance in villages.

British replaces Panchayat

Lord Mayo's resolution on decentralization was adopted and it took away the autonomy of village panchayats to introduce the British model of administration in India. The British introduced representative local institutions in urban or municipalities and rural or local institutions areas showing impetus to development through local institutions in 1870. Lord Rippon in 1882 made more changes to local self-government with more democratic values to these institutions. The Chairman will be elected from non-official and the strength of elected members to the local institutions was made two-third majority from non-officials.

British reconsiders need for Panchayat

C.E.H. Hobhouse, the Chairman of Royal Commission on Centralization in 1907 recognized the importance of panchayats at village level. Its recommendations are also reflected in the Government of India Act, 1919 informing of transfer of local subjects for local governance. By the year 1925, Panchayat Acts were passed by as many as eight provinces in India. Six native states also passed panchayat laws to confer more power to local bodies in 1926. This way local self-government begins to be unaffected and Panchayat regains its life.

Panchayat in Post-Independent India

Panchayat Raj Institution (PRI) is a politico-administrative system of rural local self government. Panchayati Raj in India was adopted after a decade of India's independence. The idea of gram rajya or self-reliance is the basic foundation of the Panchayati Raj Institutions in India which is made as a mechanism to decentralize the planning and administration to village level. The Government of India showed keen interest to have PRI and thus appointed different committees to suggest a government. Balwant Rai Mehta Committee was appointed in 1957 to examine the cause for the failure of the Community Development Programme and National Extension Service (1952) and suggest measures for it. The Mehta Committee submitted report in 1958 and suggested for 3-tier Panchayati Raj system i.e. Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, Zilla Parishad at the district level. Ashoka Mehta Committee 1977 submitted its report in August 1978 with 132 recommendations to strengthen the panchayats. It also suggested restructuring Panchayats into two tier system i.e. Zilla Parishad and Mandal Panchayat and strengthening panchayats. The present structure of PRI is adopted from B. R. Mehta Committee.

A number of committees supported the development of Panchayats in India. C.H. Hanumantha Rao Committee (1983) a technical committee on Drought prone Areas Programme and Desert Development Programme of Agricultural costs and prices, G.V.K. Rao Committee (1983) suggested making the district as the basic unit of Planning, L. M. Sighvi Committee (1986) suggested financial resources and constitutional status, Sarkaria Commission on Centre-State Relations (1988), P.K. Thugan Committee (1989) and Harlal Singh Kharra Committee (1990) are important. PRIs got constitutional

status through 73rd constitution Amendment Act, 1992 decentralizing the democracy to the grassroots with more powers. These committees and their recommendations contributed to the development of PRIs in India.

Panchayat in Post-Independent Assam

The state of Assam has experienced a panchayat system since independence. Assam Govt. passed the Rural Panchayat Act in 1948 to introduce Panchayat. It may be so that Assam had different types of rural administrative traditions prior to it. A common system of local self-governance was needed in the state after independence. Thus Rural Panchayat Act of 1948 was a landmark to the development of local self-government in administration, reconstruction and development of villages in the state. It was amended in 1959 and inserted more classes to it. Assam followed 3-tier Panchayats from 1959 accepting B. R. Mehta committee recommendations. It adopted 2-tier Panchayats i.e. Gaon Panchayats at village level and Mahakuma Parishad at subdivision level abolishing Anchalik Panchayat in 1972 after accepting the suggestions made by Ashok Mehta Committee. Again, the Assam Panchayati Raj Act, 1986 re-adopts three-tier system of Panchayat i.e. Gaon Panchayat, Anchalik Panchayat and Mahakuma Parishad. The Mahakuma Parishad is given more development role and supervisory roles.

The local self-governance got its substantial change after passing of Assam Panchayatu Raj Act, 1994. It was passed with features in conformity with the new provisions of the Constitution's 73rd Amendment Act, 1994 which came into force in April, 1993. It made a common decentralized PRI all over the country in addition to scheduled hill districts that enjoyed political autonomy. Article 40 of Constitution of India mentions about panchayat and Article 246 empowers the state legislature to frame law on PRIs. The Assam Panchayati Raj Act, 1994 constitutes a three-tier system consisting of Gaon Panchayats at the village, Anchalik Panchayats at block level and Zilla Parishad at district level. It extends to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous districts under the Sixth Schedule of the Constitution of India. It made provisions for direct election of members from the territorial constituencies in the panchayat area also provisioning reservations of seats of elected members for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women.

Panchayat in Assam today

Women's empowerment through MGNREGA in the state brought a change in power relationship between men and women in social, economic, political and spiritual perspective. Initially, it covered 7 districts in 2005-06, all 27 districts in 2009-10 paving the opportunity of a job card 36.12 lakhs, and 41.28 lakhs in 2013-14. The Gram Sabha in general area and Village Council in sixth scheduled districts IDs the implementing agency. The percentage of women's participation records increased from 24.10% (2009-10) to 29% (2013-14). Financial support to SHGs is a game changing contribution through Gram Panchayat. Unemployed rural men and women are getting jobs in their village for road construction, digging out ponds etc. The payment mode is also made digital for which they are free from the trouble of a middleman. MGNREGA became an effective scheme for giving 100 days job guarantee with equal participation of men and women at Rs. 213 per day.

Through the National Rural Livelihood Mission, women got more opportunities to increase their income in men counterparts. Earlier people had to depend on agriculture primarily on paddy crops. Government approach to augment allied agricultural activities such as rearing ducks, goats, nurtury, poultry, fishery, dairy, cropping and horticultural activities for rural men and women boosts them in the economic sector. A large number of SHGs of women receive Rs. 2 lakhs under National rural livelihood mission from state government for launching silent cooperative diary movement. Fourteen Finance Committee (FFC) started the development campaign "Amar Gaon Amar Achoni" for economic development and social development and covered all 2201 Gaon Panchayats in Assam. Women through Individual Beneficiary Scheme or SHGs shine in preparation of indigenous crafts products, weaving and making agarbatti.

Gram Panchayat changed the livelihood status of poor families providing sanitation under Total Sanitation Campaign (TSC) to make 'open defecation free' status. PMAY is a blessing for poor families enabling them to live with minimum standards in society. Fourteen Finance Committee (FFC) lead the avenues to frame Development Plan for Gaon Panchayats (DPGP) for improving basic amenities, sanitation, connectivity, drinking water, burial grounds, improving poor families, prevention of communicable disease, providing social security of marginal community, sustainable development of livelihood, conservation of soil and water, 100 percent enrolment in schools, ensuring gender equity and equality, and strengthening and improvement of Gaon Sabha. But issues does not end in a day, therefore it will require a long term action plan.

Conclusion

We have a tradition of panchayats in ancient times. It continued to develop in India till the coming of the British. The British introduced local self governance and later reconsidered the need for Panchayat in India. Assam adopted the Panchayati Raj system just after independence. The Panchayats are still used as the institutions of political power structure in the villages in collaboration with the dominant sections of the rural society. Elected members of PRIs are greatly influenced and blessed by legislators resulting in power status symbols to representatives and political parties. After 1994, panchayats showed greater performance in rural areas. It reaches to more effectiveness during the fourteen and fifteen years of finance that covers more rural livelihood projects for both men and women. Now, panchayats are getting support of frontline workers such as Additional Anganwadi Worker (AAW), Auxiliary Nurse Midwife (ANM), Accredited Social Health Activist (ASHA), Village Level Extension Worker (VLEW) to work in villages. They are also found engaged in health related activities especially in the pandemic situation of Covid-19. District Planning Committee (DPC) may adopt a persistent approach to transact schemes transparently with real time data with a capacity of more outreach schemes of rural livelihood which will be a great avenue to eliminate poverty in the state and generate entrepreneurs in near future.

इसलिए देश में सिरमौर हैं केरल की पंचायतें

डॉ. हेमा पनिकर
सोशल एक्टिविस्ट
देसी चिकित्सा एक्सपर्ट
केरल

भारतवर्ष में पंचायतें अतीत काल से चली आ रही हैं। समय के हिसाब से केवल उनका स्वरूप बदलता रहा है। आजादी मिलने के साथ ही महात्मा गांधी मजबूत और आत्मनिर्भर पंचायत के पक्षधर थे, लेकिन संवैधानिक तौर पर 24 अप्रैल 1993 में देशभर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद उनका सपना पूरा हुआ।

वर्तमान में देश के गांव की हर गली में चुना हुआ प्रतिनिधि है। कुछ पंचायतों ने अच्छे कार्य किए और कुछ आज भी घिसट ही रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के कामकाज को लेकर 2015–16 में विकेंद्रीकृत रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसकी पंचायतों को सशक्त करने के लिए 100 अंक दिए जाएं। इसके बावजूद अन्य मामलों की तरह केरल पंचायती राज मामले में सिरमौर बनकर उभरा है। ऐसा यूं ही नहीं हुआ, इस दिशा में वहां पर काफी काम हुए। इसमें केवल सरकार की ही भूमिका अहम नहीं रही, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इस मुकाम को पाने में मदद की। वर्तमान में केरल में ऐसी 10 पंचायतें हैं, जो देश–दुनिया में चर्चित हैं। आइए, इस लेख के जरिए हम आपको उन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों की सोच और समस्या समाधान के स्वत: स्फूर्त प्रयासों से रूबरू कराते हैं।

इडुक्की प्रखंड पंचायत इडुकी : जैविक कृषि

इडुक्की प्रखंड पंचायत जैविक कृषि परियोजना के तहत जैविक खेती के क्षेत्र में लोकप्रियता की मिसाल है। इस योजना से न केवल 164 आंगनबाड़ियों के बच्चों को पोषक आहार मुहैया कराना संभव हुआ, बल्कि अतिरिक्त सब्जियों को बेचकर धन संग्रह का काम भी जारी है। इस योजना का मकसद आंगनबाड़ी स्तर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देना था। इस परियोजना का नाम "अंकन थाई थोट्टम" है। इस योजना को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा गाय का गोबर और अन्य जैविक खाद की आपूर्ति की गई। वर्तमान में इस परियोजना के तहत सब्जी तैयार करने के अलावा आगे की खेती के लिए बीजों को भी संरक्षित किया जाता है। इस परियोजना का असर क्षेत्र के लोगों पर हुआ। अब लोग रसोई बागान और खाली जमीन में जैविक खेती करने लगे हैं।

चेरपू प्रखंड पंचायत त्रिशूर : परती भूमि खेती

चेरपू प्रखंड पंचायत ने फरवरी, 2011 में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अहम फैसला लिया। इस योजना को हकीकत में तब्दील करने के लिए 4 ग्राम पंचायतों की परती भूमियों का उपयोग किया गया। लगभग 162 एकड़ भूमि की पहचान की गई और इस काम के लिए आरकेवी वाय, प्रखंड पंचायत निधि और मनरेगा निधियों का उपयोग किया गया। प्रखंड पंचायत निधि से तालाबों का नवीकरण, मनरेगा स्कीम से सिंचाई नहरों और अन्य प्रणालियों का नवीकरण और आरकेवी वाय निधियों का उपयोग बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए किया गया। इस काम के लिए चयनित किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया। इससे करीब 82 एकड़ भूमि में चावल की खेती संभव हुई। इस परियोजना का दूसरा लाभ यह मिला कि क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार हुआ। किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई।

चेरपू प्रखंड पंचायत त्रिशूर : लॉन्ड्री सेवा

चेरपू प्रखंड पंचायत की दोस्ताना लॉन्ड्री सेवा काफी लोकप्रिय है। स्वयं सहायता समूह के स्वामित्व वाली इस योजना के तहत 10 महिलाएं कार्यरत हैं। लॉन्ड्री की दुकान प्रखंड पंचायत की स्वामित्व वाली भवन और भूमि में में स्थित है। इस सेवा को शुरू करने के लिए सभी महिलाओं को केंद्रीय सरकार की स्वामित्व वाली संस्थान में प्रशिक्षण दिलाया गया। उन्हें ड्राइविंग का भी प्रशिक्षण दिया गया और माल ढ़ोने वाली एक ऑटोरिक्शा की भी व्यवस्था की गई। अब चेरपू लॉन्ड्री सेवा को घरों से सीधे काम मिलने लगे हैं। इस पहल से एसएचजी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। लॉन्ड्री सेवा से जुड़े सभी सदस्य 4 से 5 हजार प्रति माह कमाने लगे हैं। इससे उत्साहित एसएचएस समूह की महिलाओं ने अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पंथानमथिट्टा : जिला अस्पताल का उन्नयन

लचर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से पहले पंथानमिथिट्टा के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला पंचायत पंथानमथिटटा ने कोझेनचेरी जिला अस्पताल के विकास पर जोर देने का काम 2011 में शुरू किया। जिला पंचायत इस परियोजना पर कई करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जिला पंचायत के हस्तक्षेप अस्पताल में कार्यालय भवन, एक डायलिसिस इकाई, विद्युतीकरण, कर्मचारी क्वार्टरों में सुधार, पेयजल आपूर्ति, चार शौचालयों का निर्माण, एक कृत्रिम अंग इकाई और एक उपशामक देखभाल इकाई की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। इन सुविधाओं के विकास से लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है और लोग अब अस्पताल में इलाज के लिए आने लगे हैं।

पंथानमथिट्टा जिला पंचायत सांत्वानम : स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना

पंथानमथिटटा जिला पंचायत की स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के मकसद एक आदर्श कार्यक्रम है। इस परियोजना का नाम 'सांत्वानम' है। इस परियोजना के तहत लोगों को अच्छा व खराब स्पर्श, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। इसके लिए जिला पंचायत ने सबसे पहले 20 सदस्यीय कोर टीम का चयन किया। कोर टीम के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सभी यानि 54 ग्राम पंचायतों एवं जिला की तीन नगरपालिकाओं को शामिल किया गया। शिक्षा विभाग, डीआईईटी, एसएसए, स्वास्थ्य विभाग और समाज

कल्याण विभाग ने मिलकर इस योजना पर अमल किया। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत 693 स्कूलों के 1.25 लाख छात्र लाभ उठा चुके हैं।

लालम प्रखंड पंचायत, कोट्टायम : कैंसर खोज शिविर

प्रारंभिक चरण में कैंसर की पहचान के लिए लालम प्रखंड पंचायत ने क्षेत्रीय कैंसर केंद्र तिरुवनंतपुरम, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लालम और प्रखंड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के छह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सहायता से प्रखंड क्षेत्र में कैंसर खोज शिविरों के आयोजन के लिए एक परियोजना तैयार किया। इसके लिए प्रखंड पंचायत ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से इच्छुक भागीदारों की पहचान की। हर पीएचसी में छह शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में 669 व्यक्तियों ने भाग लिया। संदेहास्पद मामलों को उपचार हेतु क्षेत्रीय कैंसर केंद्र भेजा गया। अब इन शिविरों के जरिए कैंसर रोगियों की पहचान आसान हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि कोट्टायम के लोग कैंसर के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं।

छोटा निक्कारा ग्राम पंचायत एर्नाकुलम : पोर्टेबल बायोगैस फीवर प्लांट

अपशिष्ट समस्या का निदान निकालने के लिए छोटानिक्कारा ग्राम पंचायत ने "आउटरीच" नामक एक एनजीओ से संपर्क कर सुवाह्य जैव गैस फाईवर संयंत्र (Portable Bio Gas Fever Plant) और रसोई गैस इकईयां स्थापित करने का फैसला लिया। इसके के लिए पहले सभी को जागरूक किया गया। प्रारंभिक चरण में 200 लाभार्थियों का चयन किया गया। परिवार सुवाह्य जैव गैस फाईवर संयंत्र और रसोई गैस इकाईयां स्थापित करने का काम प्रगति पर है। प्रति इकाई कुल लागत 10,800 रुपए आता है। प्रत्येक लाभार्थी को 5695 रुपए दिया जाता है। बाकी राशि पंचायत, शुचिता मिशन और जिला पंचायत शेयर करती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आधिकारिक रूप से 6 अगस्त, 2012 से हुई। इस योजना के तहत पंचायत में 177 इकाईयां स्थापित कर चुकी हैं। इस लाभ यह हुआ कि बायो गैस प्लांट से एलपीजी गैस का खर्च कम हो गया।

छोटानिक्कारा ग्राम पंचायत एर्नाकुलम : उपशामक देखभाल कार्यक्रम

छोटानिक्कारा ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में शय्याग्रस्त और मानसिक रोगी हैं। अधिकांश परिवारों के पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत अध्यक्ष की देखरेख में जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ एक परियोजना प्रबंधन समिति की स्थापना की गई, जिसका नाम जिला उपशामक देखभाल कार्यक्रम (Palliative Care Program) है। उपशामक कार्यक्रमों से नर्स (एनआरएचएम द्वारा नियुक्त) पीएचसी के स्वास्थ्य निरीक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य स्वयंसेवक और वार्ड सदस्य जुड़े हैं। "गृह देखभाल पहल" के तहत शय्याग्रस्त कैंसर एवं किडनी रोगियों, शय्याग्रस्त दुर्धटना मामले आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसे टाटा अस्पताल, छोटानिक्कारा ग्राम पंचायत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और महक अमृत अस्पताल एर्नाकुलम के मनोचिकित्सक द्वारा चलाया जा रहा है। उपचार के लिए टाटा अस्पताल में एक उपशामक देखभाल इकाई कार्यरत है। अब तक लगभग 84 शय्याग्रस्त रोगियों और लगभग 40 मानसिक रोगियों का प्रभावी उपचार किया जा चुका है। वर्तमान में संबंधित दलों द्वारा 115 शय्याग्रस्त रोगियों और 64 मानसिक रोगियों की देखभाल जारी है।

अदत ग्राम पंचायत त्रिशूर : आश्रय परियोजना

अदत ग्राम पंचायत ने आश्रय परियोजना के तहत चयनित 10 परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। केरल स्थानीय प्रशासनिक संस्थान (केआईएलए) की सहायता से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण से पता चला कि अनुसूचित जाती की कुल आबादी 3045 है। बिना भूमि एवं घर के परिवारों की संख्या 13 पाई गई। पंचायत ने 40 लाख लाख रुपए के बजट से 13 परिवारों को घर देने के लिए एक दो मंजिला भवन का निर्माण आश्रय परियोजना के तहत कराया। सभी 10 अनुसूचित जाति परिवारों को फ्लैट आवंटित जा चुके हैं। अब पंचायत द्वारा बतौर किराया 10 रुपए प्रतिमाह की राशि ली जाती है। पेयजल और बिजली बिल के रूप इन लोगों से केवल 90 रुपए प्रतिमाह वसूल किया जाता है। आवास मिलने से बीपीएल परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब सभी सदस्य जीविकोपार्जन के काम में लगे हैं। सभी के बच्चे स्कूलों पढ़ने लगे हैं। खास बात यह है कि पंचायत के अभिनव से अदत ग्राम के सभी बीपीएल परिवार मुख्यधारा से जुड़ गए हैं।

अदत ग्राम पंचायत त्रिशूर : अपशिष्ट प्रबंधन

अदत ग्राम पंचायत ने कचड़ा संग्रहण, विलगीकरण और और जैव उर्वरक के उत्पादन में महारत हासिल है। यह परियोजना श्रीलक्ष्मी कुडुम्बाश्री इकाई के महिला सदस्यों के समूह द्वारा संचालित है। यह इकाई 90 सेंट भूमि में फैली है। इसके पास अपशिष्ट को जमा करने और इसके संसाधन हेतु अलग शेड, 6 गायों वाली एक डेयरी इकाई, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और भंडारण शेड, प्लास्टिक के संसाधन के लिए कोल्हू और कामगारों के लिए विश्राम गृह है। पंचायत के पांच लोग 350 रुपए प्रति दिन की दिहाड़ी पर इस काम अंजाम देते हैं। यहां उत्पादित दूध को 35 रुपए प्रति प्रति लीटर की दर से स्थानीय होटलों और परिवारों को बेचा जाता है। यहां पर तैयार वर्मी कम्पोस्ट 2500 रुपए प्रति बैग की दर से बेचा जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्रत्येक घर से 100 रुपए, प्रत्येक होटल से 500 रुपए और प्रत्येक प्रेक्षागृह से 2500 रुपए बतौर मासिक शुल्क लिया जाता है। यह पंचायत के आय का मूल स्रोत है। प्लास्टिक और बोतलों को क्रशिंग मशीन में पाउडर में बदला जाता है जिसका सड़कों के निर्माण में प्रयोग होता है। इसकी मांग काफी है। एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 6000 रुपए से 8000 हजार रुपए वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से भी मिलता है। पंचायत का पूरा क्षेत्र अवशिष्ट मुक्त है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों से 20 महिलाओं को प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न तक काम करने के बदले पैसा मिलता है।

पंचायत चुनाव: पांच साल से है फैसले का इंतजार

डॉ. अरुण चोपड़ा
समाजसेवी
आरोग्य सेवा केंद्र के संचालक
करनाल, हरियाणा

हरियाणा में लोकतंत्र की सबसे छोटी, लेकिन सबसे खास इकाई ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पंचायत चुनाव में लगभग एक साल का विलंब हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर पंचायतों में आरक्षण निर्धारण का काम पूरा हो चुका है। अब प्रदेश सरकार भी जल्द से जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। अब सभी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में फैसले का इंतजार है। ताकि संरपच के चुनाव जल्द से जल्द हो सके।

दरअसल, हरियाणा में कोविड–19 और महिला आरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर याचिका की वजह से पिछले एक साल से चुनाव टल रहा है। कोविड–19 असर अब हल्का हो गया है। राज्य सरकार पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की नीति के तहत चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला न आने की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट में आठ फरवरी, 2022 को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। अदालत का फैसला आने से पहले हरियाणा सरकार चाहते हुए भी पंचायत और शहरी निकाय का चुनाव नहीं करवा सकती। ऐसा इसलिए कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक निकाय चुनावों पर रोक लगी हुई है। यानि लोगों को चुनाव का अभी और इंतजार करना होगा।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार को पुराने नियमों से सरपंच चुनाव करवाने के लिए भी छूट दी थी। परन्तु प्रदेश सरकार महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण यानि सरपंच बनाने की नई नीति के तहत ही चुनाव करवाना चाहती है। यही वजह है कि हरियाणा में सरपंच के चुनाव का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान 22 अगस्त 2021 होने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 12 सितम्बर 2021, 11 अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021, 18 जनवरी 2022 और अब आठ फरवरी तक के लिए सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट आठ फरवरी को अपना फैसला सुना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है।

नई नीति के तहत होगा चुनाव

हरियाणा सरकार ने पंचायती एक्ट में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में ऑड–ईवन फॉर्मूले के आधार पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। नई नीति के मुताबिक हर गांव में ऑड–ईवन नंबर के आधार पर सरपंच पद का चुनाव कराया जाएगा। जिस गांव में महिला सरपंच का चुनाव इस बार होगा उसमे अगली बार पुरुष सरपंच का चयन किया जायगा। यही नियम आरक्षित सीटों के लिए भी लागू होगा। इस नीति के तहत चुनाव कराने में सबसे बड़ी बाधा हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 के विरुद्ध अदालत में दायर याचिका है। नए कानून के तहत गांव के मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भी दिया गया है।

आरक्षण के मसले पर विवाद क्यों?

ग्राम पंचायतों की दो पूर्व सदस्यों कैलाश बाई और स्नेह लता की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ की अदालत में मामला लंबित है। इन दोनों महिलाओं ने हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों महिलाओं का कहना है कि पंचायत की सीटों में महिला उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उनके पुरुष समकक्षों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है। सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से सभी वार्डों को क्रमिक रूप से विषम और सम संख्या के तहत चुनाव होना है। सम संख्या वाले नंबर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं। अधिनियम यह प्रदान करता है कि "महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्ति" विषम संख्या वाले वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं। "महिला के अलावा अन्य व्यक्ति" को संशोधन के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें तार्किक रूप से पुरुषों और ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। महिलाओं को बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार संशोधन महिला उम्मीदवारों को विषम संख्या वाले वार्डों से चुनाव लड़ने से रोकता है। याची ने न्यायालय को यह भी बताया है कि संविधान का अध्याय 9, जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, महिलाओं को कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। उन महिला उम्मीदवारों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं करता है, जो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन संशोधन केवल 50 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकता है।

गुरुग्राम के प्रवीण चौहान समेत 13 अन्य याचिकाएं भी अदालत के समक्ष लंबित है। अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का 8 प्रतिशत बीसी–ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार केवल छह जिले हैं, जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए बचती हैं। 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटे अनिवार्य हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह चाहे तो आरक्षण के नए प्रावधान को निलंबित कर पुराने नियमों के तहत चुनाव करवा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं होता तब तक सरकार निकट भविष्य में हम चुनाव नहीं करवाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की हुई है। खास बात यह है कि हरियाणा में 23 फरवरी, 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब उनके स्थान पर प्रशासक कामकाज देख रहे हैं। वहीं विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं।

प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6205 पंचायतों में सरपंच और पंच पदों पर चुनाव होना है। जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लाक समितियों के तीन हजार दो सदस्यों और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए होंगे। जबकि 62 हजार 466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा।

दो चरणों में चुनाव कराने की योजना

सरकार दो फेस में यह चुनाव करवा सकती है। पहले फेस में ग्राम पंचायत और दूसरे फेस में पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है। लिहाजा हाई कोर्ट अब इन चुनावों को कराने की इजाजत दे। तीन जनवरी 2022 को एक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हरियाणा में पहले ग्राम पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल,जुलाई या अगस्त 2022 में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले हरियाणा में वर्ष 2016 में पंचायत चुनावों का आयोजन हुआ था। उस समय पंचायत चुनावों का आयोजन तीन चरणों में किया गया था। 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी 2016 को पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे।

सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, अदेय प्रमाण पत्र (एनओसी), जमानत राशि, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शौचालय संबंधी शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है। जिस पंचायत से चुनाव लड़ रह है, वंहा की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।

चौधर का पर्याय है सरपंची चुनाव

लोकतंत्र के उत्सव में पंचायती चुनाव अहम माने जाते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव को चौधर और रुआब का प्रतीक माना जाता है। सरपंची के चुनाव में पूरा जोर लगता है। निर्वाचन आयोग की ओर से फिलहाल चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों को तैयार करने को लकर कवायद जारी है। आने वाले समय में दावे एवं आपत्तियां लेने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आदर्श ग्राम– जनप्रतिनिधि की अज्ञानता, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का शिकार

अंकित आनंद
अभियंत्रण सहायक
बरौनी रिफाइनरी (आईओसीएल)

''सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता। अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।''

– महात्मा गांधी

उपर्युक्त कथन के माध्यम से ही गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के विकेंद्रित शासन के लक्ष्य को तय कर दिया था। गांधी जी का राष्ट्र की आजादी के संदर्भ में स्पष्ट राय था कि यह भारतीयों द्वारा भारत की शासन पद्धति का विकास करना जो मानवता पर आधारित हो। वे इसके लिए ग्राम स्वराज को अनिवार्य और आवश्यक मानते थे।

शुरूआत में डॉ अंबेडकर जी गांधीजी के ग्राम स्वराज के भाव के समर्थक नहीं थे तथा ग्रामीण समाज की अज्ञानता, पिछड़ापन एवं सांप्रदायिक प्रवृत्ति के कारण गांधी जी के पंचायती राज के विचार से असहमत थे। यह महात्मा गांधी का ही आदर्श था जिसके कारण पंचायती राज के संगठन को संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया।

प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी महसूस किया कि भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने हेतु उनका आर्थिक सामाजिक विकास सुनिश्चित करना जरूरी है, इसके लिए ग्राम प्रधान, कृषि प्रधान देश में पंचायती राज की जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत अत्यावश्यक है। बलवंत राय मेहता कमिटी के रिपोर्ट के उपरांत नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा आदर्श ग्राम पंचायत की परिकल्पना प्रस्तुत करती है जिससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदीजी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की।

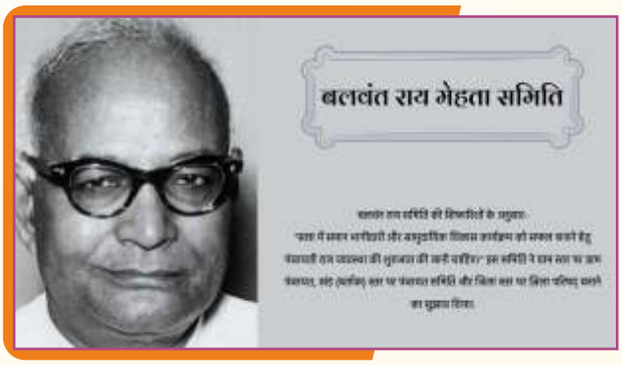

उद्देश्य:–

इस योजना के उद्देश्य के तहत् प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना है ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को इन उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके, जो ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा एवं बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कर पाएं। इस योजना के तहत् चयनित ग्राम सभा को कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशुपालन, कुटीर उद्योग, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार द्वारा 6 लाख गांवों में से 2500 से अधिक गांवों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।

योजना के तहत गतिविधियां :–

विशेषता :–

सांसद आदर्श ग्राम की गतिविधियां और उसमें शामिल तत्व गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना पर आधारित है। गांधी जी ने भी गांव की कल्पना में गांव एक ऐसा पूर्ण राजतंत्र होना चाहिए जो अपनी अहम जरूरत के लिए पड़ोसी पर निर्भर नहीं करेगा, और बहुत सी दूसरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा–वह परस्पर सहयोग से कर लेगा। अपनी जरूरत के अनाज और कपड़ों के लिए कपास का उत्पादन खुद करेगा। अपने गांव की जमीन का प्रबंधन इस प्रकार करेगा का कृषि, पशु चारागाह, कुटीर उद्योग, मनोरंजन केंद्र, खेल–कूद मैदान, पाठशाला, पुस्तकालय का समुचित बंदोबस्त हो जाए। कुआं और तालाब पर नियंत्रण समूचे गांव का होगा। गांव की पंचायत चलाने हेतु पंच चुनने का अधिकार ग्रामीणों को होगा। इस संकल्प को संपूर्ण भारत में संवैधानिक दर्जा देने के कार्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू की और उसी प्रयास ने 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा अनुसूचि 11 के जरिए प्राप्त हुई। सांसद आदर्श ग्राम की तमाम विशेषता उपर्युक्त गांधीवादी अवधारण पर ही आधारित है।

योजना की प्रगति :–

योजना के शुरुआत में, प्रथम चरण में 703 सांसदों ने हिस्सा लिया, दूसरे व तीसरे चरण में क्रमशः 497 व 252 तथा अबतक कुल 5 चरणों के तहत् कुल 1855 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है जिसमें पांचवें चरण में केवल 7 ग्राम पंचायत चयनित हैं। संसद सदस्यों की भागीदारी में कमी के कारण यह योजना अपने वांछित उद्देश्यों में विफल रही है।

कमियां :–

आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है। सांसदों का आरोप है कि आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, MPLADS आदि योजना के कोष का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों पर भी करना होता है। जबकि इस कोष से ही आदर्श ग्राम मॉडल विकसित करने के नाम पर बंदरबांट हो रहा है।

जनप्रतिनिधि द्वारा रुचि नहीं लेना, सांसद एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के बीच इस योजना के संदर्भ में संवाद एवं सामंजस्य का अभाव, ग्रमीण प्रतिनिधि को कोई प्रशिक्षण नहीं, इससे भी बढ़कर सांसद की अयोग्यता और प्रतिबद्धता में कमी तथा भ्रष्ट प्रवृत्ति ने इस योजना को विफल कर दिया।

समीक्षा :–

ज्यादातर सांसदों ने ऐसे गांव का चुनाव किया जो सुविधासम्पन्न है, उदाहरण के तौर पर, बेगूसराय के तत्कालीन सांसद भोला सिंह ने राष्ट्रकवि 'दिनकर' जी के गांव सिमरिया को गोद लिया जिसे 1980 के दशक में ही बिंदेश्वरी दुबे ने आदर्श ग्राम घोषित किया था, एवं 2008 में सिमरिया को खुले में शौच से मुक्त होने पर 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था। इसके बावजूद भी बढ़ती आबादी के कारण सांसद महोदय को सिमरिया में आधुनिक आदर्श ग्राम का मॉडल विकसित करने की संभावना थी, परंतु सांसद ने एक मीटिंग तक नहीं की। सिमरिया आज विद्यालय में शिक्षक का अभाव, पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तक का अभाव, नल जल योजना के बावजूद स्वच्छ पेयजल की समस्या से जूझ रहा है।

नदी तट पर स्थित होने के बाद भी यहां कृषि सिंचाई में असुविधा, मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहन का अभाव तथा जल संचय हेतु पोखर का अभाव है। खेल स्टेडियम का अभाव, 20000 आबादी में एक भी बैंक शाखा नहीं, LED बल्ब की सुविधा का अभाव तथा अस्पताल के लिए 14 कट्ठा जमीन के बावजूद अस्पताल निर्माण रुका हुआ है।

कमोवेश यही स्थिति अन्य चयनित आदर्श गांव की भी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जहां शवदाह हेतु श्मशान घाट में जगह की कमी दिखी, वहीं गंगा एवं अन्य नदियों में शव तैरते हुए भी दिखे। बसही एवं उन्नाव जैसे चयनित आदर्श गांव में मुक्तिधाम तक की व्यवस्था नहीं थी। बिहार के बक्सर के बलुआं गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका पाया गया। अध्ययन में पाया गया कि महामारी की स्थिति में भी MPLADS की निधि का उपयोग नहीं किया गया। अनेक ग्राम पंचायत में अवसंरचना कार्य धन की कमी से जूझ रहा है तो मनरेगा के तहत् पौधे–पौधे लगाने के कार्य में जनप्रतिनिधि रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आदर्श ग्राम में अनेक ऐसे हैं जिन्हें अबतक 'खुले में शौच से मुक्त' नहीं घोषित किया गया है।

आगे की राह :–

इस योजना को प्रभावी बनाने हेतु सांसदों के साथ संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रतिनिधि को उचित प्रशिक्षण के साथ–साथ जवाबदेही तय करनी होगी। आदर्श ग्राम पर खर्च संबंधी राशि को सूचना के अधिकार के तहत् ऑनलाइन ब्यौरा देकर जनता से अवगत कराना होगा जो भ्रष्टाचार पर चाबूक का कार्य करेगा।

गांव में कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्या, दहेज, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, ग्राम धरोहर व पेड़ संरक्षण आदि हेतु ग्रमीण में जागरूकता कार्यक्रम समय– समय पर सांसद को करनी चाहिए।

कोरोना जैसी महामारी से लड़ने हेतु पहले से तैयार रहना होगा, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र का समुचित इंतजाम करना सांसद की जिम्मेवारी है। तथा हर आदर्श ग्राम में मुक्तिधाम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे नदी तट पर खुले में शवदाह या जंगल में शवदाह से होने वाले वायु,जल प्रदूषण पर भी रोकथाम होगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की गांधीवादी अवधारणा न केवल ग्रामीण विकास के अवसर प्रदान करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसलिए समय की मांग है कि सभी नवीन योजना के क्रियान्वयन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

पंचायत संदेश के तत्वावधान में मधुबन महोत्सव का हुआ आयोजन , पौधारोपण के साथ हुआ समापन

अश्विनी कुमार सिंह
प्रभारी
(मंडल –आजमगढ़)
पंचायत संदेश

मधुबन तहसील के अन्तर्गत कटघरा शंकर स्थित शहीद स्मारक परिसर में नवंबर–2021 के आखिरी सप्ताह में मधुबन महोत्सव का तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत संदेश पत्रिका के संपादक बद्री नाथ द्वारा किया गया । इसमें देश की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। क्षेत्र के वीर अमर शहीदों की गाथाओं पर प्रकाश डालने से

लेकर क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन पर गोष्ठी के साथ आवश्यकतानुसार पेड़–पौधे लगाने आदि पर परिचर्चा के साथ पौधारोपण कार्य किया गया. कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मशहूर पर्यावरणकर्मी पीपल बाबा, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह तंवर, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अशोक चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय पंचायत परिषद ठाकुर ध्यानपाल सिंह जादौन और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन, हिंदी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह आदि ने शिरकत की।

मधुबन शहीदों की स्थली रही है, यहां के सैकड़ों वीरों ने सीने पर गोली खाकर देश की आजादी में अहम् योगदान दिया लेकिन भारत के इतिहास में उनका विवरण नहीं है. उनकी इस उपेक्षा की व्यथा जब कुछ लोगों ने बद्रीनाथ को बताई तो उन्होंने इसे मधुबन महोत्सव के रूप में यादगार बनाने का प्लान तैयार किया। स्थानीय लोगों के साथ एक कार्यक्रम रखकर उसमें शहीदों की अमर गाथा को उठाने और शहीदों के नाम को उनके इतिहास में दर्ज कराने व पहचान दिलाने की रणनीति पर कार्य करने पर सहमती बनी ।जिसकी पहली कड़ी में उनके द्वारा उक्त स्थान पर मधुबन महोत्सव का एक भव्य समारोह कराया गया।

दिल्ली तक सुनाई देगी मधुबन महोत्सव की गूंज – सुबोधकांत सहाय

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोधकांत सहाय ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि मधुबन एक क्रांतिकारी धरती रही है, जिसका बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन इस इलाके में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के वजह से ही इनकी पहचान मधुबन तक ही सिमट कर रह गई है। यहाँ के शहीदों को सम्मान दिलाने हेतु अखिल भारतीय पंचायत परिषद कई फोरम पर आवाज उठाएगी। इसका आगाज मधुबन महोत्सव से हो चुका है, यही इसका सुखद पहलू है। इस तरह के कार्यक्रम करना और शहीदों को याद करना उनकी स्मृति में पौधे लगाना बहुत ही उचित कार्य है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक यह कार्यक्रम चलेगा, हम तब–तब उत्साहवर्धन के लिए आते रहेंगे।

किसानों के उत्थान के लिए सरकारें सोच रहीं हैं– डॉ. चौहान

इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि हम पंचायतों के माध्यम से देश के विकास को महत्व देते हैं। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार आज किसानों के उत्थान के लिए सोच रही हैं, जिसका विकास ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से होना है, लेकिन उदासीनता के चलते गांवों का विकास सरकार के मंशा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। इसे सबके सहयोग से तेज करने की आवश्यकता है। डॉ. चौहान ने कहा कि गांव के विकास में अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह विकासखंड से लेकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद में शिकायत कर सकते हैं। हम हमेशा समस्याओं के निवारण के लिए गावों से जुड़कर कार्य करेंगे ।

पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य– पीपल बाबा

चूंकी यह कार्यक्रम अखिल भारतीय पंचायत परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था इसीलिए इसकी थीम – पंचायत और पर्यावरण साथ–साथ रखा गया और देश के सबसे बड़े पर्यवारणकर्मी पीपल बाबा को आमंत्रित किया गया । अपने जीवन में अब तक दो करोड़ से ऊपर पेड़ लगा चुके पीपल बाबा ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो

जिस प्रकार दिल्ली जैसे महानगरों में लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं वैसे आने वाले समय में गावों के लोग भी सांस लेने में परेशानी महसूस करेंगे। अगर पर्यावरणध्हवा को बचाना है तो हमें पेड़–पौधे लगाने पड़ेंगे। पीपल बाबा ने कहा कि हम इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष आकर लोगों को हरियाली के माध्यम से जोड़ेंगे और ढेर सारे पेड़ लगायेंगे। इस वर्ष जो पौधे लगाए गये हैं उसकी देखभाल गिव मी ट्री संस्था के माध्यम से की जाएगी। पीपल बाबा ने पौधों के माध्यम से उत्पन्न ऑक्सीजन के महत्व को बताया और दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में घटती जा रही ऑक्सीजन की गम्भीर समस्या को भी रेखांकित करते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाने हेतु बच्चों को प्रेरित किया ।

क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि ध्यान पाल सिंह ने कहा कि आपसी एकजुटता में ही राष्ट्र का विकास है। आपसी फूट हमें परतंत्रता की तरफ ढकेलती है। राष्ट्रीय हिंदी एकता मिशन के अध्यक्ष राणा सिंह ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसने अपनी संस्कृति खोई वह अपनी पहचान खो देगा। इसलिए आज हिंदी को पूरे देश मे विकसित करने की जरूरत है। इसी कड़ी में मधुबन क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राष्ट्रकुंवर सिंह ने कहा कि गांवों में पहले शादी–ब्याह करने लोग आते थे तो पूछते थे कितनी खेती बारी है। बारी अर्थात बगीचा। जिसका जितना बड़ा बगीचा वह उतना बड़ा काश्तकार/जमींदार होता था। उससे उसके बड़प्पन का एहसास होता था लेकिन आज बारी (बगीचा) दिन प्रतिदिन कटने से बारी का क्षेत्रफल घटता जा रहा है जो पर्यावरण के लिए ही नही जीवन के लिए भी सोचनीय प्रश्न बनता जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण की महत्ता को समझाते हुए अपने जीवन काल मे दस हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य ले रखा है जिसमें उन्होंने 2500 से ज्यादा पेड़ लगा लेने की बात बताई।

मधुबन महोत्सव में लोगों का दिखा जबर्दस्त उत्साह

इस कार्यक्रम में क्षेत्र के मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं, विचारकों, साहित्यकारों आदि को निमंत्रण दिया गया था। ज्यादातर लोगों नें इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आसपास के इलाके में पंचायत प्रतिनिधियों की सभाएं की गई साथ ही साथ उनकी समस्याओं को उठाने हेतु रणनीति बनाई गई। अखिल

भारतीय पंचायत परिषद के प्रतिनिधियों नें आश्वासन दिया कि आने वाले समय में पंचायतों के विकास के लिए दिए गए इन सुझावों को सरकार तक पहुचाने का कार्य किया जाएगा और देशव्यापी अभियान भी चलाया जायेगा ।

हरित मधुबन प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत, सर्वगीण विकास का लिया गया संकल्प

मधुबन महोत्सव में गिव मी ट्रस्ट की तरफ से क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हजारों पेड़–पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें पीपल बाबा व उनके सहयोगी कई दिनों तक कैम्प करके लोगों को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक पेड़–पौधे लगाने का काम करेंगे। आने वाले समय में ढेर सारे संस्थाओं के जोड़कर कार्यक्रम को और व्यापक रूप देनें का संकल्प लिया गया ।

बद्री नाथ ने उठाई शहीदों के उचित सम्मान की मांग

कार्यक्रम के संयोजक और पंचायत संदेश के संपादक बद्रीनाथ ने कार्यक्रम के उद्देश्य को विस्तार से बताते हुए कहा कि मधुबन के शहीदों की को कुर्बानी को लोग झंडा फहराकर और मिठाई आदि बांटकर याद कर लेते हैं, जबकि यहां के जांबाजों की कुर्बानी इतिहास में दर्ज होने लायक है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया । जलियांवाला बाग, चौरीचौरा कांड के बाद सबसे बड़ी घटना स्वतंत्रता के इतिहास में मधुबन का है। जहां 1942 के आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए थाने को घेरकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए थाने पर तिरंगा लहराया था और अंग्रेजो की गोली अपने सीने पर खाकर शहीद हुए थे। ऐसे वीर जवानों की याद किसी को नहीं आई तो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करना पड़ा। हम हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। उन्होंने शासन से मांग की कि गजेटियर के माध्यम से इन शहीदों को राष्ट्र में शहीदों का दर्जा दिलाकर उनका हक दिलाया जायेगा । मधुबन महोत्सव की टीम ने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में सभी दलों के लोगों को जोड़कर नए मधुबन के निर्माण में सबके योगदान से, ज्यादा से ज्यादा विकास के अवसर मुहैय्या कराये जायेंगे ।

कर्नाटक में क्यों सफल है ग्राम समिति का शासन

Dr. Sharmila Biswas
Seshadripuram first Grade College Yelahanka

पंचायतें ग्रामीण कर्नाटक में स्थानीय शासन के लिए सबसे पुराने संस्थानों में से हैं। स्थानीय शासन की व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को पंचायत राज (जिसका अर्थ है ग्राम समिति का शासन) के रूप में भी जाना जाता है। पंचायत राज ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करता है। यह विकास कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। कर्नाटक पंचायत राज का संरचनात्मक संविधान पालन करता है। इसमें प्रत्येक स्तर पर निकायों का चुनाव किया जाता है और तालुका स्तर पर तालुक पंचायतें, जिला स्तर पर जिला पंचायत राज का गठन होता है।

कर्नाटक में 30 जिला पंचायतें, 176 तालुक पंचायतें और 5,659 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज की तीनों इकाइयों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। सरकार के पास इनमें से किसी भी संस्थान के लिए प्रतिनिधि मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक ने पंचायत राज अधिनियम, 1993 के उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्राप्त किया. कर्नाटक ने भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के सभी अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करके पंचायती राज अधिनियम को बनाए रखा.

जिला और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली को बनाए रखा और अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करते हुए ग्रामीण, उप–जिला और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली के लिए त्रिस्तरीय संरचना को स्थापित किया. इसके तहत तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से तीन स्तरों के सदस्यों का चुनाव करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए तीनों स्तरों पर सीटें आरक्षित करना और प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव करना रहा.

तीन स्तरों पर चुनाव कराना

राज्य सरकार और पंचायत राज निकायों के बीच निधियों के बंटवारे का निर्धारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग को सशक्त बनाना और तीनों स्तरों पर लेखाओं को रखना है. कर्नाटक में पंचायती राज का निम्न स्तर है, गांवों के एक समूह पर इसका अधिकार क्षेत्र. ग्राम पंचायत गांव के बुजुर्गों की एक सभा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो गांव के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इस पंचायत इकाई का एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। पंचायतों के प्रतिनिधि पांच साल के लिए चुने जाते हैं। जबकि सदस्य सीधे वार्डों से चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, मसलन:

- हर साल कम से कम हर 10वें घरों में स्वच्छता शौचालय उपलब्ध कराएं।
- पुरुषों और महिलाओं के उपयोग के लिए पर्याप्त सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
- जलापूर्ति कार्यों को स्वयं या वार्षिक अनुबंध के माध्यम से बनाए रखना।
- करों को संशोधित करना और निश्चित अवधि में इकट्ठा करना।
- प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करते हैं।
- बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- त्वरित पंजीकरण और जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट की पुष्टि करना।
- उचित जल निकासी के लिए स्वीकृति प्रदान करना।
- सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव।
- सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाना।
- पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।
- नियमित रूप से बिजली शुल्क का भुगतान करना।
- जनसंख्या जनगणना, पशु गणना, फसल गणना, बेरोजगारों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की जनगणना से संबंधित रिकॉर्ड बनाना।
- खाद व कूड़ा फेंकने के लिए गांव के आवास क्षेत्रों से दूर स्थान आवंटित करना।
- कुओं में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल पुनर्भरण के लिए भूमिगत संरचनाओं का निर्माण करना।
- पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पीने के पानी के कुओं के पास सिंचाई, बोरवेल की ड्रिलिंग को रोकना।
- तालुक में सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना।
- कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जलापूर्ति कार्यों का निर्माण और विस्तार करना।

क्या है तालुक का कार्य और चुनाव

तालुक पंचायत कर्नाटक में पंचायत राज का मध्यवर्ती स्तर है। प्रत्येक तालुक के लिए तालुक पंचायत का गठन किया जाता है। तालुक पंचायत समिति के प्रतिनिधि सीधे तालुक के गैर–शहरी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। तालुक पंचायत समिति के अध्यक्ष, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करके सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। तालुक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तालुक पंचायत समिति में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित हैं। तालुक

पंचायत के कार्य और भी हैं। तालुक पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं:

- कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति पानी प्रति दिन प्राप्त करने के लिए जलापूर्ति कार्यों का निर्माण और विस्तार करना।
- स्कूलों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराना।
- टीकाकरण की प्रगति।
- प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव एवं विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा एवं जलापूर्ति की स्वीकृति प्रदान करना।
- ग्राम निवास क्षेत्र से दूर खाद के गड्ढे बनाने हेतु भूमि प्राप्त करना।

जिला पंचायत

जिला पंचायत कर्नाटक में पंचायत राज का शीर्ष स्तर है। राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसका पूरे जिले पर अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन हिस्सों को छोड़कर जो छोटे शहरी क्षेत्रों में शामिल हैं या नगर निगमों, नगर पंचायत या औद्योगिक टाउनशिप के अधिकार में हैं। जिला परिषद के सदस्य जिले से चुने जाते हैं।

जिला पंचायतों के प्रतिनिधि पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। जिला पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं:

- सन के नियमानुसार स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसूति केन्द्र स्थापित करना।
- कुओं में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल पुनर्भरण हेतु भूमिगत संरचनाओं का निर्माण करना।
- पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कुओं के पास सिंचाई बोरवेल की ड्रिलिंग को रोकें।
- तालुक में सामाजिक विकास के लिए एक योजना बनाएं।
- शासन के नियमानुसार स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसूति केन्द्र स्थापित करना।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद की गतिविधियाँ

मधुबन महोत्सव : पंचायत संदेश नें किया आयोजन, पंचायत के लोगों में देखने को मिला जबर्दस्त उत्साह

अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा विशेष पहचान को बढ़ावा देनें के लिए समय समय पर देश और दुनियां में अनेक आयोजन होते हैं। इन्हें उत्सव, महोत्सव के रंगों में सराबोर होते देखा जाता है। सै फई महोत्सव की चर्चाएँ आम हैं पर इसमें दल विशेष का प्रभाव देखा जाता है। सभी दलों और ढेर सारे संस्थाओं को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने एक नई शुरुआत की है। जहाँ पर हर दल और हर संगठन की उपस्थिति रही।

शहीदों की धरती मधुबन के अंतर्गत आने वाले कठघरा शंकर शहीद स्मारक में 26 नवम्बर 2021 को पंचायत संदेश के तत्वावधान में मधुबन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस महोत्सव में देश भर के लोगों नें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कान्त सहाय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य फोकस 4 बिंदुओं पर रहा। पंचायत वार्ता, हिंदी मंथन, रंगारंग मंचन और पीपल बाबा के नेतृत्व वाले गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम।

कार्यक्रम में संस्थाओं के अध्यक्ष व उच्चाधिकारियों नें हिस्सा लिया। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री ध्यान पाल सिंह जादौन, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन, एवं मंडल प्रभारी स्मृति सिंह तथा पंचायत संदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अश्विनी सिंह तथा कायस्थ महासभा व क्षत्रिय महासभा के अनेक पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए।

बिहार के सोन भवन में ए आई पी पी और राष्ट्रीय हिंदी एकता मिशन के तत्वावधान में हुआ पर्यावरण सम्मेलन

7 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय हिंदी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह के विशेष आमंत्रण पर सोन भवन में पूरे देश से पर्यावरण कर्मी बिहार की राजधानी पटना में इक्कट्ठे हुए। इसमें पीपल बाबा की टीम नें रजिस्ट्रेशन फॉर प्लांटेशन के तहत एंट्री ली और 3 दिनों तक पौधारोपण सत्र का आयोजन किया। इस मौके पर राणा सिंह ने सरकार को हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार पर कार्य करने का सुझाव दिया और कहा कि हिंदी की मांग अगर विदेशों में बढ़ी तो हिंदी भाषी छात्रों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में ए आई पी पी के संरक्षक श्री आर के सिन्हा नें कहा कि पर्यारण को मजबूती देनें के लिए हमें जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी साथ ही साथ मिटटी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी। परिणाम स्वरुप मिट्टी समृद्ध, किसान सम्पन्न और गावं आत्मनिर्भर बनेंगे।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष, डॉ. अशोक चौहान ने कहा कि राज्य पंचायतों के माध्यम से अगर हर ग्राम सभा में खाली जमीन पर पौधारोपण हो तो भविष्य में पंचायतें मजबूत होंगी। पौधों की संख्या बढ़ने से जहाँ हवा शुद्ध होती है वहीँ इमारती लकड़ी, फूलों और फलों की विक्री से आर्थिक आय होती है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध कान्त सहाय नें कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है तो इनके आय का जरिया भी विकसित करना होगा, पंचायतों का अपना आय श्रोत ज्यादे से ज्यादे हो जिससे राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष समेत अनेक गणमान्य शामिल हुए। इस सम्मलेन में सभी नें पीपल बाबा के नेतृत्व में चलाये जा रहे हरियाली क्रांति अभियान को देशव्यापी बनाने का संकल्प लिया गया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हुई अहम् मुलाकात, पंचायतों में पंचायत संदेश के प्रसार को लेकर हुई बात

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के मुख पत्र पंचायत संदेश को देश के हर पंचायतों तक पहचानें हेतु सुझाव प्राप्त किये गए। पंचायतों में कार्य करने का व्यापक अनुभव रखने वाले श्री तोमर जी नें पंचायतों में किये गए अपने कार्यों के अनुभवों को साझा किया।

इस प्रतिनिधि मंडल में देवास से जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, ए आई पी पी के राष्ट्रीय महामंत्री ध्यान पाल सिंह जादौन एवं ए ई पी पी के मीडिया सलाहकार बद्री नाथ उपस्थित रहे। मंत्री जी नें आश्वस्त किया कि आगामी समय में पंचायत परिषद के कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे।

भारत में पंचायतों का स्वरुप त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, खण्ड पंचायत, जिला पंचायत) हो, ताकि विकास पर किसी एक संस्था का एकाधिकार न हो यही शक्तियों का असली विकेंद्रीकरण होगा

"पंचायती राज के वास्तुकार एवं स्वतंत्रता सेनानी

बलवंत राय मेहता
(09.02.1989 – 19.09.1965)"

"देश वासियों कों को स्वस्थ, गावों को संपन्न और भारत वर्ष को समृद्ध बनाने हेतु पारम्परिक खेती की ओर लौटना होगा।"

– आर के सिन्हा
जाने माने पत्रकार एव पूर्व राज्यसभा सदस्य

Website : aipp.in; email: sandeshpanchayat@gmail.com; @panchaytsande2